अभिलेख महानिदेशक की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में बारहवीं रिपोर्ट
वर्ष 2009

TWELFTH REPORT OF THE DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES ON THE IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC RECORDS ACT, 1993 FOR THE YEAR 2009

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONALARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI
2012

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अभिलेख महानिदेशक
की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
बारहवीं रिपोर्ट
वर्ष 2009

TWELFTH REPORT OF THE DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES ON THE IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC RECORDS ACT, 1993 FOR THE YEAR 2009

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONALARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI
2012

विषय–सूची

I.	अध्याय	***1-67***
1.	प्राथमिकताएं	1-2
2	सिंहावलोकन	3-4
3	आंकड़ों का विश्लेषण : सामान्य निष्कर्ष	5
4	अभिलेख कक्षों की स्थापना	6-9
5	अभिलेख अधिकारियों का नामांकन	10-13
6	अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी	14-17
7	अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण	18-21
8	अभिलेखों का सूचीकरण	22-25
9	अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अभिलेखों की प्रतिधारण सारणी का संकलन	26-29
10	वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण	30-33
11	निष्क्रिय आयोग/समितियां	34-36
12	अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अप्रचलित अभिलेखों पर आरंभ की गई कार्रवाई	37-40
13	अभिलेख सर्जक एजेंसियों का संगठनात्मक इतिहास	41-44
14	''क' श्रेणी अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग	45-46
	<u>राष्ट्रीय अभिलेखागार के कार्यकलाप</u>	
15	अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन	47
16	संदर्भ माध्यम तैयार करना	48
17	अभिलेख अवाप्ति/अधिग्रहण	49-51
18	अभिलेख सर्जक एजेंसियों के स्थायी कार्यों के अभिलेखों की प्रतिधारण समय–सूची की पुनरीक्षा	52
19	परामर्शी कार्य	53-55
20	प्रशिक्षण	56-58
21	अभिलेख जागरुकता कार्यक्रम	59-67
II.	अनुलग्नक	***68-85***

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CONTENTS

I.	CHAPTERS	1-67
1.	Priorities	1-2
2.	An Overview	3-4
3.	Analysis of the Data: General Observations	5
4.	Records Rooms – Setting up of	6-9
5.	Records Officers – Nomination of	10-13
6.	Sharing of Space for Semi-current Records	14-17
7.	Recording, Reviewing and Weeding Out of Semi -Current Records	18-21
8.	Indexing of Records	22-25
9.	Compilation of Retention Schedules for Records by Records Creating Agencies	26-29
10.	Downgrading of Classified Records	30-33
11.	Defunct Commissions/ Committees	34-36
12.	Action initiated by Records Creating Agencies on Appraisal of Non-Current Records	37-40
13.	Organisational History of Records Creating Agencies	41-44
14.	Microfilming of 'A' Category Records	45-46
	ACTIVITIES OF NATIONAL ARCHIVES OF INDIA	
15.	Appraisal of Non-Current Records	47
16.	Preparation of Reference Media	48
17.	Accessions/ Acquisitions of Records	49-51
18.	Vetting of Retention Schedules for Records of Substantive Functions of Records Creating Agencies	52
19.	Advisory Work	53-55
20.	Training	56-58
21.	Archival Awareness Programme	59-67
II.	ANNEXURES	68-85

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन पर सूचना प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची 68-72

अनुलग्नक-II
अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण करने संबंधी जून और दिसंबर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची 73-75

अनुलग्नक-III
वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करने संबंधी जून और दिसंबर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची 76-79

अनुलग्नक-IV
वर्ष 2009 पांच दिवसीय अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले अभिलेख अधिकारियों के नाम 80-86

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE

ANNEXURE-I **68-72**
List of records creating agencies who have furnished information on the implementation of public records act, 1993

ANNEXURE-II **73-75**
List of records creating agencies who have furnished half yearly returns June & December on recording, indexing, reviewing and weeding of semi-current records

ANNEXURE-III **76-79**
List of records creating agencies who have furnished half yearly returns June & December on downgrading of classified records

ANNEXURE-IV **80-86**
Name of records officers who have attended five-day orientation courses in records management in 2009

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

प्राथमिकताएं

अध्याय–1

वर्ष 2009, लोक अभिलेख नियमावली 1997 की अधिसूचना के 13वें वर्ष को चिह्नित करता है। यह वर्ष भारत सरकार और केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन की विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 को लागू करने के पन्द्रह महत्वपूर्ण वर्षों को भी चिह्नित करता है। लोक अभिलेख अधिनियम और लोक अभिलेख नियमावली में प्रतिष्ठापित मुख्य पहलकदमियां कुछ राज्यों और संघ शासित प्रशासनों के समान विधानों में भी परिलक्षित हुई हैं। तथापि, इन कानूनी प्रावधानों और सार्वजनिक अभिलेखों के उचित रखरखाव के महत्व के प्रति बढ़ती जागरुकता के बावजूद जहां तक सरकारी विभागों का संबंध है, मुझे सरकारी कार्यालयों की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं दिखाई दिया है।

पिछले वर्षों की रिपोर्टों में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के बाद की अवधि में सरकारी कार्यालयों में लोक अभिलेखों के प्रबंधन ने किस तरह एक महत्वपूर्ण आयाम प्राप्त कर लिया है, और साथ ही यह भी कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.) ने शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में किस तरह लोक अभिलेखों के महत्व पर बल दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को सूचना और अधिकार देने की मांग को पूरा करने के एकमात्र उपाय के रूप में भारत सरकार के कार्यालयों में अभिलेख प्रबंधन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत पर मैं पुनः जोर देना चाहूंगा।

मुझे यह जानकर दुःख होता है कि लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के क्रियान्वयन में विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों को राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा पूरा सहयोग और समर्थन देने के बावजूद इन एजेंसियों ने उपर्युक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में ढीला–ढाला रवैया अपनाया है। अभिलेख प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सूचना प्रस्तुत करने तथा उसे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन पर वर्ष 2009 की मेरी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिवों को लिखे मेरे दिनांक 2 जुलाई, 2010 के पत्र के बावजूद मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने इसे पूरा करने के लिए कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया है। यहाँ तक कि अनिवार्य प्रावधानों जैसे कि अभिलेख अधिकारी का नामांकन करने, {धारा 5(1)} और अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यात्मक अभिलेख कक्ष की स्थापना करने {धारा 5(2)} को भी अधिकांश अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा लागू नहीं किया गया है। प्राथमिक बिंदुओं को रखने से पहले मैं आपके सम्मुख कुछ तथ्य रखना चाहूँगा।

1.1 वर्ष 2009 के दौरान विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अपने संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों से प्राप्त लोक अभिलेख अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में प्राप्त समग्र प्रतिक्रिया से पिछले वर्ष 2008 की तुलना में सुधार के कुछ संकेत दिखाई दिए हैं। प्रतिशत के अनुसार वर्तमान रिपोर्ट की कुल प्रतिक्रिया 6 प्रतिशत रही है; पिछले वर्ष की रिपोर्ट की तुलना में यह 2.93 प्रतिशत बढ़ गई है जिसकी कुल प्रतिक्रिया 3.07 प्रतिशत रही है। भारत सरकार के मुख्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रतिक्रिया 6 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई है, जो अभी भी असंतोषजनक है क्योंकि 60 मंत्रालयों/विभागों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं भेजी थी और न ही इस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए वर्ष 2009 की अपनी रिपोर्ट ही भेजी थी। रिपोर्ट की अवधि के दौरान संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त प्रतिक्रिया 22 से बढ़कर 42 हो गई है। अभी भी 1,197 संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों ने अपनी रिपोर्टें नहीं भेजी है। इसी प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त प्रतिक्रिया 20 से बढ़कर 27 हो गई है।

1.2 लोक अभिलेख अधिनियम के अंतर्गत नामांकित किए गए अभिलेख अधिकारियों का प्रशिक्षण एक बेहद जरूरी पहलू है जो संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों में एक ठोस अभिलेख प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करता है।

CHAPTER-1

PRIORITIES

The 15th year 2009 marks the thirteenth year of the notification of the Public Records Rules, 1997. It also marks fifteenth eventful years of the implementation of the Public Records Act, 1993 by various records creating agencies of the Government of India and Union Territory Administrations. The major initiatives set forth in the Public Records Act and Public Records Rules have also got reflected in similar legislations enacted by some of the States and U.T. Administration. However, in spite of these legislative provisions and increasing awareness about the importance of proper upkeep of public records, I do not see any remarkable transformation in the Government departments so far as the records management practices are concerned.

In the reports of the previous years, it has been underlined as to how in the post-Right to Information Act era, the management of public records in the Government offices has assumed a critical dimension, and also as to how the second Administrative Reforms Commission (ARC) has stressed the importance of public records as a vital tool to ensure accountability in governance. I would again lay emphasis upon the need to adopt some drastic measures to streamline the records management practices in the offices of Government of India as the only way to cope with the demands of an informed and empowered citizenry under the Right to Information Act.

It pains me to note that despite the full cooperation and support of the National Archives of India to the records creating agencies in the implementation of the Public Records Act, 1993, a large number of them have shown a total lackadaisical approach towards implementing the said Act. In spite of my letter of 2nd July, 2010 to all Secretaries of the ministries/ departments of Government of India for submission of the information on various aspects of the records management for inclusion of the same in my Report on the implementation of the Public Records Act, 1993, for the year 2009, I am sorry to record that most of the ministries/ departments have not shown a positive approach towards fulfillment of the same. So much so that even the mandatory requirements such as the nomination of records officer, (Section 5(1)) and setting up of functional records room (Section 5(2)) of the Act have not been complied with by majority of records creating agencies. Before I lay down the priority points, let me place some facts on record before you.

1.1 The overall response received from various record creating agencies about the state of implementation of the Public Records Act in their respective records creating agencies during 2009 has shown some sign of improvement as compared to 2008. Percent wise, the total response is 6 per cent for the present report; it has gone up by 2.93 per cent as compared to the last year's report which had a total response of 3.07 per cent. Response from the main ministries/ departments of the Government of India has increased from 6 to 25, which is still unsatisfactory as 60 ministries/ departments did not respond at all and did not send their reports for the year 2009 for inclusion in this report. During the period under report, there is an increase in the responses received from the attached/ subordinate offices from 22 to 42. Still 1,197 attached/ subordinate offices did not send their reports. Similarly, there is also increase in the responses received from the public sector undertakings from 20 to 27.

1.2 Training of the records officers nominated under the Public Records Act is a vital component to

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

अभिलेख अधिकारी अपने विभाग और राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच एक संपर्क सूत्र का काम करते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार 1998 से अभिलेख अधिकारियों के हित में नियमित रूप से अभिलेख प्रबंधन में अभिविन्यास पाठ्यक्रम संचालित करता आ रहा है। जबकि वर्ष 2008 में इस पाठ्यक्रम में 82 अधिकारियों ने भाग लिया था, वहीं वर्ष 2009 में 130 अधिकारियों ने मुख्यालय, दिल्ली और भोपाल में इसके क्षेत्रीय कार्यालय में तथा भुवनेश्वर, जयपुर और पुड्डुचेरी स्थित अभिलेख केन्द्रों में आयोजित अभिलेख प्रबंधन में अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लिया था।

1.3 राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के उन सभी लोक अभिलेखों के अंतिम निदान के रूप में कार्य करता है जो मूल्यांकन के बाद स्थायी परिरक्षण के योग्य पाए जाते हैं। फिर भी, कई वर्षों में स्थायी महत्व के ऐसे अभिलेख बहुत बड़ी संख्या में अभिलेख सर्जक एजेंसियों में जमा हो गए हैं, और इस विभाग द्वारा पहल करने के बावजूद ऐसे अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार, जहाँ वर्ष 2008 के दौरान 4,123 फाइलें राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थायी परिरक्षण हेतु स्थानांतरित की गई थीं, वहीं वर्ष 2009 के दौरान यह संख्या बढ़कर 12,898 तक पहुँच गई है। मुझे यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे सभी अप्रचलित अभिलेख, जो 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं, का राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है और उन्हें लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 3 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 5 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार में जमा कराए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम उनसे सदा के लिए वंचित न हो जाएं।

1.4 इस विभाग ने राष्ट्रीय अभिलेखागार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परियोजनाओं का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव द्वारा अनुमोदित कार्य–योजना पर पहले ही पहल शुरू कर दी है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ मंत्रालयों/विभागों की स्वतंत्रता के बाद की अवधि के अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन और स्थानांतरण करना शामिल है। तदनुसार, फरवरी, 2010 से और मार्च, 2011 तक विभिन्न प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से लगभग 1,37,738 मूल्यांकित फाइलों को स्थायी तौर पर रखने के लिए चुना गया है। इस कार्य को अभिलेखीय सहायकों द्वारा इस विभाग के अभिलेखविदों और वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में किया गया है।

इसके अलावा, उक्त अधिनियम और नियमों को और अधिक कारगर बनाने के लिए आवश्यक संशोधन करने हेतु लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 की समीक्षा का कार्य चल रहा है।

1.5 पूर्व–वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताओं के बिंदु निम्नलिखित हैं:

- अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अभिलेख अधिकारियों का नामांकन
- इस विभाग द्वारा आयोजित अभिलेख प्रबंधन में अभिलेख अधिकारियों का प्रशिक्षण
- अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत परिकल्पित अनुसार अभिलेख कक्षों की स्थापना
- 25 वर्ष से अधिक पुराने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन करना, और
- स्थायी अभिरक्षा और वैज्ञानिक परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को अभिलेखों का समय पर अंतरण करना।

मुझे विश्वास है कि अभिलेख सर्जक एजेंसियाँ उपरोक्त बिंदुओं पर कार्रवाई प्रारंभ करेंगी और अगले वर्ष की अपनी रिपोर्टें तत्परता से भेजेंगी।

मुशीरुल हसन

दिनांक: 16.12.2011

(प्रो0 मुशीरूल हसन)
अभिलेख महानिदेशक,
भारत सरकार

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

establish a sound records management system in respective records creating agencies. The records officers serve as a link between the National Archives of India and their own departments. The National Archives of India has been, since 1998, conducting regular Orientation Courses in records management for the benefit of the records officers. While 82 officers attended the courses in 2008, in 2009, 130 officers attended Orientation Courses in records management held in the Headquarters in Delhi and its Regional Office in Bhopal and Records Centres in Bhubaneswar, Jaipur and Puducherry.

1.3 The National Archives acts as the final repository of all public records of the Government of India that are found worthy of permanent preservation after their appraisal. However, over the years, a large number of such records of enduring value have accumulated in various records creating agencies. The initiative taken by this Department, not withstanding, these records still await their transfer to the National Archives of India. Thus, while only 4,123 files were transferred to the National Archives of India for their permanent preservation during 2008, this number has increased to 12,898 files during 2009. I need not to reiterate that all non-current records, which are more than 25 years old are to be appraised in consultation with National Archives of India and need to be deposited with the National Archives of India under the provisions of the Section 3 of Public Records Act, 1993 and Rule 5 of Public Records Rules, 1997, lest we should lose them irrecoverably.

1.4 This Department has already carried forward the approved action plan of the Cabinet Secretary on certain critical area projects concerning National Archives of India which includes, inter-alia, appraisal and transfer of non-current records of the Post-Independence period of ministries/ departments etc. Accordingly, since February, 2010 and approximately 1,37,738 appraised files selected for permanent retention have already been transferred from various ministries/ departments till March, 2011.This work has been done by the Archival Assistants under the supervision of the Archivists and senior officers of this Department.

Besides, the process of reviewing the Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997 with a view to carry out necessary amendments to make the said Act and Rules more effective, is underway.

1.5 In the light of the foregoing facts, the priorities are enumerated below:

Nomination of the records officers by the records creating agencies under section 5 of the Act

Training of records officers in records management conducted by this Department

Establishment of records rooms as envisaged under section 5(2) of the Act

Downgrading of classified records by concerned ministries/ departments

Appraisal of non-current records more than 25 years old and

Ensure timely transfer to the National Archives of India for permanent custody and scientific preservation.

I am sure that all the records creating agencies would initiate action on these points and would submit their reports for the next year.

Date: 16.12.2011

(Prof. Mushirul Hasan)
Director General of Archives
Government of India

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय – 2
सिंहावलोकन

राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह राष्ट्र की अभिलिखित विरासत का भंडार है और लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का क्रियान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी भी है। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 8(2) के उपबंधों के तहत अभिलेख महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार को लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) से (ठ) के अनुपालन में हर साल भारत सरकार को विभागीय अभिलेख अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट भेजनी होती है। तदनुसार, भारत सरकार के 85 मंत्रालयों / विभागों के सभी सचिवों को अभिलेख महानिदेशक द्वारा दिनांक 29 जून, 2010 के परिपत्र सं. 16–12(क) / 2010–आरएम तथा दिनांक 2 जुलाई, 2010 के समसंख्यक अ. शा. पत्र भेजा गया था, जिसमें उनसे वर्ष 2009 के दौरान ऊपर उल्लिखित खण्डों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में निर्देशानुसार लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के फार्म–5 में रिपोर्ट भेजने को कहा गया था जिससे कि अभिलेख महानिदेशक, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 पर अमल करने के बारे में रिपोर्ट संकलित कर भारत सरकार को प्रेषित कर सकें।

2.1 प्रस्तुत रिपोर्ट को अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा वर्ष 2009 के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर की गई कार्रवाई के बारे में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है:–

1. अभिलेख कक्ष की स्थापना करना;
2. अभिलेख अधिकारियों का नामांकन करना;
3. अभिलेख अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना;
4. अप्रचलित अभिलेखों को रखने के लिए जगह की भागीदारी करना;
5. अप्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण करना;
6. 25 वर्ष से अधिक पुराने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन करना;
7. स्थायी कार्यों के अभिलेखों की प्रतिधारण समय–सूची का संकलन / संशोधन करना;
8. वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करना;
9. अभिलेखों की वार्षिक सूचिका का संकलन करना;
10. संगठनात्मक इतिहास का संकलन करना; और
11. निष्क्रिय आयोग / समितियों, आदि के रिकार्ड का राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरण करना।

2.2 इस रिपोर्ट के आगे के अध्यायों में उपर्युक्त बिंदुओं पर सूचना का ब्यौरा दिया गया है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-2

AN OVERVIEW

National Archives of India is an Attached office of the Ministry of Culture. It is the repository of the documentary heritage of the nation and also serves as the nodal agency for the implementation of the Public Records Act, 1993 and the Public Records Rules, 1997. Under the provisions of the Rule 8 (2) of the Public Records Rules, 1997, Director General of Archives is required to submit to the Government of India, an Annual Report every year on the action taken by the records officers in compliance of the provisions of Clauses (a) to (l) of the Sub-section (1) of Section 6 of the Public Records Act, 1993. Accordingly, a Circular letter No. 16-12(A)/2010-RM dated 29th June, 2010 and also a D.O. letter of even No. dated 2nd July, 2010 from Director General of Archives to all the Secretaries of the 85 ministries/ departments of Government of India were issued to furnish their report in Form-5 of the Public Records Rules, 1997, in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above during the year 2009. The ministries/ departments were also requested to issue necessary directives to all their attached and subordinate offices, including public sector undertakings, statutory bodies, etc. under their administrative control to furnish the desired report in Form-5, in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above, so as to enable the Director General of Archives to compile and submit the report to the Government of India on the implementation of Public Records Act, 1993.

2.1 The present report has been prepared on the basis of the data received from various records creating agencies on the action taken by them during the year 2009 on the following aspects:-

1. Setting up of records rooms;
2. Nomination of records officers;
3. Training of records officers and staff;
4. Sharing of space for housing semi-current records;
5. Recording, reviewing and weeding out of semi-current records;
6. Appraisal of non-current records more than 25 years old;
7. Compilation/ revision of retention schedules of records of substantive functions;
8. Downgrading of classified records;
9. Compilation of annual indices to records;
10. Compilation of organisational history, and
11. Transfer of records of defunct bodies/ committees etc. to National Archives of India.

2.2 Details of information on the aforesaid aspects have been delineated in the chapters of the report.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

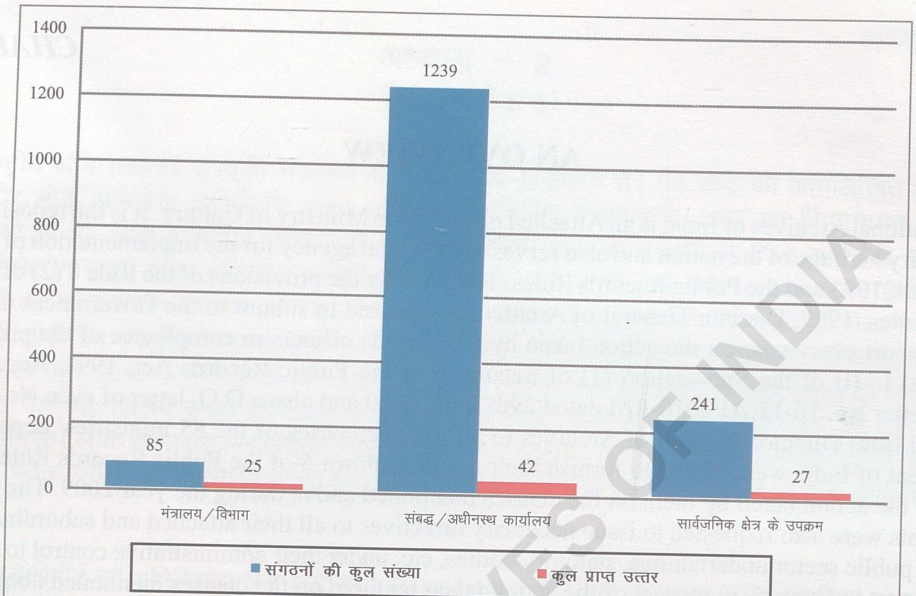

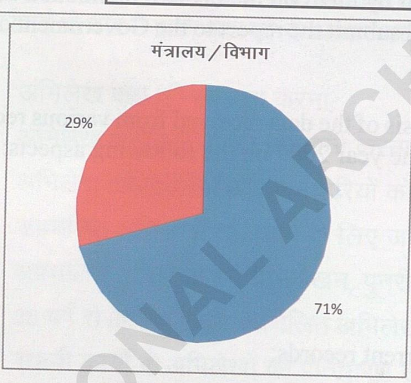

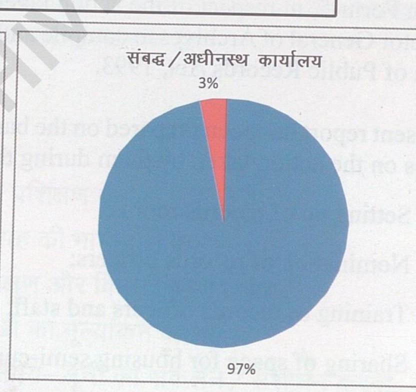

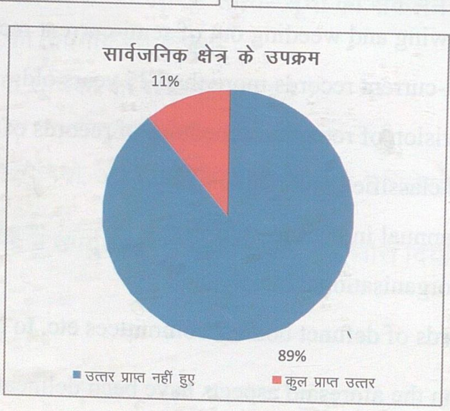

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

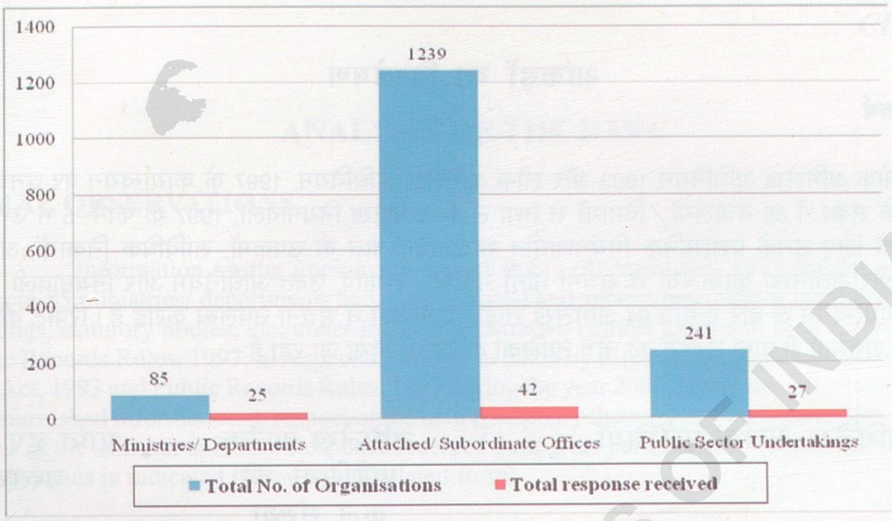

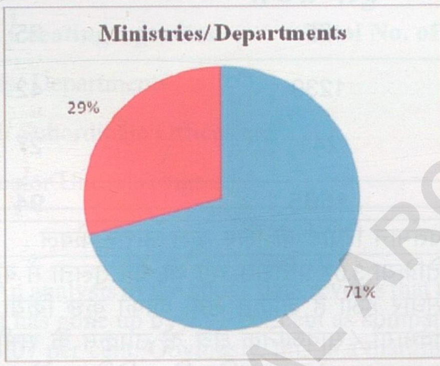

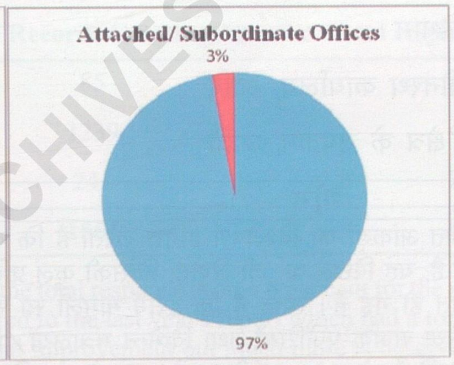

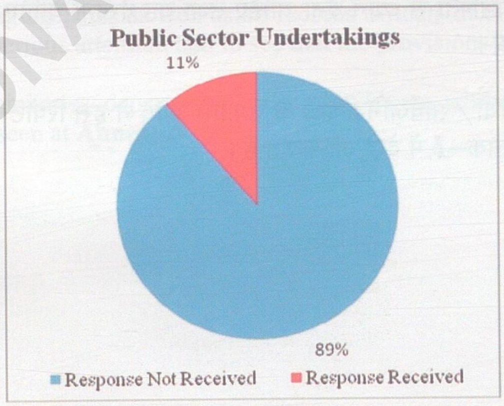

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

आंकड़ों का विश्लेषण

सामान्य निष्कर्ष

वर्ष 2009 में लोक अभिलेख अधिनियम 1993 और लोक अभिलेख अधिनियम, 1997 के कार्यान्वयन पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में 85 मंत्रालयों/विभागों से तथा लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के फार्म–5 में उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, आदि सहित उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना मांगी गई थी। तथापि, उक्त अधिनियम और नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के बारे में मात्र 94 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सूचना उपलब्ध कराई है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान विभिन्न संगठनों से प्राप्त उत्तरों को नीचे तालिका के रूप में दिया जा रहा है:–

अभिलेख सर्जक एजेंसियाँ	अभिलेख सर्जक एजेंसियों की कुल संख्या	प्राप्त हुए कुल उत्तर
मंत्रालय/विभाग	85	25
संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय, आदि	1239	42
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आदि	241	27
योग	**1565**	**94**

3.1 उपर्युक्त आंकड़ों का विश्लेषण इंगित करता है कि वर्तमान रिपोर्ट के लिए कुल उत्तर केवल 6 प्रतिशत बैठता है; यह पिछले वर्ष की रिपोर्ट, जिसकी कुल प्रतिक्रिया 3.07 प्रतिशत रही थी, की तुलना में बढ़कर 2.93 प्रतिशत हो गई है। स्पष्ट है कि इसमें मामूली सा सुधार हुआ है लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना है। अभिलेख सर्जक एजेंसियों तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सभी अभिलेख अधिकारियों को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए।

3.2 जिन मंत्रालयों/अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि ने इस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सूचना भेजी है उनके नाम अनुलग्नक–*1* में देखे जा सकते हैं।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-3

ANALYSIS OF THE DATA

GENERAL OBSERVATIONS

Information on the implementation of Public Records Act, 1993 for the year 2009 was sought from 85 ministries/ departments and their attached and subordinate offices including public sector undertakings, statutory bodies, etc. under their administrative control to furnish their report in Form-5 of the Public Records Rules, 1997, in respect of the action taken by them on the implementation of the Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997 during the year 2009. However, only 94 records creating agencies furnished information in respect of the action taken by them on the implementation of the various provisions of the said Act & Rules. Response received during the period under report from various records creating agencies is indicated below in a tabulated form:-

Records Creating Agencies	Total No. of Records Creating Agencies	Total response received
Ministries/ Departments	85	25
Attached/ Subordinate Offices etc.	1239	42
Public Sector Undertakings etc.	241	27
Total	**1565**	**94**

3.1 An analysis of the above data reveals that the total response is only 6 per cent for the present report; it has gone up by 2.93 per cent as compared to the last year's report which had a total response of 3.07 per cent. Obviously, this is a marginal improvement but much more is deserved to be done. The records creating agencies as well as all records officers of different ministries/ departments/ PSUs need to pay serious attention and to see that the provisions of the Act are adhered to.

3.2 The names of the ministries/ departments/ offices/ PSUs etc. which have furnished information for this report may be seen at **Annexure-I.**

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–4

अभिलेख कक्षों की स्थापना

एक सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष अभिलेखों की बेहतर प्रबंधन प्रणाली के लिए एक पूर्वापेक्षा है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5 की उप–धारा (2) में यह निर्धारित किया गया है कि सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को उपयुक्त स्थानों पर अपने अभिलेख कक्षों की स्थापना करनी चाहिए और प्रत्येक अभिलेख कक्ष, अभिलेख अधिकारी के प्रभार में होना चाहिए। विभागीय अभिलेख कक्ष स्थापित करने का उद्देश्य अभिलेखों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण करने तथा उन्हें अभिलेखबद्ध करने, समीक्षा, सूचिका बनाने और उन अभिलेखों को नष्ट करने, जिनकी अब जरूरत नहीं रह गई है, के लिए समय पर कार्रवाई करना है। अभिलेख सर्जक एजेंसियों का उक्त प्रावधान की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उन्हें अपने–अपने मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि में अभिलेख कक्ष स्थापित करने का अनुरोध किया। तथापि, इस संबंध में प्राप्त प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट होता है कि इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट्रीय अभिलेखागार अधिनियम की परिधि में आने वाली सभी एजेंसियों से अपने विभागीय अभिलेख कक्ष वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित और स्थापित करने का अनुरोध करता आ रहा है, इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। इस संबंध में अभिलेख सर्जक एजेंसियों की ओर से और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

4.1 कुल 94 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचना भेजी है। इनमें से 67 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय हैं और 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय आदि हैं। इस संबंध में प्राप्त की गई सूचना का विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार है।

4.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख कक्ष सुव्यवस्थित हैः केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला (कृषि मंत्रालय), नागपुर; वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग), नई दिल्ली; सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; वायु मुख्यालय, प्रचालन निदेशालय (एमआरपी) (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली; रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रलेखन केन्द्र (डीईएसआईडीओसी) (रक्षा मंत्रालय), दिल्ली; विनिवेश विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली; नमक आयुक्त का कार्यालय (वित्त मंत्रालय), जयपुर; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), नई दिल्ली; गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; महानिदेशालय का कार्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विभाग मंत्रालय), नई दिल्ली; राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), पुणे; श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली; खान सुरक्षा महानिदेशालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), धनबाद; खान मंत्रालय, नई दिल्ली; प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन), नई दिल्ली; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), मसूरी; रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, हिमाचल प्रदेश मण्डल (डाक विभाग), शिमला; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, कर्नाटक मण्डल (डाक विभाग), तिरुवनंतपुरम; प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली और योजना आयोग, नई दिल्ली।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-4

RECORDS ROOMS - SETTING UP OF

A well-organised departmental records room is one of the pre-requisites of sound records management system. Sub-section (2) of section 5 of the Public Records Act, 1993 stipulates that all records creating agencies should set up their records room at suitable locations and also place each records room under the charge of a records officer. The objective of setting up of the records room is to preserve the records scientifically and take timely action for their recording, reviewing, indexing and weeding out of those records which are no longer required to be retained. Drawing the attention of the records creating agencies to the said provision, National Archives of India requested them to set up records room in their respective ministry/ department/ office/ public sector undertaking etc. However, response received in this regard reveals that in spite of the fact that National Archives of India has been requesting all agencies falling under the purview of the Act to organise and set up their departmental records room in a scientific way, very little attention has been paid towards this important aspect. More efforts are required to be made by the records creating agencies in this regard.

4.1 In all, total 94 ministries/ departments/ offices and public sector undertakings have sent information, out of which 67 are ministries/ departments/ offices and 27 are public sector undertakings/ statutory bodies etc. Detailed analysis of information received in this regard is given below.

4.2 The following ministries/ departments/ offices have informed that their records rooms are well organised: Central Agmark Laboratory (Ministry of Agriculture), Nagpur; Department of Commerce (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Department of Information Technology (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Department of Posts (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Ministry of Defence, New Delhi; Air Headquarters, Directorate of Operations (MRP) (Ministry of Defence), New Delhi; Defence Scientific Information & Documentation Centre (DESIDOC) (Ministry of Defence), Delhi; Department of Disinvestment (Ministry of Finance), New Delhi; Office of the Salt Commissioner (Ministry of Finance), Jaipur; Department of Health and Family Welfare (Ministry of Health and Family Welfare), New Delhi; Ministry of Home, New Delhi; Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Department of Higher Education (Ministry of Human Resource Development), New Delhi; Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi; National Film Archive of India (Ministry of Information & Broadcasting), Pune; Ministry of Labour and Employment, New Delhi; Directorate General of Mines Safety (Ministry of Labour and Employment), Dhanbad; Ministry of Mines, New Delhi; Department of Administrative Reforms & Public Grievances (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), Mussoorie; Railway Board (Ministry of Railways), New Delhi; Department of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science and Technology), New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Central Soil & Materials Research Station (Ministry of Water Resources), New Delhi;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

4.3 निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख कक्ष पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हैं। इनके नाम हैं:– राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र (सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग) (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय, केरल और लक्षद्वीप (कारपोरेट कार्य मंत्रालय), केरल; उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय) नई दिल्ली; अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), मुंबई; राष्ट्रीय खान स्वास्थ्य संस्थान (खान मंत्रालय), नागपुर; सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), नई दिल्ली; ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, असम मण्डल (डाक विभाग), गुवाहाटी; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, हरियाणा मण्डल (डाक विभाग), अम्बाला; अधीक्षक का कार्यालय, केरल मण्डल स्टैम्प डिपो (डाक विभाग), केरल; डाक कार्यालयों के अधीक्षक का कार्यालय, मंजेरी प्रभाग (डाक विभाग), मंजेरी; डाक कार्यालयों के वरिष्ठ अधीक्षक का कार्यालय, त्रिशूर प्रभाग (डाक विभाग), त्रिशूर; अधीक्षक पोस्टल डिपो (डाक विभाग), त्रिशूर; क्षेत्रीय परिषद सचिवालय (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; श्रम कल्याण आयुक्त का कार्यालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), इलाहाबाद; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; उत्तरी रेलवे (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; अनुसंधान अभिकल्प और मानक अभिलेख सर्जक एजेंसी (रेल मंत्रालय), लखनऊ; भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय), नई दिल्ली; उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), अहमदाबाद; परियोजना मूल्यांकन अभिलेख सर्जक एजेंसी (योजना आयोग), बैंगलोर, परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), भुवनेश्वर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), शिमला; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (उत्तर रेलवे) (योजना आयोग), चंडीगढ़; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), कोलकाता और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), मुंबई।

4.4 औषध विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि विभाग का सृजन केवल 2 वर्ष पहले रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रभाग द्वारा किया गया था। विभाग अभी भी स्वयं को स्थापित कर रहा है।

4.5 आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सी एंड सी प्रभाग/सीएम प्रभाग/बजट प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

4.6 राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि सामान्य प्रशासन राजस्व (जीएआर) अनुभाग, राजस्व (मुख्यालय) से परामर्श किया जाए क्योंकि राजस्व विभाग का अभिलेख कक्ष उनके क्षेत्राधिकार में आता है।

4.7 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

4.8 विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को यह निर्देश दिया है कि अपेक्षित सूचना विद्युत मंत्रालय को अवगत कराते हुए सीधे प्रस्तुत की जाए।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Office of the Chief Postmaster General, H.P. Circle (Department of Posts), Shimla; Office of the Chief Postmaster General, Karnataka Circle (Department of Posts), Bangalore; Office of the Chief Postmaster General, Kerala Circle (Department of Posts), Thiruvananthapuram; Prime Minister's Office, New Delhi and Planning Commission, New Delhi.

4.3 The following records creating agencies have informed that their records rooms are not fully organised. These are:- National Informatics Centre (Department of Information Technology) (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Office of the Registrar of Companies, Kerala & Lakshadweep (Ministry of Corporate Affairs), Kerala; Department of Production (Ministry of Defence), New Delhi; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme (Ministry of Health and Family Welfare), Mumbai; National Institute of Miners' Health (Ministry of Mines), Nagpur; Institute of Secretariat Training & Management (Department of Personnel & Training) (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Bureau of Energy Efficiency (Ministry of Power), New Delhi; Office of the Chief Postmaster General, Assam Circle (Department of Posts), Guwahati; Office of the Chief Postmaster General, Haryana Circle (Department of Posts), Ambala; Office of the Superintendent Kerala Circle Stamp Depot (Department of Posts), Kerala; Office of the Superintendent of the Post Offices, Manjeri Division (Department of Posts), Manjeri; Office of the Senior Superintendent of Post Offices, Thrissur Division (Department of Posts), Thrissur; Superintendent Postal Depot (Department of Posts), Thrissur; Zonal Councils Secretariat (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Office of the Labour Welfare Commissioner (Ministry of Labour and Employment), Allahabad; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Northern Railway (Ministry of Railways), New Delhi; Research Designs & Standards Records creating agency (Ministry of Railways), Lucknow; Department of Land Resources (Ministry of Rural Development), New Delhi; Vice President's Secretariat, New Delhi; Project Evaluation Office (Planning Commission), Ahmedabad; Project Evaluation Records creating agency (Planning Commission), Bangalore; Project Evaluation Office (Planning Commission), Bhubaneswar; Project Evaluation Office (Planning Commission), Shimla; Project Evaluation Office (Planning Commission), Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Office (NR) (Planning Commission), Chandigarh; Regional Evaluation Office (Planning Commission), Kolkata and Regional Evaluation Office (Planning Commission), Mumbai.

4.4 Department of Pharmaceuticals (Ministry of Chemicals and Fertilizers), New Delhi has informed that the Department had been created only 2 years back by division of Department of Chemicals & Petrochemicals. The Department is still in the process of establishing itself.

4.5 Department of Economic Affairs (Ministry of Finance), New Delhi has directed to all its attached/ subordinate offices/ public sector undertakings working under the administrative control of C & C division/ CM division/ Budget division to furnish the requisite information.

4.6 Department of Revenue (Ministry of Finance), New Delhi has informed that the General Administration Revenue (GAR) Section, Revenue (Headquarters) may be consulted as the records room of the Department of Revenue falls under their jurisdiction.

राष्ट्रीय अभिलेखागार

4.9 शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को संगत अपेक्षित सूचना शहरी विकास मंत्रालय के समन्वय अनुभाग को सूचित करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार को सीधे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

4.10 डाक कार्यालय अधीक्षक का कार्यालय, ईरिनजालाकुडा प्रभाग (डाक विभाग), ईरिनजालाकुडा ने सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता।

4.11 डाक कार्यालय अधीक्षक का कार्यालय, तिरूर प्रभाग (डाक विभाग), तिरूर ने सूचित किया है कि तिरूर प्रभाग में ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

4.12 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया है कि उनके पास सुव्यवस्थित अभिलेख कक्ष हैं। इनके नाम हैं:– भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद; गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), कोलकाता; मैजागन डॉक लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), मुंबई; खनिज अन्वेषण कॉर्पोरेशन लिमिटेड (खान मंत्रालय); नागपुर; विद्युत वित्त कार्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), ऋषिकेश; ईरकन इंटरनेशनल लिमिटेड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; ड्रेडजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्नम; अंतर्देशीय भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण (पोत परिवहन मंत्रालय), नोएडा (उ.प्र.); मुंबई बंदरगाह ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), मुंबई; जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), मुंबई; विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्नम; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (वस्त्र मंत्रालय), लखनऊ; ट्राइफेड, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आदिवासी कार्य मंत्रालय), नई दिल्ली; बेतवा नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), झांसी; ब्रह्मपुत्र बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय, गुवाहाटी; केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), पुणे; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (जल संसाधन मंत्रालय), इंदौर (म.प्र.); राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली और वैपकोस लिमिटेड (जल संसाधन मंत्रालय), गुड़गांव (हरियाणा)।

4.13 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख कक्ष पूर्णतया व्यवस्थित नहीं हैं। ये हैं:– राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (विद्युत मंत्रालय, हरियाणा; राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय), नई दिल्ली; बनसागर नियंत्रण बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), रीवा (म.प्र.) और ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली।

4.14 संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा इनके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों को उन्हें अवगत कराते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार को सीधे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देने के बाद भी यदि रिपोर्टें प्राप्त नहीं होती हैं तो राष्ट्रीय अभिलेखागार से अनुस्मारक प्राप्त करने के बाद संबंधित मंत्रालयों/विभागों से कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वांछित सूचना राष्ट्रीय अभिलेखागार को समय पर भेजी जाए और उसे लोक अभिलेख अधिनियम 1993 तथा लोक अभिलेख नियमावली 1977 के कार्यान्वयन के अंतर्गत रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सके।

पैरा 4.8 के संबंध में राष्ट्रीय अभिलेखागार की ओर से राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली) से संबंधित

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

4.7 Department of Personnel & Training (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi has informed that necessary directions had been issued to all its attached/ subordinate offices including public sector undertaking etc. working under their administrative control.

4.8 Ministry of Power, New Delhi has directed to its attached/subordinate offices to submit that the requisite information may be furnished directly under intimation to the Ministry of Power.

4.9 Ministry of Urban Development, New Delhi has directed its all attached/ subordinate offices to furnish the relevant requisite information directly to the National Archives of India under intimation to Coordination Section of Ministry of Urban Development.

4.10 Office of the Superintendent of Post Offices, Irinjalakuda Division (Department of Posts), Irinjalakuda has informed that this is not applicable to them.

4.11 Office of the Superintendent of Post Offices, Tirur Division (Department of Posts), Tirur has intimated that no such arrangement exists in Tirur Division.

4.12 The following public sector undertakings/ statutory bodies etc. have reported that they have well organised records rooms. These are:- Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence), Hyderabad; Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (Ministry of Defence), Kolkata; Mazagon Dock Limited (Ministry of Defence), Mumbai; Mineral Exploration Corporation Limited (Ministry of Mines), Nagpur; Power Finance Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi; Rural Electrification Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi; Tehri Hydro Development Corporation India Limited (Ministry of Power), Rishikesh; IRCON International Limited (Ministry of Railways), New Delhi; Dredging Corporation of India Limited (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; Inland Waterways Authority of India (Ministry of Shipping), Noida (U.P.); Mumbai Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai; Jawaharlal Nehru Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai; Visakhapatnam Port Trust (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; National Handloom Development Corporation Limited (Ministry of Textiles), Lucknow; TRIFED, Quality Control, Research & Development Centre (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi; Betwa River Board (Ministry of Water Resources), Jhansi; Brahmaputra Board (Ministry of Water Resources), Guwahati; Central Water & Power Research Station (Ministry of Water Resources), Pune; Narmada Control Authority (Ministry of Water Resources), Indore (M.P.); National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi and WAPCOS Limited (Ministry of Water Resources), Gurgaon (Haryana).

4.13 The following public sector undertakings/ statutory bodies etc. have informed that their records rooms are not fully organised. These are:- National Power Training Institute (Ministry of Power), Haryana; National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation (Ministry of Social Justice & Empowerment), New Delhi; Bansagar Control Board (Ministry of Water Resources), Rewa (M.P.) and Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi.

4.14 After the directions given by the concerned ministries/ departments to their subordinate/ attached offices for submission of their reports directly to National Archives of India under intimation to

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

सूचना प्राप्त करने संबंधी अपेक्षित कार्रवाई करने के संबंध में उनसे सामान्य प्रशासनिक राजस्व (जीएआर) अनुभाग, राजस्व (मुख्यालय), नई दिल्ली से आवश्यक सूचना एकत्र करने और भविष्य में उसे प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

them, if not received the same, then the steps are required from concerned ministries/ departments after receiving the reminders from National Archives of India to ensure that the desired information should be sent in time to National Archives of India for inclusion of the same in the report under the implementation of Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997.

As regard, para 4.8 the action required on the part of National Archives of India to seek the relevant information from Department of Revenue, (Ministry of Finance, New Delhi) requesting them to collect the necessary information from General Administrative Revenue (GAR) Section, Revenue (Headquarters), New Delhi and submit the same to National Archives of India on priority basis in future.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–5

अभिलेख अधिकारियों का नामांकन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5(1) में यह निर्धारित है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी को अपने एक अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के तहत निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करने के लिए नामित करना होगा। अभिलेख अधिकारी से अपेक्षित है कि वह अपने संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों में विभिन्न अनुभागों/प्रभागों में समन्वय रखे एवं मार्गदर्शन दे और महत्वपूर्ण कार्यों के अभिलेख प्रतिधारण समय–सारणी के संकलन, अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन, स्थायी प्रकृति के 25 वर्ष से पुराने अभिलेखों के वैज्ञानिक संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित करने के संबंध में महानिदेशक अभिलेखागार के साथ संपर्क भी बनाए रखे। इसको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अधिनियम की परिधि में आने वाली सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से अभिलेख अधिकारियों को जल्द से जल्द नामित करने का अनुरोध किया है। अभी तक 982 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने अपने अधिकारियों में से एक अधिकारी को अभिलेख अधिकारी के रूप में नामित किया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान 94 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/पीएसयू ने इस संबंध में अपेक्षित सूचना भेजी है। प्राप्त उत्तरों का विवरण नीचे दिया गया है।

5.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अभिलेख अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। इनके नाम हैं:– वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; विनिवेश विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली; नमक आयुक्त का कार्यालय (वित्त मंत्रालय), जयपुर; महानिदेशालय का कार्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विभाग मंत्रालय), नई दिल्ली; खान सुरक्षा महानिदेशालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), धनबाद; रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय), नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, कर्नाटक मण्डल (डाक विभाग), बैंगलोर और योजना आयोग, नई दिल्ली।

5.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके यहाँ कोई अभिलेख अधिकारी नहीं है। इनके नाम हैं:– क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), नई दिल्ली; अनुसंधान अभिकल्प और मानक अभिलेख सर्जक एजेंसी (रेल मंत्रालय), लखनऊ; प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (उत्तर रेलवे) (योजना आयोग), चंडीगढ़; परियोजना मूल्यांकन अभिलेख सर्जक एजेंसी (योजना आयोग), बैंगलोर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), भुवनेश्वर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), शिमला और परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), तिरुवनंतपुरम।

5.3 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके यहां अभिलेख अधिकारी हैं लेकिन वे प्रशिक्षित नहीं हैं। इनके नाम हैं:– केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला (कृषि मंत्रालय), नागपुर; औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग), नई दिल्ली; राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; वायु मुख्यालय, प्रचालन निदेशालय (एमआरपी) (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली; रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रलेखन केन्द्र (डीईएसआईडीओसी) (रक्षा मंत्रालय), दिल्ली; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), नई दिल्ली; गृह मंत्रालय, नई

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-5

RECORDS OFFICERS - NOMINATION OF

Section 5(1) of the Public Records Act, 1993 stipulates that every records creating agency shall nominate one of its officers as records officer to discharge the functions as outlined under Section 6(1) of the said Act. The records officer is required to coordinate and guide various sections/ divisions of their respective records creating agencies as well as liaisoning with the Director General of Archives regarding the compilation of records retention schedule of substantive functions, appraisal of non-current records and transfer of records of permanent nature which are 25 years old to National Archives of India for scientific preservation. Taking into consideration the said provisions, National Archives of India has requested all the records creating agencies falling under the purview of the Act to nominate records officer at their earliest. So far, 982 records creating agencies have nominated one of their officers as records officer. During the period under report, 94 ministries/ departments/ offices/ PSUs have furnished the requisite information in this regard. Details of replies received are given below.

5.1 Following ministries/ departments/ offices have trained records officers. These are:- Department of Commerce (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Department of Information Technology (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Department of Posts (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Ministry of Defence, New Delhi; Department of Disinvestment (Ministry of Finance), New Delhi; Office of the Salt Commissioner (Ministry of Finance), Jaipur; Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Department of Higher Education (Ministry of Human Resource Development), New Delhi; Directorate General of Mines Safety (Ministry of Labour and Employment), Dhanbad; Railway Board (Ministry of Railways), New Delhi; Department of Land Resources (Ministry of Rural Development), New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Office of the Chief Postmaster General, Karnataka Circle (Department of Posts), Bangalore and Planning Commission, New Delhi.

5.2 The following ministries/ departments/ offices have informed that they have no records officer. These are:- Directorate of Field Publicity (Ministry of Information & Broadcasting), New Delhi; Research Designs & Standards Organization (Ministry of Railways), Lucknow; Prime Minister's Office, New Delhi; Regional Evaluation Office (NR) (Planning Commission), Chandigarh; Project Evaluation Records creating agency (Planning Commission), Bangalore; Project Evaluation Office (Planning Commission), Bhubaneswar; Project Evaluation Office (Planning Commission), Shimla and Project Evaluation Office (Planning Commission), Thiruvananthapuram.

5.3 The following ministries/ departments/ offices have informed that they have records officers but they are not trained. These are:- Central Agmark Laboratory (Ministry of Agriculture), Nagpur; Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; National Informatics Centre (Department of Information Technology) (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Air Headquarters, Directorate of Operations (MRP) (Ministry of Defence), New Delhi; Defence Scientific Information & Documentation Centre (DESIDOC) (Ministry of Defence), Delhi; Department of Health and Family Welfare (Ministry of

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

दिल्ली; क्षेत्रीय परिषद सचिवालय (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), पुणे; श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली; श्रम कल्याण आयुक्त का कार्यालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), इलाहाबाद; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; खान मंत्रालय, नई दिल्ली; प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), नई दिल्ली; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), मसूरी; उत्तरी रेलवे (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, हिमाचल प्रदेश मण्डल (डाक विभाग), शिमला; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, केरल मण्डल (डाक विभाग), तिरुवनंतपुरम; उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, (योजना आयोग), कोलकाता।

5.4 निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियो ने सूचित किया है कि वे छोटी अभिलेख सर्जक एजेंसियां हैं और वे समझते हैं कि उन्हें कोई अभिलेख अधिकारी नामित करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कार्यालयों ने 'शून्य' उत्तर भेजे हैं। इनके नाम हैः– रजिस्ट्रार कंपनी का कार्यालय, केरल और लक्षद्वीप (कारपोरेट कार्य मंत्रालय), केरल; उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय) नई दिल्ली; अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), मुंबई; राष्ट्रीय खान स्वास्थ्य संस्थान (खान मंत्रालय), नागपुर; सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), नई दिल्ली; ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, असम मण्डल (डाक विभाग), गुवाहाटी; अधीक्षक का कार्यालय, केरल मण्डल स्टैम्प डिपो (डाक विभाग), कोच्चि; डाक कार्यालयों के अधीक्षक का कार्यालय, मंजेरी प्रभाग (डाक विभाग), मंजेरी और अधीक्षक पोस्टल डिपो (डाक विभाग), त्रिशूर।

5.5 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि अभिलेख अधिकारी का नामांकन और प्रशिक्षण उनसे संबंधित नहीं है और उन पर लागू नहीं होता। इनके नाम हैंः– मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, हरियाणा मण्डल (डाक विभाग), अम्बाला; और डाक कार्यालयों के अधीक्षक का कार्यालय, ईरिनजालाकुडा प्रभाग (डाक विभाग) ईरिनजालाकुडा।

5.6 औषध विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि विभाग का सृजन केवल 2 वर्ष पहले रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रभाग द्वारा किया गया था। विभाग अभी भी स्वयं को स्थापित कर रहा है।

5.7 आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सी एंड सी प्रभाग/सीएम प्रभाग/बजट प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

5.8 राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि सामान्य प्रशासन राजस्व (जीएआर) अनुभाग, राजस्व (मुख्यालय) से परामर्श किया जाए क्योंकि राजस्व विभाग का अभिलेख कक्ष उनके क्षेत्राधिकार में आता है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Health and Family Welfare), New Delhi; Ministry of Home, New Delhi; Zonal Councils Secretariat (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi; National Film Archive of India (Ministry of Information & Broadcasting), Pune; Ministry of Labour and Employment, New Delhi; Office of the Labour Welfare Commissioner (Ministry of Labour and Employment), Allahabad; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Ministry of Mines, New Delhi; Department of Administrative Reforms & Public Grievances (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), Mussoorie; Northern Railway (Ministry of Railways), New Delhi; Department of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science and Technology), New Delhi; Central Soil & Materials Research Station (Ministry of Water Resources), New Delhi; Office of the Chief Postmaster General, H.P. Circle (Department of Posts), Shimla; Office of the Chief Postmaster General, Kerala Circle (Department of Posts), Thiruvananthapuram; Vice President's Secretariat, New Delhi and Regional Evaluation Office (Planning Commission), Kolkata.

5.4 The following records creating agencies have informed that they are small records creating agencies and they do not feel the necessity of nominating a records officer. Some offices have given 'Nil' replies. These are:- Office of Registrar of Companies, Kerala & Lakshadweep (Ministry of Corporate Affairs), Kerala; Department of Production (Ministry of Defence), New Delhi; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme (Ministry of Health and Family Welfare), Mumbai; National Institute of Miners' Health (Ministry of Mines), Nagpur; Institute of Secretariat Training & Management (Department of Personnel & Training) (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Bureau of Energy Efficiency (Ministry of Power), New Delhi; Office of the Chief Postmaster General, Assam Circle (Department of Posts), Guwahati; Office of the Superintendent Kerala Circle Stamp Depot (Department of Posts), Kochi; Office of the Superintendent of Posts Offices, Manjeri Division (Department of Posts), Manjeri and Superintendent Postal Stores Depot (Department of Posts), Thrissur.

5.5 The following ministries/ departments/ offices have informed that nomination and training of records officer is not relevant and not applicable to them. These are:- Office of the Chief Postmaster General, Haryana Circle (Department of Posts), Ambala and Office of the Superintendent of Post Offices, Irinjalakuda Division (Department of Posts), Irinjalakuda.

5.6 Department of Pharmaceuticals (Ministry of Chemicals and Fertilizers), New Delhi has informed that the Department had been created only 2 years back by division of Department of Chemicals & Petrochemicals. The Department is still in the process of establishing itself.

5.7 Department of Economic Affairs (Ministry of Finance), New Delhi has directed to all its attached/ subordinate offices/ public sector undertakings working under the administrative control of C & C division/ CM division/ Budget division to furnish the requisite information.

5.8 Department of Revenue (Ministry of Finance), New Delhi has informed that the General Administration Revenue (GAR) Section, Revenue (Headquarters) may be consulted as the records room of the Department of Revenue falls under their jurisdiction.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

5.9 विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को यह निर्देश दिया है कि अपेक्षित सूचना विद्युत मंत्रालय को अवगत कराते हुए सीधे प्रस्तुत की जाए।

5.10 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

5.11 शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को संगत अपेक्षित सूचना शहरी विकास मंत्रालय के समन्वय अनुभाग को सूचित करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार को सीधे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

5.12 डाक कार्यालय अधीक्षक का कार्यालय, तिरूर प्रभाग (डाक विभाग), तिरूर ने सूचित किया है कि तिरूर प्रभाग में ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

5.13 परियोजना मूल्यांकन अधिकारी (योजना आयोग), अहमदाबाद और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), मुंबई ने सूचित किया है कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके कार्यालय काफी छोटे हैं।

5.14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों में पूर्णकालिक अभिलेख अधिकारी हैं और वे प्रशिक्षित हैं। इनके नाम हैं:– भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद; गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), कोलकाता; खनिज अन्वेषण कॉर्पोरेशन लिमिटेड (खान मंत्रालय); नागपुर; विद्युत वित्त कार्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; ड्रेडजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्नम; मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), मुंबई; जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), मुंबई; विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्नम; राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय), नई दिल्ली; ट्राइफेड, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आदिवासी कार्य मंत्रालय), नई दिल्ली; केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), पुणे; राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली।

5.15 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उन्हें यहां कोई अभिलेख अधिकारी नहीं हैं। कुछ कार्यालयों ने अपनी रिपोर्ट 'शून्य' भेजी है। इनके नाम हैं:– गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), गोवा; राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (विद्युत मंत्रालय), फरीदाबाद (हरियाणा) और ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली।

5.16 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके यहां अभिलेख अधिकारी हैं लेकिन प्रशिक्षित नहीं हैं। इनके नाम हैं:– मैजागन डॉक लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), मुंबई; ईरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (पोत परिवहन मंत्रालय), नोएडा (उ.प्र.); राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (वस्त्र मंत्रालय), गुवाहाटी; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (जल संसाधन मंत्रालय), इन्दौर (म.प्र.) और वैपकोस लिमिटेड (जल संसाधन मंत्रालय), गुड़गांव (हरियाणा)।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

5.9 Ministry of Power, New Delhi has directed to its attached/subordinate offices to submit that the requisite information may be furnished directly under intimation to the Ministry of Power.

5.10 Department of Personnel & Training (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi has informed that necessary directions had been issued to all its attached/ subordinate offices including public sector undertaking etc. working under their administrative control.

5.11 Ministry of Urban Development, New Delhi has directed its all attached/ subordinate offices to furnish the relevant requisite information directly to the National Archives of India under intimation to Coordination Section of Ministry of Urban Development.

5.12 Office of the Superintendent of Post Offices, Tirur Division (Department of Posts), Tirur has intimated that no such arrangement exists in Tirur Division.

5.13 Project Evaluation Office (Planning Commission), Ahmedabad and Regional Evaluation Office (Planning Commission), Mumbai have informed that they are not required as their offices are very small.

5.14 As regards the public sector undertakings/ statutory bodies, the following public sector undertakings have fulltime records officers and they are trained. These are:- The Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence), Hyderabad; Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (Ministry of Defence), Kolkata; Mineral Exploration Corporation Limited (Ministry of Mines), Nagpur; Power Finance Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi; Rural Electrification Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi; Dredging Corporation of India Limited (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; Mumbai Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai; Jawaharlal Nehru Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai; Visakhapatnam Port Trust (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation (Ministry of Social Justice & Empowerment), New Delhi; TRIFED, Quality Control, Research & Development Centre (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi; Central Water & Power Research Station (Ministry of Water Resources), Pune; National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi and

5.15 The following public sector undertakings have informed that they have no records officer. Some offices have given their report 'Nil', these are:- Goa Shipyard Limited (Ministry of Defence), Goa; National Power Training Institute (Ministry of Power), Faridabad (Haryana) and Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi.

5.16 Following public sector undertakings have informed that they have records officers but not trained. These are:- Mazagon Dock Limited (Ministry of Defence), Mumbai; IRCON International Limited (Ministry of Railways), New Delhi; Inland Waterways Authority of India (Ministry of Shipping), Noida (U.P.); National Handloom Development Corporation Limited (Ministry of Textiles), Lucknow; Bansagar Control Board (Ministry of Water Resources), Rewa (M.P.); Betwa River Board (Ministry of Water Resources), Jhansi; Brahmaputra Board (Ministry of Water Resources), Guwahati; Narmada Control Authority (Ministry of Water Resources), Indore (M.P.) and WAPCOS Limited (Ministry of Water Resources), Gurgaon (Haryana).

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

5.17 टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), ऋषिकेश और एन्नोर पोर्ट लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय) चेन्नई ने सूचित किया है कि विभिन्न विभागों में कार्यालयों द्वारा अभिलेख रखे जा रहे हैं। समर्पित अभिलेख अधिकारियों को नामित किया जा रहा है।

5.18 कुछ मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने विभागीय अभिलेख कक्षों की स्थापना नहीं की है या उनके यहां कोई अभिलेख अधिकारी नहीं है, कुछ ने सूचित किया है कि उनके यहां अभिलेख अधिकारी हैं लेकिन वे प्रशिक्षित नहीं हैं और इसलिए यह उन पर लागू नहीं होता। इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से यह कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है कि उन्हें अपने विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना करनी चाहिए और यदि वे धारा 5(1) और (2) के अंतर्गत प्रशिक्षित नहीं हैं तो अपने विभागीय अभिलेख अधिकारियों को नामित करके उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रमों के लिए भेजा जाना चाहिए, ताकि लोक अभिलेख अधिनियम और लोक अभिलेख नियमावली 1993 और 1997 का अनुपालन और कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

5.17 Tehri Hydro Development Corporation India Limited (Ministry of Power), Rishikesh and Ennore Port Limited (Ministry of Shipping), Chennai informed that records are being maintained by the offices in different department. Dedicated records officers are being nominated.

5.18 Some ministries/ departments and Public Sector Undertakings have informed that they have not established their Departmental Records Rooms or they have no records officers, some have informed that they have records officers but not trained. Some have informed that nomination and training of records officer is not relevant and not applicable to them. In this regard the steps are required from the concerned ministries/ departments/ offices that they should establish their Departmental Records Room and to nominate their Departmental Records Officers and send them for Orientation Courses conducted by National Archives of India, if they are not trained, under Section 5(1) & (2) ensuring compliance and implementation of the Public Records Act and Public Records Rules of 1993 and 1997.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–6

अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी

यह देखा गया है कि अर्द्ध–प्रचलित चरण में अभिलेखों का उनकी अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अच्छी तरह ध्यान नहीं रखा जाता, विशेषकर ऐसे मामलों में जहाँ अलग से अभिलेख कक्ष नहीं बनाए गए हैं, वहाँ या तो इन अभिलेखों को गलियारों में रख दिया जाता है या अलमारियों में बेतरतीब ढंग से रख दिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति अभिलेखों के रखरखाव के लिए उपयुक्त नहीं है और परिणामस्वरूप इनमें से कई अभिलेख, जिनमें महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, नष्ट हो सकते हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से उनके एनेक्सी भवन, नई दिल्ली में तथा भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय तथा जयपुर, पुड्डुचेरी और भुवनेश्वर के अभिलेख केंद्रों में स्थान की भागीदारी करने का प्रस्ताव दे रहा है।

6.1 कुल 94 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सूचना भेजी है, उनमें से 67 सरकारी और 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। ज्यादातर सरकारी अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने नकारात्मक उत्तर दिया है और कुछ कार्यालयों ने स्थान की भागीदारी के लिए इच्छा दर्शाई है या पहले से ही अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार, एनेक्सी भवन, नई दिल्ली और इसके क्षेत्रीय अभिलेख केन्द्रों, भोपाल, जयपुर, पुड्डुचेरी और भुवनेश्वर में स्थानांतरित कर दिए हैं। इस संबंध में प्राप्त उत्तरों के विवरण इस प्रकार हैं:

6.2 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों के नाम, जो राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में स्थान की भागीदारी के इच्छुक हैं: नमक आयुक्त का कार्यालय (वित्त मंत्रालय), जयपुर और राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), पुणे।

6.3 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों के नाम, जो राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, भोपाल में अपने क्षेत्रीय कार्यालय तथा जयपुर, पुड्डेचरी, भुवनेश्वर में अपने अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों को रखने के लिए स्थान की भागीदारी के लिए तैयार नहीं हैं और जिन्होंने 'नहीं' में उत्तर दिया है। इनके नाम हैं:– केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला (कृषि मंत्रालय), नागपुर; वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; वायु मुख्यालय, प्रचालन निदेशालय (एमआरपी) (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली; रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रलेखन केन्द्र (डीईएसआईडीओसी) (रक्षा मंत्रालय), दिल्ली; विनिवेश विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), नई दिल्ली; गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; महानिदेशालय का कार्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; क्षेत्रीय परिषद सचिवालय (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), नई दिल्ली; क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), नई दिल्ली; सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली; श्रम कल्याण आयुक्त का कार्यालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), इलाहाबाद; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर, खान मंत्रालय, नई दिल्ली; प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन), नई दिल्ली; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्मिक, लोक शिकयत और पेंशन), मसूरी; रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; भूमि संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, केरल मण्डल (डाक विभाग), तिरुवनंतपुरम; वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर का कार्यालय, त्रिशूर प्रभाग

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-6

SHARING OF SPACE FOR SEMI-CURRENT RECORDS

It has been observed that during their semi-current stage the records are not well cared for by the records creating agencies, especially in the case where a separate records room has not been organised, either these records are dumped in the corridors or stacked haphazardly in the almirahs. Such conditions are not conducive to the health of the records and as a result many of these records, containing valuable information, may perish. Keeping all these issues in mind, National Archives of India has been inviting all the records creating agencies to share space in its Annexe Building, New Delhi and also in its Regional Office at Bhopal and its three Records Centres at Jaipur, Puducherry and Bhubaneswar.

6.1 In all, 94 records creating agencies have furnished information, out of which 67 are the Government records creating agencies and 27 are public sector undertakings. Most of the Government records creating agencies have given negative responses and only few offices have shown their willingness to share space at National Archives of India, Annexe Building, New Delhi and its Regional Records Centers at Bhopal, Jaipur, Puducherry, and Bhubaneswar. Details of replies received in this regard are as follow:

6.2 The following ministries/ departments/ offices who are willing to share space at Records Centres, Jaipur. These are: Office of the Salt Commissioner (Ministry of Finance), Jaipur and National Film Archive of India (Ministry of Information & Broadcasting), Pune.

6.3 The following ministries/ departments/ offices who do not want to share space at present in the National Archives of India, New Delhi, its Regional Office at Bhopal and Records Centres at Jaipur, Puducherry, Bhubaneswar for housing their semi-current records and replied 'No', these are:- Central Agmark Laboratory (Ministry of Agriculture), Nagpur; Department of Commerce (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Ministry of Defence, New Delhi; Air Headquarters, Directorate of Operations (MRP) (Ministry of Defence), New Delhi; Defence Scientific Information & Documentation Centre (DESIDOC) (Ministry of Defence), Delhi; Department of Disinvestment (Ministry of Finance), New Delhi; Department of Health and Family Welfare (Ministry of Health and Family Welfare), New Delhi; Ministry of Home, New Delhi; Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Zonal Councils Secretariat (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Department of Higher Education (Ministry of Human Resource Development), New Delhi; Directorate of Field Publicity (Ministry of Information & Broadcasting), New Delhi; Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi; Ministry of Labour and Employment, New Delhi; Office of the Labour Welfare Commissioner (Ministry of Labour and Employment), Allahabad; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Ministry of Mines, New Delhi; Department of Administrative Reforms & Public Grievances (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), Mussoorie; Railway Board (Ministry of Railways), New Delhi; Department of Land Resources (Ministry of Rural Development), New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Central Soil & Materials Research Station

(डाक विभाग), त्रिशूर, उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली, योजना आयोग, नई दिल्ली, परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), अहमदाबाद, परियोजना मूल्यांकन अभिलेख सर्जक एजेंसी (योजना आयोग), बैंगलोर, परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), भुवनेश्वर, परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), शिमला, परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), तिरुवनंतपुरम, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, (योजना आयोग), (एनआर), चंडीगढ़, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, (योजना आयोग), कोलकाता और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), मुंबई।

6.4 मंत्रालय/विभाग कार्यालय, जिन्होंने उत्तर दिया है कि उनके पास अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों के भण्डारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, के नाम हैं: डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली और मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, कर्नाटक मण्डल (डाक विभाग), बैंगलोर।

6.5 निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियो ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है। इनके नाम हैं:– रजिस्ट्रार कंपनी का कार्यालय, केरल और लक्षद्वीप (कारपोरेट कार्य मंत्रालय), केरल, उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय) नई दिल्ली, राष्ट्रीय खान स्वास्थ्य संस्थान (खान मंत्रालय), नागपुर, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), नई दिल्ली, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, असम मण्डल (डाक विभाग), गुवाहाटी, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, हिमाचल प्रदेश मण्डल (डाक विभाग), शिमला, अधीक्षक का कार्यालय, केरल मण्डल स्टैम्प डिपो (डाक विभाग), कोच्चि, डाकघर अधीक्षक का कार्यालय, मंजेरी प्रभाग (डाक विभाग), मंजेरी, अधीक्षक डाक भण्डार डिपो (डाक विभाग), त्रिशूर और प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।

6.6 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय, जिन्होंने यह उत्तर दिया है कि यह उन पर लागू नहीं होता, के नाम हैं: राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली, खान सुरक्षा महानिदेशालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), धनबाद, उत्तरी रेलवे (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली, अनुसंधान अभिकल्प और मानक अभिलेख सर्जक एजेंसी (रेल मंत्रालय), लखनऊ, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली, अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), मुंबई, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, हरियाणा मण्डल (डाक विभाग), अम्बाला और अधीक्षक डाकघर का कार्यालय, ईरिनजालाकुडा प्रभाग (डाक विभाग), ईरिनजालाकुडा।

6.7 औषध विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि विभाग का सृजन केवल 2 वर्ष पहले रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रभाग द्वारा किया गया था। विभाग अभी भी स्वयं को स्थापित कर रहा है।

6.8 आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सी एंड सी प्रभाग/सीएम प्रभाग/बजट प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(Ministry of Water Resources), New Delhi; Office of the Chief Postmaster General, Kerala Circle (Department of Posts), Thiruvananthapuram; Office of the Senior Superintendent of Post Offices, Thrissur Division (Department of Posts), Thrissur; Vice President's Secretariat, New Delhi; Planning Commission, New Delhi; Project Evaluation Office (Planning Commission), Ahmedabad; Project Evaluation Records creating agency (Planning Commission), Bangalore; Project Evaluation Office (Planning Commission), Bhubaneswar; Project Evaluation Office (Planning Commission), Shimla; Project Evaluation Office (Planning Commission), Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Office (NR) (Planning Commission), Chandigarh; Regional Evaluation Office (Planning Commission), Kolkata and Regional Evaluation Office (Planning Commission), Mumbai.

6.4 The ministries/ departments/ offices who have replied that they have no such records for storage of semi-current records are as follows:- Department of Posts (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi and Office of the Chief Postmaster General, Karnataka Circle (Department of Posts), Bangalore.

6.5 The following records creating agencies have furnished 'Nil' report. These are:- Office of Registrar of Companies, Kerala & Lakshadweep (Ministry of Corporate Affairs), Kerala; Department of Production (Ministry of Defence), New Delhi; National Institute of Miners' Health (Ministry of Mines), Nagpur; Institute of Secretariat Training & Management (Department of Personnel & Training) (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Bureau of Energy Efficiency (Ministry of Power), New Delhi; Office of the Chief Postmaster General, Assam Circle (Department of Posts), Guwahati: Office of the Chief Postmaster General, H.P. Circle (Department of Posts), Shimla; Office of the Superintendent Kerala Circle Stamp Depot (Department of Posts), Kochi; Office of the Superintendent of Posts Office (Department of Posts), Manjeri; Superintendent Postal Stores Depot (Department of Posts), Thrissur and Prime Minister's Office, New Delhi.

6.6 The ministries/ departments/ offices who replied that it is not applicable to them are as follows:- National Informatics Centre (Department of Information Technology) (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Directorate General of Mines Safety (Ministry of Labour and Employment), Dhanbad; Northern Railway (Ministry of Railways), New Delhi; Research Designs & Standards Records creating agency (Ministry of Railways), Lucknow; Department of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science and Technology), New Delhi; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme (Ministry of Health and Family Welfare), Mumbai; Office of the Chief Postmaster General, Haryana Circle (Department of Posts), Ambala and Office of the Superintendent of Post Offices, Irinjalakuda Division (Department of Posts), Irinjalakuda.

6.7 Department of Pharmaceuticals (Ministry of Chemicals and Fertilizers), New Delhi has informed that the Department had been created only 2 years back by division of Department of Chemicals & Petrochemicals. The Department is still in the process of establishing itself.

6.8 Department of Economic Affairs (Ministry of Finance), New Delhi has directed all its attached/ subordinate offices/ public sector undertakings working under the administrative control of C & C division/ CM division/ Budget division to furnish the requisite information.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

6.9 राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि सामान्य प्रशासन राजस्व (जीएआर) अनुभाग, राजस्व (मुख्यालय) से परामर्श किया जाए क्योंकि राजस्व विभाग का अभिलेख कक्ष उनके क्षेत्राधिकार में आता है।

6.10 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित अपने सभी संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

6.11 विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों को यह निर्देश दिया है कि अपेक्षित सूचना विद्युत मंत्रालय को अवगत कराते हुए सीधे प्रस्तुत की जाए।

6.12 शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने सभी संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों को संगत अपेक्षित सूचना शहरी विकास मंत्रालय के समन्वय अनुभाग को सूचित करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार को सीधे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

6.13 डाक कार्यालय अधीक्षक का कार्यालय, तिरूर प्रभाग (डाक विभाग), तिरूर ने सूचित किया है कि तिरूर प्रभाग में ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

6.14 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया है कि वे किसी न किसी कारण से अभिलेख भण्डारण स्थान को बांटना नहीं चाहते। इनके नाम हैं:– भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद; गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), कोलकाता; गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), गोवा; खनिज अन्वेषण कॉर्पोरेशन लिमिटेड (खान मंत्रालय); नागपुर; विद्युत वित्त कार्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), ऋषिकेश; ईरकन इंटरनेशनल लिमिटेड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; ड्रेडजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्नम; एन्नोर पोर्ट लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), चेन्नई; अंतर्देशीय भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण (पोत परिवहन मंत्रालय), नोएडा (उ.प्र.); मुंबई बंदरगाह ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), मुंबई; जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), मुंबई; विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्नम; राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय), नई दिल्ली; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (वस्त्र मंत्रालय), लखनऊ; बेतवा नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), झांसी; ब्रह्मपुत्र बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय, गुवाहाटी; केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), पुणे; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (जल संसाधन मंत्रालय), इंदौर (म.प्र.); ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली और वैपकोस लिमिटेड (जल संसाधन मंत्रालय), गुड़गांव (हरियाणा)।

6.15 बनसागर नियंत्रण बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), रीवा और राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (विद्युत मंत्रालय), फरीदाबाद (हरियाणा) ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है।

6.16 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों / सांविधिक निकायों आदि ने उत्तर दिया है कि यह प्रावधान उन पर लागू नहीं होता है। इनके नाम हैं: मैजागन डॉक लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), मुंबई; अंतर्देशीय भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण (पोत परिवहन मंत्रालय), नोएडा (उ.प्र.) और ट्राइफेड, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आदिवासी कार्य मंत्रालय), नई दिल्ली।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

6.9 Department of Revenue (Ministry of Finance), New Delhi has informed that the General Administration Revenue (GAR) Section, Revenue (Headquarters) may be consulted as the records room of the Department of Revenue falls under their jurisdiction.

6.10 Department of Personnel & Training (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi has informed that necessary directions had been issued all its attached/ subordinate offices including public sector undertaking etc. working under their administrative control.

6.11 Ministry of Power, New Delhi has directed its attached/subordinate offices to submit the requisite information directly to this Department.

6.12 Ministry of Urban Development, New Delhi has directed its all attached/ subordinate offices to furnish the relevant requisite information directly to the National Archives of India under intimation to Coordination Section of Ministry of Urban Development.

6.13 Office of the Superintendent of Post Offices, Tirur Division (Department of Posts), Tirur has intimated that no such arrangement exists in Tirur Division.

6.14 The following public sector undertakings/ statutory bodies etc. do not want to share records storage space for one reason or the other. They are: Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence), Hyderabad; Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (Ministry of Defence), Kolkata; Goa Shipyard Limited (Ministry of Defence), Goa; Mineral Exploration Corporation Limited (Ministry of Defence), Nagpur; Power Finance Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi; Rural Electrification Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi; Tehri Hydro Development Corporation India Limited (Ministry of Power), Rishikesh; IRCON International Limited (Ministry of Railways), New Delhi; Dredging Corporation of India Limited (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; Ennore Port Limited (Ministry of Shipping), Chennai; Inland Waterways Authority of India (Ministry of Shipping), Noida (U.P.); Mumbai Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai; Jawaharlal Nehru Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai; Visakhapatnam Port Trust (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation (Ministry of Social Justice & Empowerment), New Delhi; National Handloom Development Corporation Limited (Ministry of Textiles), Lucknow; Betwa River Board (Ministry of Water Resources), Jhansi; Brahmaputra Board (Ministry of Water Resources), Guwahati; Central Water & Power Research Station (Ministry of Water Resources), Pune; Narmada Control Authority (Ministry of Water Resources), Indore (M.P.); Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi and WAPCOS Limited (Ministry of Water Resources), Gurgaon (Haryana).

6.15 Bansagar Control Board (Ministry of Water Resources), Rewa and National Power Training Institute (Ministry of Power), Faridabad (Haryana) have sent 'Nil' report.

6.16 The following public sector undertakings/ statutory bodies etc. who replied that the provision is not applicable to them are as follows:- Mazagon Dock Limited (Ministry of Defence), Mumbai; Inland Waterways Authority of India (Ministry of Shipping), Noida (U.P.) and TRIFED, Quality Control, Research & Development Centre (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

6.17 राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि एनडब्ल्यूडीए की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। उनके पास अधिक अभिलेख नहीं हैं जिसके लिए वे अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

6.18 यदि किसी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से उनके अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो राष्ट्रीय अभिलेखागार का यह दायित्व बनता है कि वह उन्हें लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 तथा सार्वजनिक अभिलेख नियमावली, 1997 के प्रावधान के अंतर्गत अपने एनेक्सी भवन, नई दिल्ली तथा भोपाल में अपने क्षेत्रीय कार्यालय तथा जयपुर, पांडिचेरी और भुवनेश्वर में अपने तीन अभिलेख केन्द्रों में स्थान उपलब्ध कराए या स्थान की भागीदारी प्रदान करे।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

6.17 National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi informed that NWDA was setup in the year 1982. They do not have many records for which they may avail the facility of sharing of space for housing semi-current records.

6.18 If the request have been received from any ministries/ departments/ offices regarding the sharing of space for their semi-current records, the action is required on the part of National Archives of India to provide them space or to share space in its Annexe Building, New Delhi and also its Regional Office in Bhopal and its three Records Centres at Jaipur, Puducherry and Bhubaneswar under the provisions of Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–7

अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण

प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी अपने दिन–प्रतिदिन के लेन–देन में अभिलेखों का सृजन करती है। महत्वपूर्ण अभिलेखों को अल्पावधि वाले अभिलेखों से पृथक करनेए और इनके उचित प्रबंधन / रख–रखाव के लिए भी, उनका समय पर अभिलेखन, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण आदि ऐसे आवश्यक कदम हैं जिन्हें सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा किया जाना आवश्यक है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ख) तथा लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम 9 उपबंधित करता है कि किसी भी अभिलेख को अभिलेखन और समीक्षा के बगैर नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम (9) आगे उपबंधित करता है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी को इस विषय पर राष्ट्रीय अभिलेखागार के समक्ष अर्ध वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। तदनुसार, सभी मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों को 29 जून, 2010 को एक परिपत्र सं0 16–4 / 2010–आर.एम. जारी किया गया था और उनसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, आदि सहित भारत सरकार के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। सूचना भेजने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची **अनुलग्नक–II** में देखी जा सकती है। दिनांक 29 जून, 2010 के एक अन्य परिपत्र सं0 16–12क / 2010–आर. एम. के उत्तर में निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों आदि ने सूचना भेजी है। सूचना का विश्लेषण निम्नानुसार है:–

7.1 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने सूचना भेजी है कि वे अभिलेखन, पुनरीक्षण, सूची बनाने और अभिलेखों को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। इनके नाम हैं: वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; वायु मुख्यालय, प्रचालन निदेशालय (एमआरपी) (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली; नमक आयुक्त का कार्यालय (वित्त मंत्रालय), जयपुर; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), नई दिल्ली; गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; महानिदेशालय का कार्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; क्षेत्रीय परिशद सचिवालय (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विभाग मंत्रालय), नई दिल्ली; क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), नई दिल्ली; सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली; खान सुरक्षा महानिदेशालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), धनबाद; श्रम कल्याण आयुक्त (श्रम और रोजगार मंत्रालय), इलाहाबाद; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; खान मंत्रालय, नई दिल्ली; प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), नई दिल्ली; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), मसूरी; उत्तर रेलवे (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय); वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, हिमाचल प्रदेश मण्डल (डाक विभाग), शिमला; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, कर्नाटक मण्डल (डाक विभाग), बैंगलोर; मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, केरल मण्डल (डाक विभाग), तिरुवनंतपुरम; डाकघर अधीक्षक का कार्यालय, ईरिनजालाकुडा प्रभाग (डाक विभाग), ईरिनजालाकुडा; डाकघर वरीष्ठ अधीक्षक का कार्यालय, त्रिशूर प्रभाग (डाक विभाग), त्रिशूर; प्रधान

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-7

RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OUT OF SEMI-CURRENT RECORDS

Every records creating agency creates records in their day-to-day transactions. To segregate the important records from those of ephemeral ones and also for their proper management/ maintenance, their timely recording, reviewing and weeding are the essential steps which are required to be taken by all records creating agencies. The Section 6(1) (b) of Public Records Act, 1993 and Rule 9 of Public Records Rule, 1997, stipulate that no record shall be destroyed without being recorded and reviewed. Rule 9(1) of the Public Records Rules, 1997, further stipulates that each record creating agency shall furnish half-yearly returns on the subject to National Archives of India. Accordingly, a circular letter No. 16-4/2010-RM dated 29th June, 2010 was issued to all ministries/ departments/ offices and also requested them to issue necessary directives to all the attached and subordinate offices including public sector undertakings, statutory bodies, etc. A list of records creating agencies who have sent information may please be seen in Annexure-II. In response to another circular letter No. 16-12A/2010-RM, dated 29th June, 2010 the following ministries/ departments/ offices and public sector undertakings/ statutory bodies etc. have sent information. The analysis of information is given below.

7.1 The following ministries/ departments/ offices have informed that they are attending the job of recording, reviewing and weeding out of semi-current records. These are:- Department of Commerce (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Department of Information Technology (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Department of Posts (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Ministry of Defence, New Delhi; Air Headquarters, Directorate of Operations (MRP) (Ministry of Defence), New Delhi; Office of the Salt Commissioner (Ministry of Finance), Jaipur; Department of Health and Family Welfare (Ministry of Health and Family Welfare), New Delhi; Ministry of Home, New Delhi; Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Zonal Councils Secretariat (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Department of Higher Education (Ministry of Human Resource Development), New Delhi; Directorate of Field Publicity (Ministry of Information & Broadcasting), New Delhi; Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi; Ministry of Labour and Employment, New Delhi; Directorate General of Mines Safety (Ministry of Labour and Employment), Dhanbad; Office of the Labour Welfare Commissioner (Ministry of Labour and Employment), Allahabad; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Ministry of Mines, New Delhi; Department of Administrative Reforms & Public Grievances (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), Mussoorie; Northern Railway (Ministry of Railways), New Delhi; Railway Board (Ministry of Railways), New Delhi; Department of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science and Technology), New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Central Soil & Materials Research Station (Ministry of Water Resources), New Delhi; Office of the Chief Postmaster General, H.P. Circle (Department of Posts), Shimla; Office of the Chief Postmaster General, Karnataka Circle (Department of Posts), Bangalore; Office

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), अहमदाबाद; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), बैंगलोर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), कोलकाता; और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), मुंबई।

7.2 निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने 'शून्य' और 'लागू नहीं होता' रिपोर्ट भेजी है। इनके नाम हैं:– केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला (कृषि मंत्रालय), नागपुर; रजिस्ट्रार कंपनी का कार्यालय, केरल और लक्षद्वीप (कारपोरेट कार्य मंत्रालय), केरल; रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रलेखन केन्द्र (डीईएसआईडीओसी) (रक्षा मंत्रालय), दिल्ली_ उत्पादन विभाग (डीजीक्यूए) (रक्षा मंत्रालय) नई दिल्ली; विनिवेश विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली; राश्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), पुणे_ राष्ट्रीय खान स्वास्थ्य संस्थान (खान मंत्रालय), नागपुर; सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), नई दिल्ली; ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय), नई दिल्ली; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, असम मण्डल (डाक विभाग), गुवाहाटी; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, हरियाणा मण्डल (डाक विभाग), अम्बाला; अधीक्षक का कार्यालय, केरल मण्डल स्टैम्प डिपो (डाक विभाग), कोच्चि; डाक कार्यालय अधीक्षक का कार्यालय, मंजेरी प्रभाग (डाक विभाग), मंजेरी_ अधीक्षक डाक भण्डार डिपो (डाक विभाग), त्रिशूर_ परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), भुवनेश्वर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), शिमला; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), तिरुवनंतपुरम और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (उत्तर रेलवे) (योजना आयोग), चंडीगढ़।

7.3 औषध विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि विभाग का सृजन केवल 2 वर्ष पहले रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रभाग द्वारा किया गया था। विभाग अभी भी स्वयं को स्थापित कर रहा है।

7.4 राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि कार्रवाई की जा रही है।

7.5 आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सी एंड सी प्रभाग/सीएम प्रभाग/बजट प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

7.6 राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि सामान्य प्रशासन राजस्व (जीएआर) अनुभाग, राजस्व (मुख्यालय) से परामर्श किया जाए क्योंकि राजस्व विभाग का अभिलेख कक्ष उनके क्षेत्राधिकार में आता है।

7.7 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

of the Chief Postmaster General, Kerala Circle (Department of Posts), Thiruvananthapuram; Office of the Superintendent of Post Offices, Irinjalakuda Division (Department of Posts), Irinjalakuda; Office of the Senior Superintendent of Post Offices, Thrissur Division (Department of Posts), Thrissur; Prime Minister's Office, New Delhi; Vice President's Secretariat, New Delhi; Planning Commission, New Delhi; Project Evaluation Office (Planning Commission), Ahmedabad; Project Evaluation Records creating agency (Planning Commission), Bangalore; Regional Evaluation Office (Planning Commission), Kolkata and Regional Evaluation Office (Planning Commission), Mumbai.

7.2 The following records creating agencies have furnished 'Nil' and 'not applicable' report. These are:- Central Agmark Laboratory (Ministry of Agriculture), Nagpur; Office of Registrar of Companies, Kerala & Lakshadweep (Ministry of Corporate Affairs), Kerala; Defence Scientific Information & Documentation Centre (DESIDOC) (Ministry of Defence), Delhi; Department of Production (DGQA) (Ministry of Defence), New Delhi; Department of Disinvestment (Ministry of Finance), New Delhi; National Film Archive of India (Ministry of Information & Broadcasting), Pune; National Institute of Miners' Health (Ministry of Mines), Nagpur; Institute of Secretariat Training & Management (Department of Personnel & Training) (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Bureau of Energy Efficiency (Ministry of Power), New Delhi; Department of Land Resources (Ministry of Rural Development), New Delhi; Office of the Chief Postmaster General, Assam Circle (Department of Posts), Guwahati; Office of the Chief Postmaster General, Haryana Circle (Department of Posts), Ambala; Office of the Superintendent Kerala Circle Stamp Depot (Department of Posts), Kochi; Office of the Superintendent of Posts Offices, Manjeri Division (Department of Posts), Manjeri; Superintendent Postal Stores Depot (Department of Posts), Thrissur; Project Evaluation Office (Planning Commission), Bhubaneswar; Project Evaluation Office (Planning Commission), Shimla; Project Evaluation Office (Planning Commission), Thiruvananthapuram and Regional Evaluation Office (NR) (Planning Commission), Chandigarh.

7.3 Department of Pharmaceuticals (Ministry of Chemicals and Fertilizers), New Delhi has informed that the Department had been created only 2 years back by division of Department of Chemicals & Petrochemicals. The Department is still in the process of establishing itself.

7.4 National Informatics Centre (Department of Information Technology) (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi has informed that the action is being taken up.

7.5 Department of Economic Affairs (Ministry of Finance), New Delhi has directed all its attached/ subordinate offices/ public sector undertakings working under the administrative control of C & C division/ CM division/ Budget division to furnish the requisite information.

7.6 Department of Revenue (Ministry of Finance), New Delhi has informed that the General Administration Revenue (GAR) Section, Revenue (Headquarters) may be consulted as the Records Room of the Department of Revenue falls under their jurisdiction.

7.7 Department of Personnel & Training (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi has informed that necessary directions had been issued all its attached/ subordinate offices including public sector undertaking etc. working under their administrative control.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

7.8 विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को यह निर्देश दिया है कि अपेक्षित सूचना विद्युत मंत्रालय को अवगत कराते हुए सीधे प्रस्तुत की जाए।

7.9 शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को संगत अपेक्षित सूचना शहरी विकास मंत्रालय के समन्वय अनुभाग को सूचित करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार को सीधे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

7.10 डाक कार्यालय अधीक्षक का कार्यालय, तिरूर प्रभाग (डाक विभाग), तिरूर ने सूचित किया है कि तिरूर प्रभाग में ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

7.11 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया है कि वे अभिलेखन, पुनरीक्षण और अभिलेखों को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। इनके नाम हैं:– गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), गोवा; मैजागन डॉक लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), मुंबई_ विद्युत वित्त निगम लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; ईरकन इंटरनेशनल लिमिटेड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; ड्रेडजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्नम; अंतर्देशीय भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण (पोत परिवहन मंत्रालय), नोएडा (उ.प्र.); मुंबई बंदरगाह ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), मुंबई; जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), मुंबई; विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्नम; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (वस्त्र मंत्रालय), लखनऊ; ट्राइफेड, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान और विकास केन्द्र (आदिवासी कार्य मंत्रालय), नई दिल्ली_ ब्रह्मपुत्र बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय, गुवाहाटी; केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), पुणे; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (जल संसाधन मंत्रालय), इंदौर (म.प्र.); राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली और वैपकोस लिमिटेड (जल संसाधन मंत्रालय), गुड़गांव (हरियाणा)।

7.12 अभिलेख सर्जक एजेंसियां, जो कार्य नहीं कर रही हैं, उनके नाम हैं:– गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), कोलकाता; खनिज अन्वेषण कॉर्पोरेशन लिमिटेड (खान मंत्रालय), नागपुर; राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (विद्युत मंत्रालय), फरीदाबाद (हरियाणा); राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय), नई दिल्ली; बनसागर नियंत्रण बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), रीवा (म.प्र.); बेतवा नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), झांसी और ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली।

7.13 भारत डॉयानामिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद ने सूचित किया है कि अभिलेख कक्ष की हाल में स्थापना की गई है और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

7.14 टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), ऋषिकेश ने सूचित किया है कि कंपनी की अभिलेख प्रबंधन नियमावली बना ली गई है।

7.15 एन्नोर पोर्ट लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय) चेन्नई ने सूचित किया है कि अभिलेख सर्जक एजेंसी केवल दस वर्ष पुराना है, इसलिए अभी तक अभिलेखों की पुनरीक्षण और विनष्टीकरण नहीं किया गया है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

7.8 Ministry of Power, New Delhi has directed its attached/subordinate offices to submit the requisite information directly to this Department.

7.9 Ministry of Urban Development, New Delhi has directed its all attached/ subordinate offices to furnish the relevant requisite information directly to the National Archives of India under intimation to Coordination Section of Ministry of Urban Development.

7.10 Office of the Superintendent of Post Offices, Tirur Division (Department of Posts, India), Tirur has intimated that no such arrangement exists in Tirur Division.

7.11 Following public sector undertakings/ statutory bodies etc. have reported that they are attending to the recording, reviewing and weeding out of records. These are:- Goa Shipyard Limited (Ministry of Defence), Goa; Mazagon Dock Limited (Ministry of Defence), Mumbai; Power Finance Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi; Rural Electrification Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi; IRCON International Limited (Ministry of Railways), New Delhi; Dredging Corporation of India Limited (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; Inland Waterways Authority of India (Ministry of Shipping), Noida (U.P.); Mumbai Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai; Jawaharlal Nehru Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai; Visakhapatnam Port Trust (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; National Handloom Development Corporation Limited (Ministry of Textiles), Lucknow; TRIFED, Quality Control, Research & Development Centre (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi; Brahmaputra Board (Ministry of Water Resources), Guwahati; Central Water & Power Research Station (Ministry of Water Resources), Pune; Narmada Control Authority (Ministry of Water Resources), Indore (M.P.); National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi and WAPCOS Limited (Ministry of Water Resources), Gurgaon (Haryana).

7.12 Records creating agencies who are not doing the job are the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (Ministry of Defence), Kolkata; Mineral Exploration Corporation Limited (Ministry of Mines), Nagpur; National Power Training Institute (Ministry of Power), Faridabad (Haryana); National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation (Ministry of Social Justice & Empowerment), New Delhi; Bansagar Control Board (Ministry of Water Resources), Rewa (M.P.); Betwa River Board (Ministry of Water Resources), Jhansi and Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi.

7.13 Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence), Hyderabad informed that the records room has been set up recently and necessary action would be taken up as per rules.

7.14 Tehri Hydro Development Corporation India Limited (Ministry of Power), Rishikesh informed that the records management manual of the company has been framed.

7.15 Ennore Port Limited (Ministry of Shipping), Chennai has informed that the records creating agency is hardly ten years old, hence reviewing and weeding out of records has not been done so far.

7.16 Analysis - It is observed that as per Central Secretariat Manual of Office Procedure (12th Edition, 2003), paras 103 and 109, recording of files is to be done by every section in an organisation at the

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

7.16 विश्लेषण – यह पाया गया कि केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियमावली (12वां संस्करण, 2003), पैरा 103 और 109 के अनुसार फाइलों की रिकार्डिंग कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर या फाइल में कार्रवाई पूरी होने पर संगठन में प्रत्येक अनुभाग द्वारा की जानी चाहिए। 'ग' श्रेणी की फाइलों का पुनरीक्षण फाइलों के बंद करने और रिकार्डिंग के समय चिहिनत प्रतिधारण की अवधि के अनुसार किया जाना चाहिए तथा तत्पश्चात् उनका विनष्टीकरण किया जाना चाहिए। यह एक सतत् प्रक्रिया है जिसे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 तथा लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 9 की उप–धारा 1 और 4 के अंतर्गत संबंधित विभागीय अभिलेख अधिकारी के मार्गदर्शन/निगरानी में संगठनों की प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

end of the Calendar Year or when action in the file is over. Review of 'C' category files is to be done according to the period of retention marked at the time of closing & recording of files and to be weeded out subsequently. It is an ongoing process to be done as per Retention Schedule of the organisations under guideline/ monitoring of Departmental Records Officer, concerned under section 6 of Public Records Act, 1993 and sub-rules 1 & 4 of rule 9 of Public Records Rules, 1997.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–8

अभिलेखों का सूचीकरण

किसी भी अभिलेख सर्जक एजेंसी की प्रशासनिक दक्षता, प्राधिकारियों द्वारा समय पर निर्णय लेने और आवश्यकतानुसार सूचना प्रस्तुत करने पर निर्भर करती है, जो तभी संभव है यदि अभिलेखों में से सूचना तुरंत निकाली जा सके। अभिलेखों से आसानी और तेजी से सूचना प्राप्त करने के लिए अच्छे संदर्भ मीडिया, वार्षिक विभागीय सूचियों को अभिलेखों की श्रेणी 'क' और 'ख' में संकलित करने से इस कार्य में बहुत सहायता मिलती है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने परिपत्र सं0 16–12क/2010–आर.एम. दिनांक 29 जून, 2010 के जरिए सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से इस संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना देने का अनुरोध किया था। इस काम के बारे में मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोई उत्साहवर्धक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

कुल 94 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सूचना दी है। इनमें से 67 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय हैं और 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय, इत्यादि हैं।

8.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने सूचियों का संकलन कर लिया है या संकलन कार्य चल रहा है। इनके नाम हैं:– वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; विनिवेश विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली और मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, कर्नाटक मण्डल (डाक विभाग), बैंगलोर।

8.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने विभिन्न उत्तर भेजे हैं उदाहरण के लिए संकलन नहीं कर रहे हैं, आवश्यक नहीं है, अपेक्षित नहीं है, आदि। इनके नाम हैं: केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला (कृषि मंत्रालय), नागपुर; औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग), नई दिल्ली; डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग), नई दिल्ली; राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; वायु मुख्यालय, प्रचालन निदेशालय (एमआरपी) (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली; रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रलेखन केन्द्र (डीईएसआईडीओसी) (रक्षा मंत्रालय), दिल्ली; उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली; नमक आयुक्त का कार्यालय (वित्त मंत्रालय), जयपुर; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), नई दिल्ली; अपर निदेशक का कार्यालय, केन्दीग्र सरकार स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), मुंबई; गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; क्षेत्रीय परिषद सचिवालय (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), नई दिल्ली; क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), नई दिल्ली; सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), पुणे; खान सुरक्षा महानिदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), धनबाद; श्रम कल्याण आयुक्त का कार्यालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), इलाहाबाद; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; खान मंत्रालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय खान स्वास्थ्य संस्थान (खान मंत्रालय), नागपुर; प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन), नई दिल्ली; सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), नई दिल्ली; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्मिक, लोक शिकयत और पेंशन मंत्रालय), मसूरी; ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; उत्तरी रेल (रेल मंत्रालय),नई दिल्ली; रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (रेल मंत्रालय), लखनऊ; भूमि

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-8

INDEXING OF RECORDS

Administrative efficiency of a records creating agency depends upon the submission of information to the decision-making authorities on time and as per requirement, which can only be done if the information is culled out from amongst records quickly. Easy and quick retrieval of information from records requires good reference media, compilation of annual departmental indices of 'A' and 'B' Category of records that will go a long way in facilitating this job. The National Archives of India requested all the records creating agencies vide its circular No. 16-12A/2010-RM dated 29th June, 2010 to furnish the information on the action taken by them in this regard. No appreciative response has been received from the ministries/ departments/ offices/ public sector undertakings on this score.

In all 94 records creating agencies have furnished information, out of these 67 are ministries/ departments/ offices and 27 are public sector undertakings/ statutory bodies etc.

8.1 The following ministries/ departments/ offices have informed that they have compiled indices or compilation of indices is in progress. These are: - Department of Commerce (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Department of Disinvestment (Ministry of Finance), New Delhi and Office of the Chief Postmaster General, Karnataka Circle (Department of Posts), Bangalore.

8.2 The following ministries/ departments/ offices have sent varying responses e.g. not compiling, not necessary, not required, Nil reports, etc. These are: Central Agmark Laboratory (Ministry of Agriculture), Nagpur; Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Department of Posts (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; National Informatics Centre (Department of Information Technology) (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Ministry of Defence, New Delhi; Air Headquarters, Directorate of Operations (MRP) (Ministry of Defence), New Delhi; Defence Scientific Information & Documentation Centre (DESIDOC) (Ministry of Defence), Delhi; Department of Production (Ministry of Defence), New Delhi; Office of the Salt Commissioner (Ministry of Finance), Jaipur; Department of Health and Family Welfare (Ministry of Health and Family Welfare), New Delhi; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme (Ministry of Health and Family Welfare), Mumbai; Ministry of Home, New Delhi; Zonal Councils Secretariat (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Department of Higher Education (Ministry of Human Resource Development), New Delhi; Directorate of Field Publicity (Ministry of Information & Broadcasting), New Delhi; Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi; National Film Archive of India (Ministry of Information & Broadcasting), Pune; Directorate General of Mines Safety (Ministry of Labour and Employment), Dhanbad; Office of the Labour Welfare Commissioner (Ministry of Labour and Employment), Allahabad; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Ministry of Mines, New Delhi; National Institute of Miners' Health (Ministry of Mines), Nagpur; Department of Administrative Reforms & Public Grievances (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Institute of Secretariat Training & Management (Department of Personnel & Training) (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Ministry of Personnel, Public Grievances &

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय), नई दिल्ली; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, असम मण्डल (डाक विभाग), गुवाहाटी; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, हिमाचल प्रदेश मण्डल (डाक विभाग), शिमला; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, हरियाणा मण्डल (डाक विभाग), अम्बाला; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, केरल मण्डल (डाक विभाग), तिरुवनंतपुरम; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, ईरिजालाकुडा प्रभाग (डाक विभाग), ईरिजालाकुडा; अधीक्षक केरल मण्डल स्टैंप डिपो का कार्यालय, (डाक विभाग), कोच्चि; डाकघर अधीक्षक का कार्यालय, मंजेरी प्रभाग (डाक विभाग), मंजेरी; वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक, त्रिशूर प्रभाग (डाक विभाग), त्रिशूर; अधीक्षक डाक भण्डार डिपो (डाक विभाग), त्रिशूर; अधीक्षक डाक भण्डार डिपो (डाक विभाग), त्रिशूर; प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली; उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली; योजना आयोग, नई दिल्ली; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), अहमदाबाद; परियोजना मूल्यांकन अभिलेख सर्जक एजेंसी (योजना आयोग), बैंगलोर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), भुवनेश्वर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), शिमला; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, (योजना आयोग), चंडीगढ़; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), कोलकाता और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), मुंबई।

8.3 औषध विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि विभाग का सृजन केवल 2 वर्ष पहले रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रभाग द्वारा किया गया था। विभाग अभी भी स्वयं को स्थापित कर रहा है।

8.4 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि संगत सूचना विभागीय अभिलेख कक्ष तथा संबंधित अभिलेख सर्जक अनुभाग द्वारा रखी जा रही है।

8.5 आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सी एंड सी प्रभाग/सीएम प्रभाग/बजट प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

8.6 राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि सामान्य प्रशासन राजस्व (जीएआर) अनुभाग, राजस्व (मुख्यालय) से परामर्श किया जाए क्योंकि राजस्व विभाग का अभिलेख कक्ष उनके क्षेत्राधिकार में आता है।

8.7 महानिदेशालय कार्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि विभागीय अभिलेख कक्ष में अभिलेखों को शाखा/अनुभाग–वार रखा गया है।

8.8 श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि कार्य चल रहा है।

8.9 विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को यह निर्देश दिया है कि अपेक्षित सूचना विद्युत मंत्रालय को अवगत कराते हुए सीधे प्रस्तुत की जाए।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Pensions), Mussoorie; Bureau of Energy Efficiency (Ministry of Power), New Delhi; Northern Railway (Ministry of Railways), New Delhi; Railway Board (Ministry of Railways), New Delhi; Research Designs & Standards Organization (Ministry of Railways), Lucknow; Department of Land Resources (Ministry of Rural Development), New Delhi; Department of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science and Technology), New Delhi; Central Soil & Materials Research Station (Ministry of Water Resources), New Delhi; Office of the Chief Postmaster General, Assam Circle (Department of Posts), Guwahati; Office of the Chief Postmaster General, H.P. Circle (Department of Posts), Shimla; Office of the Chief Postmaster General, Haryana Circle (Department of Posts), Ambala; Office of the Chief Postmaster General, Kerala Circle (Department of Posts), Thiruvananthapuram; Office of the Superintendent of Post Offices, Irinjalakuda Division (Department of Posts), Irinjalakuda; Office of the Superintendent Kerala Circle Stamp Depot (Department of Posts), Kochi; Office of the Superintendent of Posts Offices, Manjeri Division (Department of Posts), Manjeri; Office of the Senior Superintendent of Post Offices, Thrissur Division (Department of Posts), Thrissur; Superintendent Postal Stores Depot (Department of Posts), Thrissur; Prime Minister's Office, New Delhi; Vice President's Secretariat, New Delhi; Planning Commission, New Delhi; Project Evaluation Office (Planning Commission), Ahmedabad; Project Evaluation Records creating agency (Planning Commission), Bangalore; Project Evaluation Office (Planning Commission), Bhubaneswar; Project Evaluation Office (Planning Commission), Shimla; Project Evaluation Office (Planning Commission), Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Office (NR) (Planning Commission), Chandigarh; Regional Evaluation Office (Planning Commission), Kolkata and Regional Evaluation Office (Planning Commission), Mumbai.

8.3 Department of Pharmaceuticals (Ministry of Chemicals and Fertilizers), New Delhi has informed that the Department had been created only 2 years back by division of Department of Chemicals & Petrochemicals. The Department is still in the process of establishing itself.

8.4 Department of Information Technology (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi has intimated that relevant information is being maintained by departmental records room and concerned records creation section.

8.5 Department of Economic Affairs (Ministry of Finance), New Delhi has directed all its attached/ subordinate offices/ public sector undertakings working under the administrative control of C & C division/ CM division/ Budget division to furnish the requisite information.

8.6 Department of Revenue (Ministry of Finance), New Delhi has informed that the General Administration Revenue (GAR) Section, Revenue (Headquarters) may be consulted as the records room of the Department of Revenue falls under their jurisdiction.

8.7 Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi has informed that records have been kept branch/section wise in departmental records room.

8.8 Ministry of Labour and Employment, New Delhi has intimated that the work is under process.

8.9 Ministry of Power, New Delhi has directed its attached/subordinate offices to submit the requisite information directly to this Department.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

8.10 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

8.11 शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को संगत अपेक्षित सूचना शहरी विकास मंत्रालय के समन्वय अनुभाग को सूचित करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार को सीधे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

8.12 जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि वार्षिक सूचियों का संकलन किया जा रहा है।

8.13 डाक कार्यालय अधीक्षक का कार्यालय, तिरूर प्रभाग (डाक विभाग), तिरूर ने सूचित किया है कि तिरूर प्रभाग में ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

8.14 सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 27 उपक्रमों/समितियों/कार्पोरेशन आदि ने उत्तर दिया है। जिनमें से चार संगठनों ने सूचियां तैयार की हैं। ये हैं: विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्टनम; ब्रह्मपुत्र बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), गुवाहाटी; वैपकोस लिमिटेड (जल संसाधन मंत्रालय), गुड़गांव (हरियाणा) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा।

8.15 एन्नोर पोर्ट लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), चेन्नई ने सूचित किया है कि अधिकांश फाइलों को अभी रखा जाना है, इसलिए वार्षिक सूचियों का संकलन नहीं किया गया है।

8.16 मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), मुंबई ने सूचित किया है कि मौजूदा पद्धति के अनुसार बैठकों की कायवाहियों के जिल्द चढ़े खण्डों की सूची बनाई गई है जिसमें चर्चा किए गए विषय और बोर्ड द्वारा पारित संकल्प संख्या दिए गए हैं।

8.17 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया है कि अभिलेखों का सूचीकरण लागू नहीं होता। ये हैं – मैजागन डॉक लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), मुंबई; भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण (पोत परिवहन मंत्रालय), नोएडा (उ.प्र.) और ट्राइफेड, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आदिवासी कार्य मंत्रालय), नई दिल्ली।

8.18 नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (जल संसाधन मंत्रालय), इंदौर ने सूचित किया है कि कार्य चल रहा है।

8.19 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (विद्युत मंत्रालय), फरीदाबाद (हरियाणा) ने 'शून्य' रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

8..20 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया है कि वे सूचियां तैयार नहीं कर रहे हैं। ये हैं :– भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद; गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय) कोलकाता; खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (खान मंत्रालय), नागपुर; विद्युत वित्त निगम लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), ऋषिकेश; ईरकान इंटरनेशनल लिमिटेड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; ड्रेडजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्टनम; जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), मुंबई; राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय), नई दिल्ली; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (वस्त्र मंत्रालय), लखनऊ; बनसागर नियंत्रण बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय);

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

8.10 Department of Personnel & Training (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi has informed that necessary directions had been issued all its attached/ subordinate offices including public sector undertaking etc. working under their administrative control.

8.11 Ministry of Urban Development, New Delhi has directed its all attached/ subordinate offices to furnish the relevant requisite information directly to the National Archives of India under intimation to Coordination Section of Ministry of Urban Development.

8.12 Ministry of Water Resources, New Delhi has intimated that annual indices being complied.

8.13 Office of the Superintendent of Post Offices, Tirur Division (Department of Posts), Tirur has intimated that no such arrangement exists in Tirur Division.

8.14 In all twenty-seven public sector undertakings/ committees/ corporations etc. have responded. Out of which four organizations are preparing indices. These are:- Visakhapatnam Port Trust (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; Brahmaputra Board (Ministry of Water Resources), Guwahati; WAPCOS Limited (Ministry of Water Resources), Gurgaon (Haryana) and Goa Shipyard Ltd., Goa.

8.15 Ennore Port Limited (Ministry of Shipping), Chennai has informed that most of the files still retain there currently, hence compilation of annual indices has not been done as such.

8.16 Mumbai Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai has intimated that as per the existing practice, bound volumes of proceedings of the meetings have indices giving subject discussed and resolution number passed by the board.

8.17 The following public sector undertakings/ statutory bodies etc. have informed that indexing of records is not applicable. These are:- Mazagon Dock Limited (Ministry of Defence), Mumbai; Inland Waterways Authority of India (Ministry of Shipping), Noida (U.P.) and TRIFED, Quality Control, Research & Development Centre (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi.

8.18 Narmada Control Authority (Ministry of Water Resources), Indore has intimated that the work is under process.

8.19 National Power Training Institute (Ministry of Power), Faridabad (Haryana) has furnished 'Nil' report.

8.20 The following public sector undertakings/ statutory bodies etc. have informed that they are not preparing indices. These are:- Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence), Hyderabad; Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (Ministry of Defence), Kolkata; Mineral Exploration Corporation Limited (Ministry of Mines), Nagpur; Power Finance Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi; Rural Electrification Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi; Tehri Hydro Development Corporation India Limited (Ministry of Power), Rishikesh; IRCON International Limited (Ministry of Railways), New Delhi; Dredging Corporation of India Limited (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; Jawaharlal Nehru Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

रेवा; बेतवा नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), झांसी; केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय); पुणे; राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली और अपर यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली।

8.21 **टिप्पणी** – यह नोट किया गया है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने यह सूचना भेजी है कि उन्होंने सूचियों का संकलन कर लिया है या सूचियों का संकलन किया जा रहा है लेकिन अधिकांश ने विभिन्न उत्तर भेजे हैं उदाहरण के लिए, संकलन नहीं कर रहे हैं, आवश्यक नहीं है, अपेक्षित नहीं है, शून्य रिपोर्टें आदि। इस संबंध में सर्जक एजेंसियों अर्थात् मंत्रालयों/विभागों की ओर से उनकी सूचियों का संकलन करने तथा लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के कार्यान्वयन हेतु धारा 6 (1)(ज) के अंतर्गत सूचीकरण करने के लिए उनके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों को भी निर्देश देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

पैरा 8.5 के संबंध में राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा सीएण्डसी प्रभाग/सीएम प्रभाग/बजट प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन आर्थिक कार्य विभाग/वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली को उनके द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत करने और उनके सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से भविष्य में वांछित सूचना प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्रस्तुत कराने के लिए स्मरण कराया जाना चाहिए।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation (Ministry of Social Justice & Empowerment), New Delhi; National Handloom Development Corporation Limited (Ministry of Textiles), Lucknow; Bansagar Control Board (Ministry of Water Resources), Rewa; Betwa River Board (Ministry of Water Resources), Jhansi; Central Water & Power Research Station (Ministry of Water Resources), Pune; National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi and Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi.

8.21 Observation - It has been noticed that some ministries/ departments/ offices have sent information that they have compiled indices or compilation of indices is in progress but most have sent varying responses e.g. not compiling, not necessary, not required, nil reports, etc. In this regard, the necessary steps should be required on the part of creating agencies i.e. ministries/ departments to compile their indices and also to instruct their subordinate/ attached offices for doing the same under Section 6 (1)(h) for the implementation of Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997.

As regard para 8.5 the action required by the National Archives of India to remind Department of Economic Affairs (Ministry of Finance), New Delhi for submission of desired information from them and as well as its all attached/ subordinate offices/ public sector undertakings working under the administrative control of C & C division/ CM division/ Budget division to National Archives of India on priority basis in future.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–9

अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अभिलेखों की प्रतिधारण सारणी का संकलन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ड.) के अंतर्गत परिकल्पित अनुसार स्थायी कार्यों से संबंधित अपना सरकारी कामकाज करते समय प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर ऐसी प्रतिधारण सारणी संबंधी एक ठोस अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के लिए एक सुव्यवस्थित अभिलेख प्रतिधारण सारणी की आवश्यकता होती है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि द्वारा सृजित किए जा रहे विभिन्न अभिलेख समूहों के लिए प्रतिधारण अवधि निर्धारित की गई हो। ऐसी प्रतिधारण सारणियाँ उक्त अधिनियम की उपर्युक्त धारा के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार से परामर्श करके संकलित की जानी चाहिए। कुल मिलाकर 94 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने परिपत्र सं0 16–12क/2010–आर.एम. दिनांक 29 जून, 2010 का उत्तर दिया है जिसमें वर्ष 2009 की मौजूदा रिपोर्ट का संकलित करने के संबंध में अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची बनाने की सूचना माँगी गई थी। इनमें से 67 सरकारी अभिलेख सर्जक एजेंसियां और 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आदि है। प्राप्त उत्तरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

9.1 निम्नलिखित कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रतिधारण समय–सूची का संकलन किया है। ये हैं: वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; नमक आयुक्त का कार्यालय (वित्त मंत्रालय), जयपुर; गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; महानिदेशालय का कार्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; क्षेत्रीय परिशद सचिवालय (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), पुणे; श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; खान मंत्रालय, नई दिल्ली; प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), नई दिल्ली; रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली और योजना आयोग, नई दिल्ली।

9.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने अपने अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन नहीं किया है और 'शून्य' रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। इनके नाम हैं:– राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; रजिस्ट्रार कंपनी का कार्यालय, केरल और लक्षद्वीप (कारपोरेट कार्य मंत्रालय), केरल; रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रलेखन केन्द्र (डीईएसआईडीओसी) (रक्षा मंत्रालय), दिल्ली_ उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय) नई दिल्ली; विनिवेश विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली; क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), नई दिल्ली; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), नई दिल्ली; राष्ट्रीय खान स्वास्थ्य संस्थान (खान मंत्रालय), नागपुर; उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), नई दिल्ली; श्रम कल्याण आयुक्त का कार्यालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), इलाहाबाद; सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), नई दिल्ली; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), मसूरी; ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत

CHAPTER-9

COMPILATION OF RETENTION SCHEDULES FOR RECORDS BY RECORDS CREATING AGENCIES

A sound records management system requires a well drawn up records retention schedule, laying down retention periods for various records groups being created by different ministries/ departments/ offices/ public sector undertakings etc. while conducting their official business pertaining to substantive functions, as envisaged under Section 6(1) (e) of the Public Records Act, 1993. Such retention schedules should be compiled in consultation with the National Archives of India under the aforesaid section of the said Act. In all, 94 records creating agencies have furnished information in response to the circular letter No.16-12A/ 2010-RM dated 29th June, 2010 seeking information on formulation of records retention schedule in connection with compiling the present report for the year 2009, out of which 67 Government records creating agencies and 27 are public sector undertakings etc. Details of the replies received are indicated below:-

9.1 The following offices have informed that they have compiled retention schedules. These are:- Department of Commerce (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Department of Information Technology (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Department of Posts (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Ministry of Defence, New Delhi; Office of the Salt Commissioner (Ministry of Finance), Jaipur; Ministry of Home, New Delhi; Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Zonal Councils Secretariat (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi; National Film Archive of India (Ministry of Information & Broadcasting), Pune; Ministry of Labour and Employment, New Delhi; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Ministry of Mines, New Delhi; Department of Administrative Reforms & Public Grievances (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Railway Board (Ministry of Railways), New Delhi; Department of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science and Technology), New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Prime Minister's Office, New Delhi and Planning Commission, New Delhi.

9.2 The following ministries/ departments/ offices records creating agencies have not compiled retention schedules of their records and furnished 'Nil' reports. These are:- National Informatics Centre (Department of Information Technology) (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Office of Registrar of Companies, Kerala & Lakshadweep (Ministry of Corporate Affairs), Kerala; Defence Scientific Information & Documentation Centre (DESIDOC) (Ministry of Defence), Delhi; Department of Production (Ministry of Defence), New Delhi; Department of Disinvestment (Ministry of Finance), New Delhi; Directorate of Field Publicity (Ministry of Information & Broadcasting), New Delhi; Department of Health and Family Welfare (Ministry of Health and Family Welfare), New Delhi; National Institute of Miners' Health (Ministry of Mines), Nagpur; Department of Higher Education (Ministry of Human Resource Development), New Delhi; Office of the Labour Welfare Commissioner (Ministry of Labour and Employment), Allahabad; Institute of Secretariat Training & Management (Department of Personnel & Training) (Ministry of Personnel,

मंत्रालय), नई दिल्ली; केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, असम मण्डल (डाक विभाग), गुवाहाटी; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, हिमाचल प्रदेश मण्डल (डाक विभाग), शिमला; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, केरल मण्डल (डाक विभाग), तिरुवनंतपुरम; अधीक्षक का कार्यालय, केरल मण्डल स्टैम्प डिपो का कार्यालय (डाक विभाग), कोच्चि; डाक कार्यालय अधीक्षक का कार्यालय, मंजेरी प्रभाग (डाक विभाग), मंजेरी; वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर का कार्यालय, त्रिशूर प्रभाग (डाक विभाग), त्रिशूर; अधीक्षक डाक भण्डार डिपो (डाक विभाग), त्रिशूर परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), अहमदाबाद; परियोजना मूल्यांकन अभिलेख सर्जक एजेंसी (योजना आयोग), बैंगलोर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), भुवनेश्वर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), शिमला; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (एनआर) (योजना आयोग), चंडागढ़; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), कोलकाता और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), मुंबई।

9.3 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सूचित किया है कि प्रतिधारण अनुसूची तैयार करना उन पर लागू नहीं होता। ये हैं :– वायु मुख्यालय, प्रचालन निदेशालय (एमआरपी) (रक्षा मंत्रालय) , नई दिल्ली; उत्तरी रेलवे (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; मुख्य महा डाकपाल, हरियाणा मण्डल (डाक विभाग), अंबाला; मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, कर्नाटक मण्डल (डाक विभाग), बैंगलोर तथा डाक कार्यालय अधीक्षक का कार्यालय, ईरिनजालाकुडा प्रभाग (डाक विभाग), ईरिनजालाकुडा।

9.4 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों जैसे केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला (कृषि मंत्रालय), नागपुर; खान सुरक्षा महानिदेशालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), धनबाद तथा उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ने अस्पष्ट उत्तर दिया है।

9.5 औषध विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि विभाग का सृजन केवल 2 वर्ष पहले रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रभाग द्वारा किया गया था। विभाग अभी भी स्वयं को स्थापित कर रहा है।

9.6 आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सी एंड सी प्रभाग / सीएम प्रभाग / बजट प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत अपने सभी संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

9.7 राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि सामान्य प्रशासन राजस्व (जीएआर) अनुभाग, राजस्व (मुख्यालय) से परामर्श किया जाए क्योंकि राजस्व विभाग का अभिलेख कक्ष उनके क्षेत्राधिकार में आता है।

9.8 अपर निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), मुम्बई ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख सर्जक एजेंसी के लिए स्टॉफ की कमी है। इस उद्देश्य के लिए जब तक कोई विशिष्ट स्टॉफ स्वीकृत नहीं किया जाता तब तक अभिलेखों को रखने और उन्हें बनाए रखना संभव नहीं होगा।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Public Grievances & Pensions), New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), Mussoorie; Bureau of Energy Efficiency (Ministry of Power), New Delhi; Central Soil & Materials Research Station (Ministry of Water Resources), New Delhi; Office of the Chief Postmaster General, Assam Circle (Department of Posts), Guwahati; Office of the Chief Postmaster General (Department of Posts), H.P. Circle, Shimla; Office of the Chief Postmaster General, Kerala Circle (Department of Posts), Thiruvananthapuram; Office of the Superintendent Kerala Circle Stamp Depot (Department of Posts), Kochi; Office of the Superintendent of Posts Offices, Manjeri Division (Department of Posts), Manjeri; Office of the Senior Superintendent of Post Offices, Thrissur Division (Department of Posts), Thrissur; Superintendent Postal Stores Depot (Department of Posts), Thrissur; Project Evaluation Office (Planning Commission), Ahmedabad; Project Evaluation Records creating agency (Planning Commission), Bangalore; Project Evaluation Office (Planning Commission), Bhubaneswar; Project Evaluation Office (Planning Commission), Shimla; Project Evaluation Office (Planning Commission), Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Office (NR) (Planning Commission), Chandigarh; Regional Evaluation Office (Planning Commission), Kolkata and Regional Evaluation Office (Planning Commission), Mumbai.

9.3 The following ministries/ departments/ offices records creating agencies have informed that preparation of retention schedules is not applicable. These are:- Air Headquarters, Directorate of Operations (MRP) (Ministry of Defence), New Delhi; Northern Railway (Ministry of Railways), New Delhi; Office of the Chief Postmaster General, Haryana Circle (Department of Posts), Ambala; Office of the Chief Postmaster General, Karnataka Circle (Department of Posts), Bangalore and Office of the Superintendent of Post Offices, Irinjalakuda Division (Department of Posts), Irinjalakuda.

9.4 The following ministries/ departments/ offices like Central Agmark Laboratory (Ministry of Agriculture), Nagpur; Directorate General of Mines Safety (Ministry of Labour and Employment), Dhanbad and Vice President's Secretariat, New Delhi have given vague reply.

9.5 Department of Pharmaceuticals (Ministry of Chemicals and Fertilizers), New Delhi has informed that the Department had been created only 2 years back by division of Department of Chemicals & Petrochemicals. The Department is still in the process of establishing itself.

9.6 Department of Economic Affairs (Ministry of Finance), New Delhi has directed all its attached/ subordinate offices/ public sector undertakings working under the administrative control of C & C division/ CM division/ Budget division to furnish the requisite information.

9.7 Department of Revenue (Ministry of Finance), New Delhi has informed that the General Administration Revenue (GAR) Section, Revenue (Headquarters) may be consulted as the records room of the Department of Revenue falls under their jurisdiction.

9.8 Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme (Ministry of Health and Family Welfare), Mumbai has informed that there is shortage of staff for this records creating agency. It will not be possible to work out the records and to maintain the records room unless specific staff is sanctioned for this purpose only.

9.9 खान सुरक्षा महानिदेशालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), धनबाद ने सूचित किया है कि कार्य शुरू हो चुका है और चल रहा है।

9.10 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

9.11 विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को यह निर्देश दिया है कि अपेक्षित सूचना विद्युत मंत्रालय को अवगत कराते हुए सीधे प्रस्तुत की जाए।

9.12 अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (रेल मंत्रालय), लखनऊ ने सूचित किया है कि रेलवे बोर्ड द्वारा अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची को अधिसूचित कर दिया गया है और इसका आरडीएसओ में पालन किया जा रहा है।

9.13 भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची विभाग में ऐसे अभिलेखों की पहचान करने के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से तैयार की जाएगी।

9.14 शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को संगत अपेक्षित सूचना शहरी विकास मंत्रालय के समन्वय अनुभाग को सूचित करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार को सीधे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

9.15 डाक कार्यालय अधीक्षक का कार्यालय, तिरूर प्रभाग (डाक विभाग), तिरूर ने सूचित किया है कि तिरूर प्रभाग में ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

9.16 उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि अभिलेख मुख्यतः वर्तमान प्रकृति के हैं और उन्हें प्रत्येक पांच वर्ष बाद उप राष्ट्रपति के बदलने पर अद्यतन बनाया जाता है।

9.17 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन किया हे। ये हैं :– गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), गोवा; ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्टनम; राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय), नई दिल्ली और ट्राइफेड, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आदिवासी कार्य मंत्रालय), नई दिल्ली।

9.18 निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सूचित किया है कि उन्होंने अभी अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों के संकलन का कार्य प्रारंभ नहीं किया है और अपनी रिपोर्ट 'शून्य' भेजी है। इनके नाम हैं:– भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद; खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (खान मंत्रालय); नागपुर; राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, (विद्युत मंत्रालय), फरीदाबाद, हरियाणा; टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), ऋषिकेश; ईरकन इंटरनेशनल लिमिटेड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; ड्रेडजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्नम; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (वस्त्र मंत्रालय), लखनऊ; बनसागर नियंत्रण बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), रीवा (म.प्र.); बेतवा नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), झांसी; ब्रह्मपुत्र बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), गुवाहाटी; केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), पुणे और वैपकोस लिमिटेड (जल संसाधन मंत्रालय), गुड़गांव (हरियाणा)।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

9.9 Directorate General of Mines Safety (Ministry of Labour and Employment), Dhanbad has informed that the job has been undertaken and is in progress.

9.10 Department of Personnel & Training (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi has informed that necessary directions had been issued to all its attached/ subordinate offices including public sector undertaking etc. working under their administrative control.

9.11 Ministry of Power, New Delhi has directed its attached/subordinate offices to submit the requisite information directly to this Department.

9.12 Research Designs & Standards Organization (Ministry of Railways), Lucknow has intimated that records retention schedule notified by Railway Board and the same is being followed in RDSO.

9.13 Department of Land Resources (Ministry of Rural Development), New Delhi has intimated that records retention schedule in consultation with National Archives of India may be drawn after identification of such records is done in the department.

9.14 Ministry of Urban Development, New Delhi has directed its all attached/ subordinate offices to furnish the relevant requisite information directly to the National Archives of India under intimation to Coordination Section of Ministry of Urban Development.

9.15 Office of the Superintendent of Post Offices, Tirur Division (Department of Posts), Tirur has intimated that no such arrangement exists in Tirur Division.

9.16 Vice President's Secretariat, New Delhi has informed that the record is mostly current in nature & updated with change of Vice President every five year.

9.17 The following public sector undertakings/ statutory bodies etc. have compiled retention schedules. These are:- Goa Shipyard Limited (Ministry of Defence), Goa; Rural Electrification Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi ; Visakhapatnam Port Trust (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation (Ministry of Social Justice & Empowerment), New Delhi and TRIFED, Quality Control, Research & Development Centre (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi.

9.18 Following records creating agencies have informed that they have not yet started work on the compilation of the records retention schedules and given 'Nil' reports. These are:- Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence), Hyderabad; Mineral Exploration Corporation Limited (Ministry of Mines), Nagpur; National Power Training Institute, (Ministry of Power), Faridabad, Haryana; Tehri Hydro Development Corporation India Limited (Ministry of Power), Rishikesh; IRCON International Limited (Ministry of Railways), New Delhi; Dredging Corporation of India Limited (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; National Handloom Development Corporation Limited (Ministry of Textiles), Lucknow; Bansagar Control Board (Ministry of Water Resources), Rewa (M.P.); Betwa River Board (Ministry of Water Resources), Jhansi; Brahmaputra Board (Ministry of Water Resources), Guwahati; Central Water & Power Research Station (Ministry of Water Resources), Pune and WAPCOS Limited (Ministry of Water Resources), Gurgaon (Haryana).

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

9.19 मैजगन डॉक लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), मुम्बई और भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण (पोत परिवहन मंत्रालय), नोएडा ने सूचित किया है कि प्रतिधारण अनुसूची तैयार करना उन पर लागू नहीं होता।

9.20 गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), कोलकाता ने सूचित किया है कि मौजूदा प्रणाली का पुनर्गठन करने के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार से यथासमय परामर्श किया जाएगा।

9.21 विद्युत वित्त निगम लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि अभिलेख अनुरक्षण प्रणाली विद्यमान है और उसे समय–समय पर अद्यतन बनाया जाता है।

9.22 एन्नोर पोर्ट लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), चेन्नई ने सूचित किया है कि अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची अभिलेखों को नष्ट करने के समय तैयार की जाएगी।

9.23 मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पोत मंत्रालय), मुंबई ने सूचित किया है कि 1858 के बाद से कार्यवाहियों के लगभग 620 खण्डों का स्थायी रूप से परिरक्षण किया गया है और किसी अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची का संकलन/संशोधन नहीं किया गया है।

9.24 जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), मुंबई ने सूचित किया है कि जेएनपीटी अपने निजी आधारित दिशानिर्देशों पर अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची तैयार कर रहा है।

9.25 नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (जल संसाधन मंत्रालय), इंदौर ने सूचित किया है कि प्राधिकरण द्वारा स्वामी की कार्यालय पद्धति नियमावली के अध्याय–IX के अनुसार कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है।

9.26 राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली ने एनडब्ल्यूडीए के स्थायी कार्यों के अभिलेखों के लिए प्रतिधारण अनुसूची तैयार की है।

9.27 अपर यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उन्हें इस स्तर पर ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती।

9.28 <u>टिप्पणी और विश्लेषण</u> – यह पाया गया हे कि जहां तक स्थायी कार्यों का संबंध है बहुत कम संख्या में मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अपनी प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन किया है, और बड़ी संख्या में मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अपनी प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन नहीं किया है तथा हमेशा से 'शून्य' रिपोर्टें प्रस्तुत करते रहे हैं। कुछ मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि प्रतिधारण अनुसूचियां तैयार करना उन पर लागू नहीं होता और कुछ ने अस्पष्ट उत्तर दिए हैं।

इस संबंध में संबंधित सर्जक एजेंसियों द्वारा अपनी अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियां जल्दी तैयार करने के लिए आवश्यक निर्देश देने और अनुसूचियों में समय पर संशोधन करने संबंधी कार्रवाई की जानी है। संबंधित सर्जक एजेंसियों को बार–बार अनुस्मारक जारी करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार की ओर से भी कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के अंतर्गत अनिवार्य अनुसार अभी तक अपनी प्रतिधारण अनुसूची तैयार/संशोधित नहीं की है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

9.19 Mazagon Dock Limited (Ministry of Defence), Mumbai and Inland Waterways Authority of India (Ministry of Shipping), Noida have informed that preparation of retention schedule is not applicable.

9.20 Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (Ministry of Defence), Kolkata has informed that after re-organising the existing system, National Archives of India will be consulted in due course.

9.21 Power Finance Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi has intimated that the record maintenance system is in place and the same received time to time.

9.22 Ennore Port Limited (Ministry of Shipping), Chennai has informed that records retention schedule would be drawn up at the time of weeding out of records.

9.23 Mumbai Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai has informed that about 620 volumes of proceedings dating back from 1858 to date are preserved permanently and no compiling/revision of any records retention schedule is done.

9.24 Jawaharlal Nehru Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai has informed that JNPT is preparing records retention schedule on its own based guidelines.

9.25 Narmada Control Authority (Ministry of Water Resources), Indore has intimated that the authority is proposed to take action as per Swamy's Manual on Office Procedure Chapter-IX.

9.26 National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi has prepared retention schedule for records of substantive functions of NWDA.

9.27 Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi has informed that no use is felt at this stage.

9.28 Observation and Analysis - It has been observed that a less number of ministries/ departments/ offices have compiled their retention schedules so far as their substantive functions are concerned and a large number of ministries/ departments/ offices have not compiled their retention schedules so far and always furnishing 'Nil' reports. Some of ministries/ departments/ offices have informed that the preparation of retention schedules is not applicable to them and some have given vague replies.

In this regard the necessary actions/ steps are due on the part of concerned creating agencies to issue necessary instructions for early preparation of their records retention schedules and also to ensure their timely revision. The action is also due on the part of National Archives of India for issuing the frequent reminders to the concerned creating agencies who have not prepared/ revised their retention schedules so far as mandated under the Public Records Act, 1993.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–10

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण अभिलेख प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(च) और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 7 अपने क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों के लिए अपने वर्गीकृत अभिलेखों को पाँच वर्षों में एक बार समीक्षा को अनिवार्य बनाता है ताकि इनकी श्रेणी को घटाया जा सके। तदनुसार, इन उपबंधों का क्रियान्वयन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों सहित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को दिनांक 29 जून, 2010 का एक परिपत्र सं0 16–3/2010–आर.एम. जारी किया गया था। सूचना भेजने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची अनुलग्नक–***III*** में देखी जा सकती है। दिनांक 29 जून, 2010 का एक अन्य परिपत्र सं0 16–12क/2010–आर.एम. सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को जारी किया गया था। इस संबंध में प्राप्त उत्तर उत्साहजनक नहीं रहा है क्योंकि केवल 94 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने उत्तर दिया है। प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया जाता है।

10.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों जिन्होंने अपने वर्गीकृत अभिलेखों को विवर्गीकृत किया है, ये हैं:– वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), मसूरी; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, केरल मण्डल (डाक विभाग), तिरुवनंतपुरम; प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली और योजना आयोग, नई दिल्ली।

10.2 निम्नलिखित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय, जो वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण नहीं कर रहे हैं या जिनके पास वर्गीकृत अभिलेख नहीं है या जिन्होंने अस्पष्ट उत्तर दिए हैं या यह सूचना उनसे अपेक्षित या संगत नहीं है, उनके नाम हैं:– केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला (कृषि मंत्रालय), नागपुर; औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग), नई दिल्ली; राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; वायु मुख्यालय, प्रचालन निदेशालय (एमआरपी) (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली; रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रलेखन केन्द्र (डीईएसआईडीओसी) (रक्षा मंत्रालय), दिल्ली; विनिवेश विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), नई दिल्ली; क्षेत्रीय परिषद सचिवालय (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), नई दिल्ली; क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), नई दिल्ली; राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), पुणे; खान सुरक्षा महानिदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), धनबाद; श्रम कल्याण आयुक्त का कार्यालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), इलाहाबाद; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; खान मंत्रालय, नई दिल्ली; प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन), नई दिल्ली; रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (रेल मंत्रालय), लखनऊ; भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय), नई दिल्ली; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; जल संसाधन विभाग, नई दिल्ली; केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल,

CHAPTER-10

DOWNGRADING OF CLASSIFIED RECORDS

Downgrading of classified records is one of the important aspects of records management. Section 6(1) (f) of Public Records Act, 1993 and Rule 7 of Public Records Rules, 1997, lay down that all records creating agencies falling within the purview of said Act, shall review their all classified files once in five years with a view to downgrading them. Accordingly, a circular letter No. 16-3/2010-RM dated 29th June, 2010 was issued to all ministries/ departments/ offices including public sector undertakings/ statutory bodies etc. A list of records creating agencies who have sent information may please be seen in Annexure-III. In response to another circular letter No. 16-12A/2010-RM dated 29th June, 2010 was also issued to all records creating agencies. Replies received in this regard are not encouraging as only 94 ministries/ departments/ offices/ public sector undertakings/ statutory bodies etc. have responded. A detailed analysis of the information received is given below.

10.1 The following ministries/ departments/ offices have downgraded their classified records. These are:- Department of Commerce (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Department of Information Technology (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Department of Posts (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Ministry of Defence, New Delhi; Ministry of Home, New Delhi; Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), Mussoorie; Office of the Chief Postmaster General, Kerala Circle (Department of Posts), Thiruvananthapuram; Prime Minister's Office, New Delhi and Planning Commission, New Delhi.

10.2 The following ministries/ departments/ offices who are not doing downgrading of classified records or do not have classified records or given vague replies or not required or not relevant are:- Central Agmark Laboratory (Ministry of Agriculture), Nagpur; Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; National Informatics Centre (Department of Information Technology) (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Air Headquarters, Directorate of Operations (MRP) (Ministry of Defence), New Delhi; Defence Scientific Information & Documentation Centre (DESIDOC) (Ministry of Defence), Delhi; Department of Disinvestment (Ministry of Finance), New Delhi; Department of Health and Family Welfare (Ministry of Health and Family Welfare), New Delhi; Zonal Councils Secretariat (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Department of Higher Education (Ministry of Human Resource Development), New Delhi; Directorate of Field Publicity (Ministry of Information & Broadcasting), New Delhi; National Film Archive of India (Ministry of Information & Broadcasting), Pune; Directorate General of Mines Safety (Ministry of Labour and Employment), Dhanbad; Office of the Labour Welfare Commissioner (Ministry of Labour and Employment), Allahabad; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Ministry of Mines, New Delhi; Department of Administrative Reforms & Public Grievances (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Railway Board (Ministry of Railways), New Delhi; Research Designs & Standards Organization (Ministry of Railways), Lucknow; Department of Land Resources (Ministry of Rural Development), New Delhi; Department of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science and Technology),

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

असम मण्डल (डाक विभाग), गुवाहाटी; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, हरियाणा मण्डल (डाक विभाग), अम्बाला; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), अहमदाबाद; परियोजना मूल्यांकन अभिलेख सर्जक एजेंसी (योजना आयोग), बैंगलोर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), भुवनेश्वर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), शिमला; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, (एनआर) (योजना आयोग), चंडीगढ़; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), कोलकाता और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), मुंबई।

10.3 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन पर वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण लागू नहीं होता। ये हैं – नमक आयुक्त का कार्यालय (वित्त मंत्रालय), जयपुर; श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली और उत्तरी रेलवे (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली।

10.4 निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियों/मंत्रालयों/कार्यालयों ने 'शून्य' रिपोर्टें भेजी हैं। इनके नाम हैं:– रजिस्ट्रार कंपनी का कार्यालय, केरल और लक्षद्वीप (कारपोरेट कार्य मंत्रालय), केरल; उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय) नई दिल्ली; राष्ट्रीय खान स्वास्थ्य संस्थान (खान मंत्रालय), नागपुर; सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), नई दिल्ली; ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; अधीक्षक का कार्यालय, केरल मण्डल स्टैम्प डिपो (डाक विभाग), कोच्चि; डाक कार्यालय अधीक्षक का कार्यालय, मंजेरी प्रभाग (डाक विभाग), मंजेरी और वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर कार्यालय, त्रिशूर प्रभाग (डाक विभाग), त्रिशूर।

10.5 औषध विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि विभाग का सृजन केवल 2 वर्ष पहले रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रभाग द्वारा किया गया था। विभाग अभी भी स्वयं को स्थापित कर रहा है।

10.6 आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सी एंड सी प्रभाग/सीएम प्रभाग/बजट प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

10.7 राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि सामान्य प्रशासन राजस्व (जीएआर) अनुभाग, राजस्व (मुख्यालय) से परामर्श किया जाए क्योंकि राजस्व विभाग का अभिलेख कक्ष उनके क्षेत्राधिकार में आता है।

10.8 अपर निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), मुम्बई ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख सर्जक एजेंसी के लिए स्टॉफ की कमी है। इस उद्देश्य के लिए जब तक कोई विशिष्ट स्टॉफ स्वीकृत नहीं किया जाता तब तक अभिलेखों को रखना और उन्हें बनाए रखना संभव नहीं होगा।

10.9 महानिदेशालय का कार्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि कार्य चल रहा है।

10.10 क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि नीति के अनुसार वर्गीकृत अभिलेख और मंत्रिमंडल टिप्पणियों को मूल कार्यालय में रखा जाता है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Central Soil & Materials Research Station (Ministry of Water Resources), New Delhi; Office of the Chief Postmaster General, Assam Circle (Department of Posts), Guwahati; Office of the Chief Postmaster General, Haryana Circle (Department of Posts), Ambala; Project Evaluation Office (Planning Commission), Ahmedabad; Project Evaluation Records creating agency (Planning Commission), Bangalore; Project Evaluation Office (Planning Commission), Bhubaneswar; Project Evaluation Office (Planning Commission), Shimla; Project Evaluation Office (Planning Commission), Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Office (NR) (Planning Commission), Chandigarh; Regional Evaluation Office (Planning Commission), Kolkata and Regional Evaluation Office (Planning Commission), Mumbai.

10.3 The following ministries/ departments/ offices have informed that downgrading of classified records is not applicable. These are:- Office of the Salt Commissioner (Ministry of Finance), Jaipur; Ministry of Labour and Employment, New Delhi and Northern Railway (Ministry of Railways), New Delhi.

10.4 The following records creating agencies/ ministries/ offices have forwarded 'Nil' reports, these are:- Office of Registrar of Companies, Kerala & Lakshadweep (Ministry of Corporate Affairs), Kerala; Department of Production (Ministry of Defence), New Delhi; National Institute of Miners' Health (Ministry of Mines), Nagpur; Institute of Secretariat Training & Management (Department of Personnel & Training) (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Bureau of Energy Efficiency (Ministry of Power), New Delhi; Office of the Superintendent Kerala Circle Stamp Depot (Department of Posts), Kochi; Office of the Superintendent of Posts Offices (Department of Posts), Manjeri and Superintendent Postal Stores Depot (Department of Posts), Thrissur.

10.5 Department of Pharmaceuticals (Ministry of Chemicals and Fertilizers), New Delhi has informed that the Department had been created only 2 years back by division of Department of Chemicals & Petrochemicals. The Department is still in the process of establishing itself.

10.6 Department of Economic Affairs (Ministry of Finance), New Delhi has directed all its attached/ subordinate offices/ public sector undertakings working under the administrative control of C & C division/ CM division/ Budget division to furnish the requisite information.

10.7 Department of Revenue (Ministry of Finance), New Delhi has informed that the General Administration Revenue (GAR) Section, Revenue (Headquarters) may be consulted as the records room of the Department of Revenue falls under their jurisdiction.

10.8 Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme (Ministry of Health and Family Welfare), Mumbai has informed that there is shortage of staff for this records creating agency. It will not be possible to work out the records and to maintain the records room unless specific staff is sanctioned for this purpose only.

10.9 Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs, New Delhi has informed that work is being undertaken.

10.10 Directorate of Field Publicity (Ministry of Information & Broadcasting), New Delhi has informed that as per policy classified records and cabinet notes are retained with the originator.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

10.11 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

10.12 विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को यह निर्देश दिया है कि अपेक्षित सूचना विद्युत मंत्रालय को अवगत कराते हुए सीधे प्रस्तुत की जाए।

10.13 शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को संगत अपेक्षित सूचना शहरी विकास मंत्रालय के समन्वय अनुभाग को सूचित करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार को सीधे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

10.14 डाक कार्यालय अधीक्षक का कार्यालय, तिरूर प्रभाग (डाक विभाग), तिरूर ने सूचित किया है कि तिरूर प्रभाग में ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

10.15 मुख्य महा डाकपाल कार्यालय, हिमाचल प्रदेश मण्डल (डाक विभाग) ने सूचित किया है कि इस कार्यालय में ऐसा कोई वर्गीकृत अभिलेख नहीं है, जिसके विवर्गीकरण की आवश्यकता हो।

10.16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कार्पोरेशनों/सांविधिक निकायों आदि से प्राप्त सूचना के विश्लेषण के अनुसार छः अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सूचित किया है कि वे अपनी फाइलों का विवर्गीकरण कर रहे हैं:— ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; ईरकन इंटरनेशनल लिमिटेड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट (पोत मंत्रालय), विशाखापटनम; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (वस्त्र मंत्रालय), लखनऊ; बनसागर नियंत्रण बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), रीवा (म.प्र.) और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), पुणे।

10.17 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कार्पोरेशन/सांविधिक निकायों आदि ने विभिन्न उत्तर भेजे हैं, उदाहरण के लिए संकलन नहीं कर रहे है, आवश्यक नहीं हैं, अपेक्षित नहीं है, शून्य आदि। ये हैं:— गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), कोलकाता; गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), गोवा; खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (खान मंत्रालय); नागपुर; विद्युत वित्त निगम लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), ऋषिकेश; राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (विद्युत मंत्रालय), फरीदाबाद (हरियाणा); ड्रेडजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्नम; मुंबई बंदरगाह ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), मुंबई; ट्राइफेड, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आदिवासी कार्य मंत्रालय), नई दिल्ली; ब्रह्मपुत्र बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय, गुवाहाटी; राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली और वैपकोस लिमिटेड (जल संसाधन मंत्रालय), गुड़गांव।

10.18 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (पोत परिवहन मंत्रालय), नोएडा; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (जल संसाधन मंत्रालय), इंदौर और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि वर्गीकृत अभिलेखों का वर्गीकरण उन पर लागू नहीं होता।

10.19 भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद ने सूचित किया है कि वर्तमान में अभिलेख कक्ष में कोई वर्गीकृत अभिलेख नहीं रखे जाते हैं।

10.11 Department of Personnel & Training (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi has informed that necessary directions had been issued all its attached/ subordinate offices including public sector undertaking etc. working under their administrative control.

10.12 Ministry of Power, New Delhi has directed its attached/subordinate offices to submit the requisite information directly to this Department.

10.13 Ministry of Urban Development, New Delhi has directed its all attached/ subordinate offices to furnish the relevant requisite information directly to the National Archives of India under intimation to Coordination Section of Ministry of Urban Development.

10.14 Office of the Superintendent of Post Offices, Tirur Division (Department of Posts), Tirur has intimated that no such arrangement exists in Tirur Division.

10.15 Office of the Chief Postmaster General, H.P. Circle (Department of Posts), Shimla has informed that this office does not having any such classified records, which require any de-classification.

10.16 The analysis of information received from public sector undertakings/ corporations/ statutory bodies etc., the six records creating agencies have intimated that they are doing the downgrading of files, these are:- Rural Electrification Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi; IRCON International Limited (Ministry of Railways), New Delhi; Visakhapatnam Port Trust (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; National Handloom Development Corporation Limited (Ministry of Textiles), Lucknow; Bansagar Control Board (Ministry of Water Resources), Rewa and Central Water & Power Research Station (Ministry of Water Resources), Pune.

10.17 The following public sector undertakings/ corporations/ statutory bodies etc. have sent varying responses e.g. not compiling, not necessary, not required, Nil etc. These are:- Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (Ministry of Defence), Kolkata; Goa Shipyard Limited (Ministry of Defence), Goa; Mineral Exploration Corporation Limited (Ministry of Mines), Nagpur; Power Finance Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi; Tehri Hydro Development Corporation India Limited (Ministry of Power), Rishikesh; National Power Training Institute (Ministry of Power), Faridabad (Haryana); Dredging Corporation of India Limited (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; Mumbai Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai; TRIFED, Quality Control, Research & Development Centre (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi; Brahmaputra Board (Ministry of Water Resources), Guwahati; National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi; Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi and WAPCOS Limited (Ministry of Water Resources), Gurgaon.

10.18 Inland Waterways Authority of India (Ministry of Shipping), Noida; Narmada Control Authority (Ministry of Water Resources), Indore and National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation (Ministry of Social Justice & Empowerment), New Delhi have intimated that downgrading of classified records is not applicable on them.

10.19 Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence), Hyderabad has intimated that at present no classified records are kept in records room.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

10.20 मैजागन डॉक लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), मुंबई ने सचित किया है कि नौसेना का वर्गीकृत अभिलेखों पर नियंत्रण है और तदनुसार उन्हें रखा जा रहा है।

10.21 एन्नोर पोर्ट लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), चेन्नई ने सूचित किया है कि अभिलेख सर्जक एजेंसी सरकार के निर्देशानुसार वर्गीकरण करती है।

10.22 जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (पोत मंत्रालय), मुंबई ने सूचित किया है कि जेएनपीटी में बहुत कम वर्गीकृत अभिलेख हैं लेकिन वे स्थायी प्रकृति के हैं।

10.23 <u>**टिप्पणी और विश्लेषण**</u> –यह पाया गया है कि केवल कुछ प्रमुख मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों द्वारा अपने वर्गीकृत अभिलेखों का नियमित रूप से विवर्गीकरण किया जा रहा है और इस संबंध में रिपोर्ट राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्रस्तुत कर रहे हैं। अधिकांश मंत्रालय/विभाग/कार्यालय मामले को गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं तथा वे अपने वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण नहीं कर रहे हैं लेकिन यह सूचित किया है कि उनके पास कोई वर्गीकृत अभिलेख नहीं है या अस्पष्ट उत्तर दिए हैं, अपेक्षित नहीं या संगत नहीं आदि।

राष्ट्रीय अभिलेखागार सभी केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों को वर्ष में दो बार अपने वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करने हेतु अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए नियमित रूप से परिपत्र जारी कर रहा है। अब उनके वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण के लिए कार्रवाई पूरी तरह से संबंधित सर्जक एजेंसियों द्वारा लोक अभिलेख अधिनियम 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के कार्यान्वयन हेतु नियमित रूप से राष्ट्रीय अभिलेखागार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

10.20 Mazagon Dock Limited (Ministry of Defence), Mumbai has intimated that Navy has control over classified records and are accordingly being maintained.

10.21 Ennore Port Limited (Ministry of Shipping), Chennai has informed that the records creating agency maintains the same classification as received from Government.

10.22 Jawaharlal Nehru Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai has informed that JNPT has very few classified records but they are permanent nature.

10.23 Observation and Analysis - It has been observed that only few major ministries/ departments/ offices are declassifying their classified records regularly and submitting the report in this regard to National Archives of India. Most of the ministries/ departments/ offices are not taking the matter seriously and are not downgrading their classified records but have informed that no classified records are lying with them or given vague replies, not required or not relevant etc.

National Archives of India is regularly issuing circular in the matter to all Central Government ministries/ departments for submitting their reports for downgrading of their classified records twice in a year. Now the action is fully required to be taken on the part of concerned creating agencies for downgrading of their classified records and submitting the report of the same regularly, to the National Archives of India for implementation of Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–11

निष्क्रिय आयोग / समितियाँ

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(झ) के साथ पठित धारा 3(2)(ठ) के अनुसरण में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निष्क्रिय निकायों के अभिलेखों के अंतरण से संबंधित सूचना एकत्र करने के प्रयास जारी रखे ताकि उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से संरक्षित रखा जा सके और शोधकर्ताओं के परामर्श के लिए उपलब्ध कराया जाए। कहना न होगा कि ऐसे निष्क्रिय निकायों के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनमें निहित सूचना उन परिस्थितियों को समझने, जिनमें उनका गठन किया गया, और उनके द्वारा किए गए कार्य को जानने के लिए स्रोत सामग्री का काम करती है। इस संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को दिनांक 29 जून, 2010 का एक परिपत्र सं0 16–5/2010–आर.एम. जारी किया था। कुल 94 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि ने सूचना भेजी है। इनमें से 67 सरकारी अभिलेख सर्जक एजेंसियां हैं और 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है।

11.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके पास निष्क्रिय निकायों के अभिलेख हैं। इनके नाम हैं:– विनिवेश विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली; गृह मंत्रालय, नई दिल्ली और खान मंत्रालय, नई दिल्ली।

11.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि ने सूचित किया है कि उनके पास निष्क्रिय निकायों के कोई अभिलेख नहीं हैं। इनके नाम हैं:– केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला (कृषि मंत्रालय), नागपुर; वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग), नई दिल्ली; राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; वायु मुख्यालय, प्रचालन निदेशालय (एमआरपी) (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली; रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रलेखन केन्द्र (डीईएसआईडीओसी) (रक्षा मंत्रालय), दिल्ली; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), नई दिल्ली; महानिदेशालय का कार्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; क्षेत्रीय परिषद सचिवालय (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), नई दिल्ली; क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), नई दिल्ली; सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; खान सुरक्षा महानिदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), धनबाद; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन), मसूरी; रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (रेल मंत्रालय), लखनऊ; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; जल संसाधन विभाग, नई दिल्ली; केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल (डाक विभाग), गुवाहाटी; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, कर्नाटक मण्डल (डाक विभाग), बैंगलोर; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल (डाक विभाग), तिरुवनंतपुरम; वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक का कार्यालय (डाक विभाग), त्रिशूर और प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।

CHAPTER-11

DEFUNCT COMMISSIONS/ COMMITTEES

In pursuance of Section 3(2) (n) read with Section 6(1) (I) of Public Records Act, 1993, National Archives of India continued its efforts to gather information in respect of transferring of records of defunct bodies with a view to preserve them in a scientific manner and to make them available for consultation by the researchers. Needless to mention here that the records of such defunct bodies are very important as information contained therein will be source material for understanding the circumstances under which these were set up and work accomplished by them. To collect information in this regard, National Archives of India issued circular letter No. 16-5/2010-RM dated 29th June, 2010, to all records creating agencies. In all 94 ministries/ departments/ offices/ public sector undertakings etc. have furnished information. Out of these 67 are Government records creating agencies and 27 are public sector undertakings. Detailed analysis of information received is indicated below.

11.1 The following ministries/ departments/ offices have informed that they have records of defunct bodies. These are:- Department of Disinvestment (Ministry of Finance), New Delhi; Ministry of Home, New Delhi and Ministry of Mines, New Delhi.

11.2 The following ministries/ departments/ offices etc. have intimated that they do not have any records of defunct bodies. These are:- Central Agmark Laboratory (Ministry of Agriculture), Nagpur; Department of Commerce (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; National Informatics Centre (Department of Information Technology) (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Ministry of Defence, New Delhi; Air Headquarters, Directorate of Operations (MRP) (Ministry of Defence), New Delhi; Defence Scientific Information & Documentation Centre (DESIDOC) (Ministry of Defence), Delhi; Department of Health and Family Welfare (Ministry of Health and Family Welfare), New Delhi; Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Zonal Councils Secretariat (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Department of Higher Education (Ministry of Human Resource Development), New Delhi; Directorate of Field Publicity (Ministry of Information & Broadcasting), New Delhi; Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi; Directorate General of Mines Safety (Ministry of Labour and Employment), Dhanbad; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), Mussoorie; Railway Board (Ministry of Railways), New Delhi; Research Designs & Standards Organization (Ministry of Railways), Lucknow; Department of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science and Technology), New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Central Soil & Materials Research Station (Ministry of Water Resources), New Delhi; Office of the Chief Postmaster General (Department of Posts), Guwahati; Office of the Chief Postmaster General, Karnataka Circle (Department of Posts), Bangalore; Office of the Chief Postmaster General (Department of Posts), Thiruvananthapuram; Office of the Senior Superintendent of Post Offices (Department of Posts), Thrissur and Prime Minister's Office, New Delhi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

11.3 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि ने 'शून्य' या 'उन पर लागू नहीं होता' रिपोर्ट भेजी है। इनके नाम हैं:- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; रजिस्ट्रार कंपनी का कार्यालय, केरल और लक्षद्वीप (कारपोरेट कार्य मंत्रालय), केरल; उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय) नई दिल्ली; नमक आयुक्त का कार्यालय (वित्त मंत्रालय), जयपुर; अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), मुंबई; राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), पुणे; श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली; श्रम कल्याण आयुक्त का कार्यालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), इलाहाबाद; राष्ट्रीय खान स्वास्थ्य संस्थान (खान मंत्रालय), नागपुर; सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), नई दिल्ली; ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; उत्तरी रेलवे (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय), नई दिल्ली; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, हिमाचल प्रदेश मण्डल (डाक विभाग), शिमला; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, हरियाणा मण्डल (डाक विभाग), अम्बाला; अधीक्षक डाकघर का कार्यालय (डाक विभाग), ईरिनजालाकुडा; अधीक्षक का कार्यालय, केरल मण्डल स्टैम्प डिपो (डाक विभाग), कोच्चि; डाक कार्यालय अधीक्षक का कार्यालय, मंजेरी प्रभाग (डाक विभाग), मंजेरी; अधीक्षक डाक भण्डार डिपो (डाक विभाग), त्रिशूर; उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), अहमदाबाद; परियोजना मूल्यांकन अभिलेख सर्जक एजेंसी (योजना आयोग), बैंगलोर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), भुवनेश्वर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), शिमला; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (उत्तर रेलवे) (योजना आयोग), चंडीगढ़; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), कोलकाता और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), मुंबई।

11.4 डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली ने अस्पष्ट उत्तर दिया है।

11.5 औषध विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि विभाग का सृजन केवल 2 वर्ष पहले रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रभाग द्वारा किया गया था। विभाग अभी भी स्वयं को स्थापित कर रहा है।

11.6 आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सी एंड सी प्रभाग/सीएम प्रभाग/बजट प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

11.7 राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि सामान्य प्रशासन राजस्व (जीएआर) अनुभाग, राजस्व (मुख्यालय) से परामर्श किया जाए क्योंकि राजस्व विभाग का अभिलेख कक्ष उनके क्षेत्राधिकार में आता है।

11.8 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग बंद कर दिया गया है और इसकी सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

11.9 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

11.3 The following ministries/ departments/ offices etc. have given 'Nil' report or 'not applicable to them', these are:- Department of Information Technology (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Office of Registrar of Companies, Kerala & Lakshadweep (Ministry of Corporate Affairs), Kerala; Department of Production (Ministry of Defence), New Delhi; Office of the Salt Commissioner (Ministry of Finance), Jaipur; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme (Ministry of Health and Family Welfare), Mumbai; National Film Archive of India (Ministry of Information & Broadcasting), Pune; Ministry of Labour and Employment, New Delhi; Office of the Labour Welfare Commissioner (Ministry of Labour and Employment), Allahabad; National Institute of Miners' Health (Ministry of Mines), Nagpur; Institute of Secretariat Training & Management (Department of Personnel & Training) (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Bureau of Energy Efficiency (Ministry of Power), New Delhi; Northern Railway (Ministry of Railways), New Delhi; Department of Land Resources (Ministry of Rural Development), New Delhi; Office of the Chief Postmaster General, H.P. Circle (Department of Posts), Shimla; Office of the Chief Postmaster General, Haryana Circle (Department of Posts), Ambala; Office of the Superintendent of Post Offices (Department of Posts), Irinjalakuda; Office of the Superintendent Kerala Circle Stamp Depot (Department of Posts), Kochi; Office of the Superintendent of Posts Offices (Department of Posts), Manjeri; Superintendent Postal Stores Depot (Department of Posts), Thrissur; Vice President's Secretariat, New Delhi; Planning Commission, New Delhi; Project Evaluation Office (Planning Commission), Ahmedabad; Project Evaluation Records creating agency (Planning Commission), Bangalore; Project Evaluation Office (Planning Commission), Bhubaneswar; Project Evaluation Office (Planning Commission), Shimla; Project Evaluation Office (Planning Commission), Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Office (NR) (Planning Commission), Chandigarh; Regional Evaluation Office (Planning Commission), Kolkata and Regional Evaluation Office (Planning Commission), Mumbai.

11.4 Department of Posts (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi has given vague reply.

11.5 Department of Pharmaceuticals (Ministry of Chemicals and Fertilizers), New Delhi has informed that the Department had been created only 2 years back by division of Department of Chemicals & Petrochemicals. The Department is still in the process of establishing itself.

11.6 Department of Economic Affairs (Ministry of Finance), New Delhi has directed all its attached/ subordinate offices/ public sector undertakings working under the administrative control of C & C division/ CM division/ Budget division to furnish the requisite information.

11.7 Department of Revenue (Ministry of Finance), New Delhi has informed that the General Administration Revenue (GAR) Section, Revenue (Headquarters) may be consulted as the records room of the Department of Revenue falls under their jurisdiction.

11.8 Department of Administrative Reforms & Public Grievances (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi has informed that 2nd Administrative Reforms Commission has been wound up and follow up action on its recommendations being taken.

11.9 Department of Personnel & Training (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi has informed that necessary directions had been issued to all its attached/ subordinate offices including public sector undertaking etc. working under their administrative control.

राष्ट्रीय अभिलेखागार

11.10 विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों को यह निर्देश दिया है कि अपेक्षित सूचना विद्युत मंत्रालय को अवगत कराते हुए सीधे प्रस्तुत की जाए।

11.11 शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने सभी संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों को संगत अपेक्षित सूचना शहरी विकास मंत्रालय के समन्वय अनुभाग को सूचित करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार को सीधे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

11.12 डाक कार्यालय अधीक्षक का कार्यालय, तिरूर प्रभाग (डाक विभाग), तिरूर ने सूचित किया है कि तिरूर प्रभाग में ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

11.13 निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने निष्क्रिय निकायों का रिकार्ड किया है, 'उन पर लागू नहीं होता', ये हैं:– मैजागन डॉक लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), मुंबई; ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), ऋषिकेश; भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (पोत परिवहन मंत्रालय), नोएडा; राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय), नई दिल्ली; ट्राइफेड, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान और विकास केन्द्र (आदिवासी कार्य मंत्रालय), नई दिल्ली; बेतवा नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), झांसी और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (जल संसाधन मंत्रालय), इन्दौर।

11.14 निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सूचित किया है कि उनके पास निष्क्रिय निकायों का कोई अभिलेख नहीं है। ये हैं:– भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद; गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), कोलकाता; गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), गोवा; खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (खान मंत्रालय); नागपुर; विद्युत वित्त निगम लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; ईरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; ड्रेडजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्नम; एन्नोर पोर्ट लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), चेन्नई; मुंबई बंदरगाह ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), मुंबई; जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), मुंबई; विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्नम; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (वस्त्र मंत्रालय), लखनऊ; बनसागर नियंत्रण बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), रीवा (म.प्र.), ब्रह्मपुत्र बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), गुवाहाटी; केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), पुणे; राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली और ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली।

11.15 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (विद्युत मंत्रालय), फरीदाबाद / हरियाणा ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है।

11.16 यह पाया गया है कि बहुत कम संख्या में मंत्रालयों / विभागों ने निष्क्रिय निकायों के अभिलेखों के बारे में सूचना दी है। अधिकांश मंत्रालयों / विभागों ने सूचित किया है कि उनके पास निष्क्रिय निकायों का कोई रिकार्ड नहीं है और 'शून्य' रिपोर्ट दी है या उन पर लागू नहीं होता और कुछ ने अस्पष्ट उत्तर दिए हैं। अधिकांश मंत्रालयों / विभागों को निष्क्रिय आयोगों / समितियों के अभिलेखों के महत्व के बारे में जानकारी नहीं है।

एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करके निष्क्रिय आयोगों / समितियों के अभिलेखों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के लिए संबंधित सर्जक एजेंसियों में विभागीय अभिलेख अधिकारियों में जागरुकता पैदा करने की जरूरत है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

11.10 Ministry of Power, New Delhi has directed its attached/subordinate offices to submit the requisite information directly to this Department.

11.11 Ministry of Urban Development, New Delhi has directed all attached/ subordinate offices to furnish the relevant requisite information directly to the National Archives of India under intimation to Coordination Section of Ministry of Urban Development.

11.12 Office of the Superintendent of Post Offices, Tirur Division (Department of Posts), Tirur has intimated that no such arrangement exists in Tirur Division.

11.13 The following records creating agencies have given records of defunct bodies 'not applicable to them', these are:- Mazagon Dock Limited (Ministry of Defence), Mumbai; Rural Electrification Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi; Tehri Hydro Development Corporation India Limited (Ministry of Power), Rishikesh; Inland Waterways Authority of India (Ministry of Shipping), Noida; National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation (Ministry of Social Justice & Empowerment), New Delhi; TRIFED, Quality Control, Research & Development Centre (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi; Betwa River Board (Ministry of Water Resources), Jhansi and Narmada Control Authority (Ministry of Water Resources), Indore.

11.14 The following records creating agencies have intimated that they do not have any records of defunct bodies. These are:- Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence), Hyderabad; Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (Ministry of Defence), Kolkata; Goa Shipyard Limited (Ministry of Defence), Goa; Mineral Exploration Corporation Limited (Ministry of Mines), Nagpur; Power Finance Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi; IRCON International Limited (Ministry of Railways), New Delhi; Dredging Corporation of India Limited (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; Ennore Port Limited (Ministry of Shipping), Chennai; Mumbai Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai; Jawaharlal Nehru Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai; Visakhapatnam Port Trust (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; National Handloom Development Corporation Limited (Ministry of Textiles), Lucknow; Bansagar Control Board (Ministry of Water Resources), Rewa; Brahmaputra Board (Ministry of Water Resources), Guwahati; Central Water & Power Research Station (Ministry of Water Resources), Pune; National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi and Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi.

11.15 National Power Training Institute (Ministry of Power), Faridabad (Haryana) has given 'Nil' report.

11.16 It has been observed that a very less number of ministries/ departments have informed that about the records of defunct bodies. Most of the ministries/ departments have intimated that they do not have any records of defunct bodies and have given 'Nil' report or not applicable to them and some of them have given vague replies. Most of the ministries/ departments are not aware about the importance of the records of defunct commissions/ committees.

There is need to arouse a consciousness amongst the Departmental Records Officers working in the concerned creating agencies for the historical and administrative importance of the records of the defunct commissions/ committees through organizing one day workshop in the concerned creating agencies.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–12

अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अप्रचलित अभिलेखों पर आरंभ की गई कार्रवाई

राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ग) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार एक सांविधिक आवश्यकता है क्योंकि इससे अनावश्यक अभिलेखों का नष्ट करके जरूरी शेल्फ स्थान की बचत करने में मदद मिली है। इसके अलावा, इस प्रकार बना शेल्फ स्थान नए अभिलेखों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर स्थायी स्वरूप के अभिलेखों को अभिलेखागार में स्थायी संरक्षण के लिए अंतरित किया जा सकता है। उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को परिपत्र सं0 16–12क / 2010–आर.एम. दिनांक 29 जून, 2010 जारी किया गया था ताकि इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई का पता लगाया जा सके। उपर्युक्त परिपत्र के उत्तर में 94 मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचना दे दी है। ब्यौरा निम्नानुसार है:–

12.1 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन कर रहे हैं। इनके नाम हैं:– रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; नमक आयुक्त का कार्यालय (वित्त मंत्रालय), जयपुर; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), नई दिल्ली; गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; महानिदेशालय का कार्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; क्षेत्रीय परिषद सचिवालय (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली; रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय (डाक विभाग), शिमला; प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली और योजना आयोग, नई दिल्ली।

12.2 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों आदि ने सूचित किया है कि उन्होंने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन नहीं किया है। इनके नाम हैं:– केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला (कृषि मंत्रालय), नागपुर; वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग), नई दिल्ली; डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; वायु मुख्यालय, प्रचालन निदेशालय (एमआरपी) (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली; रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रलेखन केन्द्र (रक्षा मंत्रालय), दिल्ली; विनिवेश विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली; उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), नई दिल्ली; क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), नई दिल्ली; राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), पुणे; श्रम कल्याण आयुक्त का कार्यालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), इलाहाबाद; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; खान मंत्रालय, नई दिल्ली; प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत और पेंशन), नई दिल्ली; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन), मसूरी; उत्तरी रेलवे (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (रेल मंत्रालय), लखनऊ; भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय), नई दिल्ली; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय,

CHAPTER-12

ACTION INITIATED BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Appraisal of non-current records of the ministries/ departments/ offices/ public sector undertakings in consultation with the National Archives of India is a statutory requirement as stipulated under Section 6(1) (c) of the Public Records Act, 1993 as it helps in saving precious shelf space by destroying records of ephemeral value. Further, on the one hand shelf space thus released can be utilized for storing fresh accrual of records, on the other hand records of permanent nature could be transferred to the archival repository for permanent preservation. Keeping in view the above said provision, a circular letter No. 16-12A/2010-RM dated 29th June, 2010 was issued to all records creating agencies so as to ascertain the extent of action initiated by them in this regard. In response to the above said circular 94 ministries/ departments/ offices and public sector undertakings have furnished information. Details are as under:

12.1 The following ministries/ departments/ offices who have informed that they are conducting appraisal of non-current records in consultation with National Archives of India. These are:- Ministry of Defence, New Delhi; Office of the Salt Commissioner (Ministry of Finance), Jaipur; Department of Health and Family Welfare (Ministry of Health and Family Welfare), New Delhi; Ministry of Home, New Delhi; Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Zonal Councils Secretariat (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi; Ministry of Labour and Employment, New Delhi; Railway Board (Ministry of Railways), New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Central Soil & Materials Research Station (Ministry of Water Resources), New Delhi; Office of the Chief Postmaster General (Department of Posts), Shimla; Prime Minister's Office, New Delhi and Planning Commission, New Delhi.

12.2 The following ministries/ departments/ offices etc. have intimated that they have not conducted appraisal of non-current records. These are:- Central Agmark Laboratory (Ministry of Agriculture), Nagpur; Department of Commerce (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Department of Posts (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Air Headquarters, Directorate of Operations (MRP) (Ministry of Defence), New Delhi; Defence Scientific Information & Documentation Centre (Ministry of Defence), Delhi; Department of Disinvestment (Ministry of Finance), New Delhi; Department of Higher Education (Ministry of Human Resource Development), New Delhi; Directorate of Field Publicity (Ministry of Information & Broadcasting), New Delhi; National Film Archive of India (Ministry of Information & Broadcasting), Pune; Office of the Labour Welfare Commissioner (Ministry of Labour and Employment), Allahabad; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Ministry of Mines, New Delhi; Department of Administrative Reforms & Public Grievances (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), Mussoorie; Northern Railway (Ministry of Railways), New Delhi; Research Designs & Standards Records creating agency (Ministry of Railways), Lucknow; Department of Land

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

हरियाणा मण्डल (डाक विभाग), अम्बाला; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, केरल मण्डल (डाक विभाग), तिरुवनंतपुरम; वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर का कार्यालय (डाक विभाग), त्रिशूर; वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक का कार्यालय (डाक विभाग), त्रिशूर; उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), अहमदाबाद; परियोजना मूल्यांकन अभिलेख सर्जक एजेंसी (योजना आयोग), बैंगलोर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), भुवनेश्वर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), शिमला; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (उत्तर रेलवे) (योजना आयोग), चंडीगढ़; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), कोलकाता और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), मुंबई।

12.3 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने 'शून्य' या 'उनसे संबंधित नहीं है' रिपोर्टें दी हैं। इनके नाम हैं:— राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; रजिस्ट्रार कंपनी का कार्यालय, केरल और लक्षद्वीप (कारपोरेट कार्य मंत्रालय), केरल; उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय) नई दिल्ली; अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), मुंबई; खान सुरक्षा महानिदेशालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), धनबाद; राष्ट्रीय खान स्वास्थ्य संस्थान (खान मंत्रालय), नागपुर; सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), नई दिल्ली; ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; अधीक्षक डाकघर का कार्यालय (डाक विभाग), ईरिनजालाकुडा; अधीक्षक का कार्यालय, केरल मण्डल स्टैम्प डिपो (डाक विभाग), कोच्चि; डाक अधीक्षक का कार्यालय (डाक विभाग), मंजेरी प्रभाग (डाक विभाग), मंजेरी और अधीक्षक डाक भण्डार डिपो (डाक विभाग), त्रिशूर।

12.4 औषध विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि विभाग का सृजन केवल 2 वर्ष पहले रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रभाग द्वारा किया गया था। विभाग अभी भी स्वयं को स्थापित कर रहा है।

12.5 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि डीआरआर के हाल के निरीक्षण के दौरान डीआईटी के संयुक्त निरीक्षण दल तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार ने डीआरआर में रखी 500 फाइलों के संबंध में उचित कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

12.6 आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सी एंड सी प्रभाग / सीएम प्रभाग / बजट प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत अपने सभी संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

12.7 राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि सामान्य प्रशासन राजस्व (जीएआर) अनुभाग, राजस्व (मुख्यालय) से परामर्श किया जाए क्योंकि राजस्व विभाग का अभिलेख कक्ष उनके क्षेत्राधिकार में आता है।

12.8 विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों को यह निर्देश दिया है कि अपेक्षित सूचना विद्युत मंत्रालय को अवगत कराते हुए सीधे प्रस्तुत की जाए।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Resources (Ministry of Rural Development), New Delhi; Department of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science and Technology), New Delhi; Office of the Chief Postmaster General, Haryana Circle (Department of Posts), Ambala; Office of the Chief Postmaster General, Kerala Circle (Department of Posts), Thiruvananthapuram; Office of the Senior Superintendent of Post Offices (Department of Posts), Thrissur; Vice President's Secretariat, New Delhi; Project Evaluation Office (Planning Commission), Ahmedabad; Project Evaluation Records creating agency (Planning Commission), Bangalore; Project Evaluation Office (Planning Commission), Bhubaneswar; Project Evaluation Office (Planning Commission), Shimla; Project Evaluation Office (Planning Commission), Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Office (NR) (Planning Commission), Chandigarh; Regional Evaluation Office (Planning Commission), Kolkata and Regional Evaluation Office (Planning Commission), Mumbai.

12.3 The following ministries/ departments/ offices have given 'Nil' reports or 'not relevant to them', these are:- National Informatics Centre (Department of Information Technology) (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Office of Registrar of Companies, Kerala & Lakshadweep (Ministry of Corporate Affairs), Kerala; Department of Production (Ministry of Defence), New Delhi; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme (Ministry of Health and Family Welfare), Mumbai; Directorate General of Mines Safety (Ministry of Labour and Employment), Dhanbad; National Institute of Miners' Health (Ministry of Mines), Nagpur; Institute of Secretariat Training & Management (Department of Personnel & Training) (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Bureau of Energy Efficiency (Ministry of Power), New Delhi; Office of the Superintendent of Post Offices (Department of Posts), Irinjalakuda; Office of the Superintendent Kerala Circle Stamp Depot (Department of Posts), Kochi; Office of the Superintendent of Posts Offices (Department of Posts), Manjeri and Superintendent Postal Stores Depot (Department of Posts), Thrissur.

12.4 Department of Pharmaceuticals (Ministry of Chemicals and Fertilizers), New Delhi has informed that the Department had been created only 2 years back by division of Department of Chemicals & Petrochemicals. The Department is still in the process of establishing itself.

12.5 Department of Information Technology (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi has informed that during recent inspection of DRR a Joint Inspecting Team of DIT and National Archives of India has recommended appropriate course of action in r/o 500 files kept in DRR.

12.6 Department of Economic Affairs (Ministry of Finance), New Delhi has directed all its attached/ subordinate offices/ public sector undertakings working under the administrative control of C & C division/ CM division/ Budget division to furnish the requisite information.

12.7 Department of Revenue (Ministry of Finance), New Delhi has informed that the General Administration Revenue (GAR) Section, Revenue (Headquarters) may be consulted as the records room of the Department of Revenue falls under their jurisdiction.

12.8 Ministry of Power, New Delhi has directed its attached/subordinate offices to submit the requisite information directly to this Department.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

12.9 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

12.10 शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को संगत अपेक्षित सूचना शहरी विकास मंत्रालय के समन्वय अनुभाग को सूचित करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार को सीधे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

12.11 डाक कार्यालय अधीक्षक का कार्यालय, तिरूर प्रभाग (डाक विभाग), तिरूर ने सूचित किया है कि तिरूर प्रभाग में ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

12.12 मुख्य महा डाकपाल कार्यालय, कर्नाटक मण्डल (डाक विभाग), बैंगलोर ने सूचित किया है कि केवल प्रचलित फाइले ही रखी जाती हैं।

12.13 निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियां अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन नहीं कर रही हैं। ये हैं:– भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद; गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), कोलकाता; गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), गोवा; खनिज अन्वेषण कॉर्पोरेशन लिमिटेड (खान मंत्रालय), नागपुर; विद्युत वित्त कार्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), ऋषिकेश; ईरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; ड्रेडजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्नम; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (वस्त्र मंत्रालय), लखनऊ; बनसागर नियंत्रण बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), रीवा; ब्रह्मपुत्र बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय, गुवाहाटी; केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), पुणे; राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली और वैपकोस लिमिटेड (जल संसाधन मंत्रालय), गुड़गांव (हरियाणा)।

12.14 बेतवा नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), झांसी ने अस्पष्ट उत्तर दिया है।

12.15 निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता। ये हैं:– मैजागन डॉक लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), मुंबई; भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (पोत परिवहन मंत्रालय), नोएडा; राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय), नई दिल्ली; ट्राइफेड, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान और विकास केन्द्र (आदिवासी कार्य मंत्रालय), नई दिल्ली और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (जल संसाधन मंत्रालय), इन्दौर।

12.16 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (विद्युत मंत्रालय), फरीदाबाद (हरियाणा) ने 'शून्य' रिपोर्ट दी है।

12.17 एन्नोर पोर्ट लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), चेन्नई ने सूचित किया है कि अधिकांश अभिलेख परियोजना से संबंधित हैं और इसलिए इन्हें वर्तमान में बनाए रखा गया है।

12.18 मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), मुंबई ने सूचित किया है कि एमबीपीटी के अप्रचलित अभिलेख समान हैं अर्थात् बोर्ड बैठक की कार्यवाहियां, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थायी अभिलेख के रूप में वर्गीकृत हैं। इसलिए अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन की काई आवश्यकता नहीं है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

12.9 Department of Personnel & Training (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi has informed that necessary directions had been issued to all its attached/ subordinate offices including public sector undertaking etc. working under their administrative control.

12.10 Ministry of Urban Development, New Delhi has directed its all attached/ subordinate offices to furnish the relevant requisite information directly to the National Archives of India under intimation to Coordination Section of Ministry of Urban Development.

12.11 Office of the Superintendent of Post Offices, Tirur Division (Department of Posts), Tirur has intimated that no such arrangement exists in Tirur Division.

12.12 Office of the Chief Postmaster General, Karnataka Circle (Department of Posts), Bangalore has intimated that only current files are kept.

12.13 The following records creating agencies are not appraising the non-current records. These are:- Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence), Hyderabad; Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (Ministry of Defence), Kolkata; Goa Shipyard Limited (Ministry of Defence), Goa; Mineral Exploration Corporation Limited (Ministry of Mines), Nagpur; Power Finance Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi; Rural Electrification Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi; Tehri Hydro Development Corporation India Limited (Ministry of Power), Rishikesh; IRCON International Limited (Ministry of Railways), New Delhi; Dredging Corporation of India Limited (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; Jawaharlal Nehru Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai; Visakhapatnam Port Trust (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; National Handloom Development Corporation Limited (Ministry of Textiles), Lucknow; Bansagar Control Board (Ministry of Water Resources), Rewa; Brahmaputra Board (Ministry of Water Resources), Guwahati; Central Water & Power Research Station (Ministry of Water Resources), Pune; National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi and WAPCOS Limited (Ministry of Water Resources), Gurgaon (Haryana).

12.14 Betwa River Board (Ministry of Water Resources), Jhansi has given vague reply.

12.15 The following records creating agencies have intimated that they are 'not applicable'. These are:- Mazagon Dock Limited (Ministry of Defence), Mumbai; Inland Waterways Authority of India (Ministry of Shipping), Noida; National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation (Ministry of Social Justice & Empowerment), New Delhi; TRIFED, Quality Control, Research & Development Centre (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi and Narmada Control Authority (Ministry of Water Resources), Indore.

12.16 National Power Training Institute (Ministry of Power), Faridabad (Haryana) has given 'Nil' report.

12.17 Ennore Port Limited (Ministry of Shipping), Chennai has intimated that most of the records are project related and hence retained currently.

12.18 Mumbai Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai has informed that MBPT's non current records are the same i.e. proceedings of the board meeting which are classified as permanent record under Public Records Act, 1993. Hence, there is no need to appraise non-current records.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

12.19 ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि इस सतर पर इसकी आवश्यकता नहीं है।

12.20 राष्ट्रीय अभिलेखागार केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को उनके अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक परिपत्र जारी कर रहा है, लेकिन यह देखने में आया है कि बड़ी संख्या में मंत्रालयों/विभागों ने मामले में कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की है और इससे पहले की बहुत देर हो जाए, हम बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण अभिलेख को खो देंगे। सर्जक एजेंसियों के पास अभी भी अधिकांश बहुमूल्य अभिलेख बिना मूल्यांकन के पड़े हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने मामले में अपनी ओर से कार्रवाई प्रारम्भ कर रही है और ''विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अप्रचलित सार्वजनिक अभिलेखों के निरीक्षण और स्थानांतरण'' परियोजना के अंतर्गत एक नियमित मूल्यांकन; फाइलों की अंतरण सूची तैयार करने, इस विभाग अर्थात् एआईएचएस के कस्टोमाइज्ड सॉफ्टवेयर में अप्रचलित फाइलों की डॉटा एंट्री तथा उन्हें स्थायी वैज्ञानिक परिरक्षण को अंतरित करने की कार्रवाई को ऑउट सोर्सिंग के जरिए प्रशिक्षित अभिलेख सहायकों द्वारा अभी भी किया जाता है।

तथापि, इस मामले में संबंधित सर्जक एजेंसियों द्वारा भी गंभीर उपाय/कार्रवाई किए जाने अपेक्षित हैं।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

12.19 Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi has informed that it is not required at this stage.

12.20 National Archives of India is issuing a circular to all the Central Government ministries/ departments for taking the necessary action for appraisal of their non-current records, but it has been noticed that a large number of ministries/ departments have not taken any serious action in the matter and we are going to lose a good number of important records before it is too late. Most of the precious records are still lying un-appraised with the creating agencies. National Archives of India has initiated action on their part in the matter and under the project "Survey, inspection and transfer of non-current public records of various ministries/ departments", a regular appraisal, preparation of transfer lists of files, data entry of non-current files in customized software of this department i.e. AIMS and their transfer to National Archives of India for permanent scientific preservation is still continued by the trained Archival Assistants engaged through out-sourcing.

However, the serious steps/actions are also required from the concerned creating agencies in the matter.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–13

अभिलेख सर्जक एजेंसियों का संगठनात्मक इतिहास

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(झ) में यह निर्धारित किया गया है कि अभिलेख सर्जक एजेंसी को अपने संगठनात्मक इतिहास को संकलित करना चाहिए क्योंकि यह वर्षों से सृजित अभिलेखों का स्वरूप समझने के लिए आवश्यक साधन है। इस लेख में उसकी स्थापना, कार्य, विभिन्न स्कंधों, प्रभागों, इत्यादि के विकास के बारे में सूचना होनी चाहिए। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि से परिपत्र सं0 16–2/2010 आर.एम. दिनांक 29 जून, 2010 जारी किया जिसमें उनसे उनके संगठनात्मक इतिहास को संकलित करने के लिए उनके द्वारा 2009 में की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था। 94 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि से प्राप्त उत्तर नीचे सार में दिया गया है:–

13.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया कि उन्होंने संगठनों का इतिहास संकलित किया है और उसकी एक प्रति भेज दी है। ये हैं:– वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग), नई दिल्ली; सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; वायु मुख्यालय, प्रचालन निदेशालय (एमआरपी) (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली; उत्पादन विभाग (डीजीक्यूए) (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली; गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; महानिदेशालय का कार्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; क्षेत्रीय परिषद सचिवालय (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), नई दिल्ली; क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), नई दिल्ली; श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली; खान सुरक्षा महानिदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), धनबाद; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय); नई दिल्ली; सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), नई दिल्ली; ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय), नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), शिमला और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग) कोलकाता।

13.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन नहीं किया है। ये हैं: केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला (कृषि मंत्रालय), नागपुर; राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रलेखन केन्द्र (रक्षा मंत्रालय), दिल्ली; विनिवेश विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), नई दिल्ली; सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), पुणे; श्रम कल्याण आयुक्त का कार्यालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), इलाहाबाद; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन), मसूरी; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, असम मण्डल (डाक विभाग), गुवाहाटी; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, हिमाचल प्रदेश मण्डल (डाक विभाग), शिमला; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, हरियाणा मण्डल (डाक

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-13

ORGANISATIONAL HISTORY OF RECORDS CREATING AGENCIES

Section 6 (1)(i) of the Public Records Act, 1993 stipulates that each records creating agency shall compile its organisational history, as it is an essential tool for having proper appreciation of the nature of records generated by it over the years. This write up should include the information about its setting up, functions, growth of different wings, divisions etc. National Archives of India accordingly issued circular letter No. 16-2/2010-RM dated 29th June, 2010 to all ministries/ departments/ offices/ public sector undertakings etc. requesting them to furnish the information in regard to the action taken by them during the year 2009 for compiling their organisational histories. Response received from 94 ministries/ departments/ offices and public sector undertakings etc. is summarized below:-

13.1 The following ministries/ departments/ offices have informed that they have compiled organisational histories and submitted the copy of the same. These are:- Department of Commerce (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Department of Information Technology (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Air Headquarters, Directorate of Operations (MRP) (Ministry of Defence), New Delhi; Department of Production (DGQA) (Ministry of Defence), New Delhi; Ministry of Home, New Delhi; Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Zonal Councils Secretariat (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Department of Higher Education (Ministry of Human Resource Development), New Delhi; Directorate of Field Publicity (Ministry of Information & Broadcasting), New Delhi; Ministry of Labour and Employment, New Delhi; Directorate General of Mines Safety (Ministry of Labour and Employment), Dhanbad; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; National Institute of Miners' Health (Ministry of Mines), Nagpur; Department of Administrative Reforms & Public Grievances (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Institute of Secretariat Training & Management (Department of Personnel & Training) (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Bureau of Energy Efficiency (Ministry of Power), New Delhi; Railway Board (Ministry of Railways), New Delhi; Department of Land Resources (Ministry of Rural Development), New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Central Soil & Materials Research Station (Ministry of Water Resources), New Delhi; Vice President's Secretariat, New Delhi; Project Evaluation Office (Planning Commission), Shimla and Regional Evaluation Office (Planning Commission), Kolkata.

13.2 The following ministries/ departments/ offices, who have not compiled their organisational histories are:- Central Agmark Laboratory (Ministry of Agriculture), Nagpur; National Informatics Centre (Department of Information Technology) (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Ministry of Defence, New Delhi; Defence Scientific Information & Documentation Centre (Ministry of Defence), Delhi; Department of Disinvestment (Ministry of Finance), New Delhi; Department of Health and Family Welfare (Ministry of Health and Family Welfare), New Delhi; Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi; National Film Archive of India (Ministry of Information & Broadcasting), Pune; Office of the Labour Welfare Commissioner

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

विभाग), अम्बाला; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, कर्नाटक मण्डल (डाक विभाग), बैंगलोर; मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, केरल मण्डल (डाक विभाग), तिरुवनंतपुरम; वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक का कार्यालय त्रिशूर मण्डल (डाक विभाग), त्रिशूर; योजना आयोग, नई दिल्ली; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), अहमदाबाद; परियोजना मूल्यांकन अभिलेख सर्जक एजेंसी (योजना आयोग), बैंगलोर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), भुवनेश्वर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (उत्तर रेलवे) (योजना आयोग), चंडीगढ़ और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), मुंबई।

13.3 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने 'शून्य' या 'उनसे संबंधित नहीं है" रिपोर्टें भेजी हैं। ये हैं:– रजिस्ट्रार कंपनी का कार्यालय, केरल और लक्षद्वीप (कारपोरेट कार्य मंत्रालय), केरल; अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), मुंबई; उत्तरी रेलवे (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; अधीक्षक का कार्यालय, केरल मण्डल स्टैम्प डिपो (डाक विभाग), कोच्चि; डाक कार्यालय अधीक्षक का कार्यालय, मंजेरी प्रभाग (डाक विभाग), मंजेरी और अधीक्षक डाक भण्डार डिपो (डाक विभाग), त्रिशूर।

13.4 डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि डाक विभाग संगठनात्मक इतिहास का संकलन कर रहा है।

13.5 औषध विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि विभाग का सृजन केवल 2 वर्ष पहले रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रभाग द्वारा किया गया था। विभाग अभी भी स्वयं को स्थापित कर रहा है।

13.6 आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सी एंड सी प्रभाग/सीएम प्रभाग/बजट प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

13.7 राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि सामान्य प्रशासन राजस्व (जीएआर) अनुभाग, राजस्व (मुख्यालय) से परामर्श किया जाए क्योंकि राजस्व विभाग का अभिलेख कक्ष उनके क्षेत्राधिकार में आता है।

13.8 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

13.9 विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को यह निर्देश दिया है कि अपेक्षित सूचना विद्युत मंत्रालय को अवगत कराते हुए सीधे प्रस्तुत की जाए।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(Ministry of Labour and Employment), Allahabad; Ministry of Mines, New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), Mussoorie; Department of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science and Technology), New Delhi; Office of the Chief Postmaster General, Assam Circle (Department of Posts), Guwahati; Office of the Chief Postmaster General, H.P. Circle (Department of Posts), Shimla; Office of the Chief Postmaster General, Haryana Circle (Department of Posts), Ambala; Office of the Chief Postmaster General, Karnataka Circle (Department of Posts), Bangalore; Office of the Chief Postmaster General, Kerala Circle (Department of Posts), Thiruvananthapuram; Office of the Senior Superintendent of Post Offices, Thrissur Division (Department of Posts), Thrissur; Planning Commission, New Delhi; Project Evaluation Office (Planning Commission), Ahmedabad; Project Evaluation Records creating agency (Planning Commission), Bangalore; Project Evaluation Office (Planning Commission), Bhubaneswar; Project Evaluation Office (Planning Commission), Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Office (NR) (Planning Commission), Chandigarh and Regional Evaluation Office (Planning Commission), Mumbai.

13.3 The following ministries/ departments/ offices have given 'Nil' reports or 'not relevant to them', these are:- Office of Registrar of Companies, Kerala & Lakshadweep (Ministry of Corporate Affairs), Kerala; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme (Ministry of Health and Family Welfare), Mumbai; Northern Railway (Ministry of Railways), New Delhi; Office of the Superintendent Kerala Circle Stamp Depot (Department of Posts), Kochi; Office of the Superintendent of Posts Offices, Manjeri Division (Department of Posts), Manjeri and Superintendent Postal Stores Depot (Department of Posts), Thrissur.

13.4 Department of Posts (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi has informed that Department of Post is in the process of compiling organisational history.

13.5 Department of Pharmaceuticals (Ministry of Chemicals and Fertilizers), New Delhi has informed that the Department had been created only 2 years back by division of Department of Chemicals & Petrochemicals. The Department is still in the process of establishing itself.

13.6 Department of Economic Affairs (Ministry of Finance), New Delhi has directed all its attached/ subordinate offices/ public sector undertakings working under the administrative control of C & C division/ CM division/ Budget division to furnish the requisite information.

13.7 Department of Revenue (Ministry of Finance), New Delhi has informed that the General Administration Revenue (GAR) Section, Revenue (Headquarters) may be consulted as the records room of the Department of Revenue falls under their jurisdiction.

13.8 Department of Personnel & Training (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi has informed that necessary directions had been issued to all its attached/ subordinate offices including public sector undertaking etc. working under their administrative control.

13.9 Ministry of Power, New Delhi has directed its attached/subordinate offices to submit the requisite information directly to this Department.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

13.10 अनुसंधान डिजाइन और मानक अभिलेख सर्जक एजेंसी (रेल मंत्रालय), लखनऊ ने सूचित किया है कि अभिलेख सर्जक एजेंसी की वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है जिसमें अधिकारियों के साथ–साथ अभिलेख सर्जक एजेंसी के कार्यों तथा सही कार्यकलापों को दर्शाया जाता है।

13.11 शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने सभी संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों को संगत अपेक्षित सूचना शहरी विकास मंत्रालय के समन्वय अनुभाग को सूचित करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार को सीधे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

13.12 डाक कार्यालय अधीक्षक का कार्यालय, तिरूर प्रभाग (डाक विभाग), तिरूर ने सूचित किया है कि तिरूर प्रभाग में ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

13.13 निम्नलिखित 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों / समितियों / कार्पोरेशनों / आयुक्तों को अपने संगठनात्मक इतिहास की प्रतियां प्रस्तुत की हैं। ये हैं:– गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), कोलकाता; गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), गोवा; मैजागन डॉक लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), मुंबई; राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; ड्रेडजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्नम; एन्नोर पोर्ट लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), चेन्नई; मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), मुंबई; विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्नम; राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय), नई दिल्ली; ट्राइफेड, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान और विकास केन्द्र (आदिवासी कार्य मंत्रालय), नई दिल्ली; ब्रह्मपुत्र बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), गुवाहाटी; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (जल संसाधन मंत्रालय); इन्दौर; राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली और वैपकोस लिमिटेड (जल संसाधन मंत्रालय), गुड़गांव (हरियाणा)।

13.14 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों / समितियों / कार्पोरेशनों / आयुक्तों, जिन्होंने अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन नहीं किया है, ये हैं:– भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद; खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (खान मंत्रालय), नागपुर; विद्युत वित्त कार्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; ईरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), पुणे।

13.15 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (पोत परिवहन मंत्रालय), नोएडा और बेतन नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), झांसी ने सूचित किया है कि ये उन पर लागू नहीं होते।

13.16 टिहरी हाइडो डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), ऋषिकेश तथा ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि विभाग का इतिहास अलग से भेजा जाएगा।

13.17 जवाहर लाल नेहरु बोर्ड ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), मुंबई ने सूचित किया है कि उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है।

13.10 Research Designs & Standards Records creating agency (Ministry of Railways), Lucknow has intimated that annual report of the records creating agency is issued every year indicating inter-alia functions of the records creating agency and correct activities.

13.11 Ministry of Urban Development, New Delhi has directed its all attached/ subordinate offices to furnish the relevant requisite information directly to the National Archives of India under intimation to Coordination Section of Ministry of Urban Development.

13.12 Office of the Superintendent of Post Offices, Tirur Division (Department of Posts), Tirur has intimated that no such arrangement exists in Tirur Division.

13.13 The following 14 public sector undertakings/ statutory bodies/ committees/ corporations/ commissioners have furnished copies of their organisational histories. These are:- Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (Ministry of Defence), Kolkata; Goa Shipyard Limited (Ministry of Defence), Goa; Mazagon Dock Limited (Ministry of Defence), Mumbai; National Power Training Institute (Ministry of Power), New Delhi; Rural Electrification Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi; Dredging Corporation of India Limited (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; Ennore Port Limited (Ministry of Shipping), Chennai; Mumbai Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai; Visakhapatnam Port Trust (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation (Ministry of Social Justice & Empowerment), New Delhi; TRIFED, Quality Control, Research & Development Centre (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi; Brahmaputra Board (Ministry of Water Resources), Guwahati; Narmada Control Authority (Ministry of Water Resources), Indore; National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi and WAPCOS Limited (Ministry of Water Resources), Gurgaon (Haryana).

13.14 The following public sector undertakings/ statutory bodies/ committees/ corporations/ commissioners who have not compiled their organisational histories are:- Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence), Hyderabad; Mineral Exploration Corporation Limited (Ministry of Mines), Nagpur; Power Finance Corporation Limited (Ministry of Power), New Delhi; IRCON International Limited (Ministry of Railways), New Delhi and Central Water & Power Research Station (Ministry of Water Resources), Pune.

13.15 Inland Waterways Authority of India (Ministry of Shipping), Noida and Betwa River Board (Ministry of Water Resources), Jhansi have informed that they are not applicable.

13.16 Tehri Hydro Development Corporation India Limited (Ministry of Power), Rishikesh and Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi have intimated that department history will be send separately.

13.17 Jawaharlal Nehru Port Trust (Ministry of Shipping), Mumbai has informed that they have initiated action.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

13.18 राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्पोरेशन लिमिटेड (वस्त्र मंत्रालय), लखनऊ ने सूचित किया है कि वर्तमान में ऐसा कोई अभिलेख संकलित नहीं किया जाता है लेकिन कार्य चल रहा है।

13.19 लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(i) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रतिवर्ष उनके संगठनात्मक इतिहास के संकलन के संबंध में एक परिपत्र जारी करता है, जो सभी पर लागू है, लेकिन बड़ी संख्या में सर्जक एजेंसियों ने अभी तक अपने संगठन संबंधी इतिहास का संकलन नहीं किया है। इस संबंध में सभी सर्जक एजेंसियों द्वारा अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन करने/उसे तैयार करने/अद्यतन बनाने के लिए गंभीर उपाय किए जाने अपेक्षित हैं और 'शून्य' सूचना या अस्पष्ट उत्तर देने की बजाय उसे राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्रस्तुत करना चाहिए।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

13.18 National Handloom Development Corporation Limited (Ministry of Textiles), Lucknow has informed that at present no such record is complied but the work is under process.

13.19 For the implementation of section 6(1)(i) of the Public Records Act, 1993, National Archives of India is issuing a circular letter every year to all the Central Government ministries/ departments in respect of compilation of their organisational histories as is relevant to all but a large number of creating agencies have not compiled their organisational histories so far. In this connection, the serious steps are required on the part of all creating agencies to compile/ prepare/ update their organisational histories and submit the same to the National Archives of India instead of submitting the 'Nil' information or vague replies.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–14

''क' श्रेणी अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग

अभिलेख सर्जक एजेंसियों की अभिरक्षा में रखे 'क' श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग के कार्य में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों को परिपत्र सं0 16–6/2010–आर.एम. दिनांक 29 जून, 2010 जारी किया जिसमें उनसे यह मामला उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ध्यान में लाने का अनुरोध किया गया था ताकि वे इस विभाग को अपेक्षित सूचना भेज सकें। संदर्भाधीन अवधि के दौरान कुल 36 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सूचना भेजी है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

14.1 रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ने सभी संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों/अभिलेख सर्जक एजेंसियों को निःशुल्क माइक्रोफिल्म की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को लिखने के लिए कहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि 765 फाइलों, वर्तमान वर्ष सहित (1983–2005), माइक्रोफिल्मिंग के लिए उनके पास हैं। केन्द्र सरकार औद्योगिक एजेंसी–सह–श्रम–न्यायालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि अधिकरण से संबंधित सभी फाइलों श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा समर्पित व्यक्तियों की तैनाती या यूनियनों या 1987 से लेकर आज की तारीख तक व्यक्तियों द्वारा उठाए गए विवादों से संबंधित हैं जिसकी माइक्रोफिल्मिंग बनाई जानी है। उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उप राष्ट्रपति सचिवालय के सृजन और पदों के सृजन से संबंधित सभी फाइलें; इस वर्ष (1952–1965) सहित उनके पास रखी हैं, जिसकी माइक्रोफिल्मिंग बनाई जानी हैं।

14.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि अभिलेखों की ऐसी कोई श्रेणी उपलब्ध नहीं हैं और सूचना को 'शून्य' समझा जाए। ये हैं:– वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग), नई दिल्ली; सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), नई दिल्ली; प्रेस सूचना ब्यूरो (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), नई दिल्ली; प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय); नई दिल्ली; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), मंसूरी; विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली; रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली; मुख्य अभियंता और प्रशासक, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स (पोत परिवहन मंत्रालय), पोर्ट ब्लेयर; लघु बंदरगाह सर्वेक्षण अभिलेख सर्जक एजेंसी (पोत परिवहन मंत्रालय), नवी मुंबई; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, हिमाचल प्रदेश मण्डल (डाक विभाग), शिमला और मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, बिहार मण्डल (डाक विभाग), पटना।

14.3 रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रलेखन केन्द्र (रक्षा मंत्रालय), दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके पास 'क' श्रेणी का कोई अभिलेख नहीं है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-14

MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS

To accelerate the work of microfilming of 'A' category records lying in the custody of records creating agencies, the National Archives of India issued a circular letter No. F.16-6/2010-RM dated 29th June, 2010 to all ministries/ departments/ offices of the Government of India with the request to bring the matter to the knowledge of their attached/ subordinate offices and public sector undertakings which are functioning under their control as this would enable them to furnish the requisite information to this Department. During the period under report, in all 36 records creating agencies have furnished information, details of which are as under:

14.1 Ministry of Defence, New Delhi has written to all the attached subordinate offices/ records creating agencies for onward transmission to the National Archives of India for arranging microfilming free of cost. Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi has informed that 765 files, inclusive year (1983-2008) is lying with them for microfilming. Central Government Industrial Tribunal Cum Labour Court (Ministry of Labour and Employment), New Delhi has informed that all files pertaining to the tribunal are regarding deputes pertaining to individuals or unions referred by the Ministry of Labour & Employment or the disputes raised by the individuals since 1987 to till date is lying with them for microfilming. Vice President's Secretariat, New Delhi has informed that all files related to creation of the Vice-President's Secretariat and creation of posts, inclusive year (1952 - 1965)are lying with them for microfilming.

14.2 The following ministries/ departments have informed that no such category of records is available and the information may be treated as 'Nil'. These are:- Department of Commerce (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Department of Information & Technology (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Department of Posts (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Ministry of Home Affairs, New Delhi; Department of Higher Education (Ministry of Human Resource Development), New Delhi; Press Information Bureau (Ministry of Information & Broadcasting), New Delhi; Department of Administrative Reforms & Public Grievances (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), Mussoorie; Ministry of Power, New Delhi; Railway Board (Ministry of Railways), New Delhi; Office of the Chief Engineer & Administrator, Andaman Laksdadweep Harbour Works (Ministry of Shipping), Port Blair; Minor Ports Survey Records creating agency (Ministry of Shipping), Navi Mumbai; Ministry of Water Resources, New Delhi; Office of the Chief Postmaster General, H.P. Circle (Department of Posts), Shimla and Office of the Chief Postmaster General, Bihar Circle (Department of Posts), Patna.

14.3 Defence Scientific Information & Documentation Centre (Ministry of Defence), Delhi has informed that they do not have any 'A' category records.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

14.4 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

14.5 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/समितियों/कॉर्पोरेशनों ने सूचित किया है कि "क" श्रेणी के अभिलेख उपलब्ध हैं। ये हैं :– मोर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), गोवा की 285 फाइलें (1986–2008) और विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्टनम की 2,216 फाइलें (1964–2010) उनके पास माइक्रोफिल्मिंग बनाने के लिए पड़ी हैं।

14.6 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/समितियों/कार्पोरेशनों ने सूचित किया है कि "अभिलेखों की ऐसी कोई श्रेणी उपलब्ध नहीं है और सूचना 'शून्य' समझी जाए। ये हैं:– मिश्र धातु निगम लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद; राष्ट्रीय रॉक यांत्रिक मकेनिक्स (खान मंत्रालय), कर्नाटक; एन्नोर पोर्ट लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), चेन्नई; अंतर्देशीय भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण (पोत परिवहन मंत्रालय), नोएडा (उत्तर प्रदेश); बनसागर नियंत्रण बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), रीवा (मध्य प्रदेश); राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली और वैपकोस लिमिटेड (जल संसाधन मंत्रालय), गुड़गांव (हरियाणा)।

14.7 मैजागन डॉक लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), मुंबई ने सूचित किया है कि उनके यहां 'क' श्रेणी के अभिलेख नहीं रखे जाते और उन्हें अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाने की आवश्यकता नहीं है।

14.8 खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (खान मंत्रालय), नागपुर ने सूचित किया है कि 'क' श्रेणी के अभिलेख प्राप्त हो गए हैं और उन्हें उनके अभिलेख कक्ष में परिरक्षित रखा गया है। ऐसे अभिलेखों से संबंधित आवश्यक सूचना इसकी माइक्रोफिल्मंग बनाने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेज दी जाएगी।

14.9 आरआईटीईएस लिमिटेड (रेल मंत्रालय), गुड़गांव ने सूचित किया है कि वर्तमान में उनके पास 'क' श्रेणी का कोई अभिलेख नहीं है।

14.10 ड्रेडजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्टनम ने सूचित किया कि इस कार्यालय के विभिन्न विभागों/प्रभागों से संबंधित 'क' श्रेणी के अभिलेखों पर संबंधित विभाग/प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में उन्हें ऐसे किसी अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाने की आवश्यकता नहीं है।

14.11 **टिप्पणी** – यह देखा गया है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों ने 'क' श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाने के संबंध में आवश्यक प्रारंभिक कार्रवाई/उपाय किए हैं। अधिकांश सर्जक एजेंसियों ने सूचित किया है कि उनके पास इस श्रेणी के अभिलेख नहीं हैं और सूचना को 'शून्य' समझा जाए।

इस संबंध में राष्ट्रीय अभिलेखागार के रेप्रोग्राफी प्रभाग के परामर्श से आवश्यक उपाय करने के लिए सर्जक एजेंसियों की ओर से कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है ताकि उनके पास रखे 'क' श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाई जा सके।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

14.4 Department of Personnel & Training (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), New Delhi has informed all the attached/ subordinate offices including PSUs etc. working under their administrative control.

14.5 The following public sector undertakings/ statutory bodies/ committees/ corporations have informed that 'A' category records is available. These are:- Mormugao Port Trust (Ministry of Shipping), Goa of 285 files (1986-2008) and Visakhapatnam Port Trust (Ministry of Shipping), Visakhapatnam of 2,216 files (1964-2010) lying with them for microfilming.

14.6 The following public sector undertakings/ statutory bodies/ committees/ corporations have informed that no such category of records is available and they treated as 'Nil'. These are:- Mishra Dhatu Nigam Limited (Ministry of Defence), Hyderabad; National Institute of Rock Mechanics (Ministry of Mines), Karnataka; Ennore Port Limited (Ministry of Shipping), Chennai; Inland Waterways Authority of India (Ministry of Shipping), Noida (U.P.); Bansagar Control Board (Ministry of Water Resources), Rewa (M.P.); National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi; Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi and WAPCOS Limited (Ministry of Water Resources), Gurgaon (Haryana).

14.7 Mazagon Dock Limited (Ministry of Defence), Mumbai has informed that 'A' category records are not maintained with them and do no require of microfilming of records.

14.8 Mineral Exploration Corporation Limited (Ministry of Mines), Nagpur has informed that the 'A' category records has been received by them and preserved in their records room, necessary information with regard to such records shall be sent to National Archives of India for microfilming the same.

14.9 RITES Limited (Ministry of Railways), Gurgaon has informed that they have no Category 'A' records at present.

14.10 Dredging Corporation of India Limited (Ministry of Shipping), Visakhapatnam has informed that important records and 'A' category records pertaining to various department/ divisions of this office are being handed by concerned department/ division itself. Right now, they do not need microfilming of any such records.

14.11 Observation - It has been observed that a few ministries/ departments have taken necessary initiation actions/ steps in respect of microfilming of 'A' category records. Most of the creating agencies have informed that no such category of records is available with them and the information may be treated as 'Nil'. In this connection, the action is required on the part of creating agencies for taking necessary steps in consultation with Reprography Division of National Archives of India for microfilming of 'A' category of records lying in their custody on priority.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–15

अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2) और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के विस्तारित नियम 5 के अनुसार अभिलेखागार महानिदेशक को मूल्यांकन करने और स्थायी प्रकृति के जमा किए गए अभिलेख और अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे हुए हैं, को स्वीकार करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। इसी प्रकार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ग) के तहत प्रत्येक रिकार्ड ऑफिसर को 25 वर्ष पुराने अभिलेखों का मूल्यांकन राष्ट्रीय अभिलेखागार से परामर्श करके स्थायी महत्व के अभिलेखों की छंटाई करके राष्ट्रीय अभिलेखागार में वैज्ञानिक परिरक्षण हेतु अंतरित किया जाना चाहिए।

15.1 रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 30,061 अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन किया है। इनमें से 28,768 अभिलेखों को स्थायी तौर पर रखने तथा 1,293 अभिलेखों को नष्ट करने की सिफारिश की गई थी।

15.2 अभिलेख सर्जक एजेंसियां जिनके अभिलेखों का राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया गया, ये हैं:– जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली (1977–1983); एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार पद्धति आयोग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (1971–1981); गृह मंत्रालय, नई दिल्ली (1968–1986); विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली (1960–1981); द जाट रेजिमेंट (रक्षा मंत्रालय) बरेली (1917–1949); भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली (1911–1960) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली (1965–1979)।

15.3 इसके अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख कक्ष (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर ने 10,348 फाइलों का मूल्यांकन किया। इनमें से 7,144 फाइलों स्थायी प्रतिधारण के लिए चिहिनत की गई और 3,204 फाइलें निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त हुई थीं:– कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता (1870–1925), पेटेंट और डिजाइन, कोलकाता (1966) तथा भारत सरकार स्टेशनरी ऑफिस, कोलकाता (1921–1984)।

15.4 उपर्युक्त के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (दक्षिणी क्षेत्र), पुडुचेरी ने 8,412 फाइलों और 1867 से 1976 की अवधि के लिए सहायक नमक आयुक्त, तूतीकोरिन के कार्यालय के 440 रजिस्टरों का मूल्यांकन किया गया था। 8,412 फाइलों में से 2,537 फाइलों को स्थायी प्रतिधारण के लिए चिहिनत किया गया था, और 5,875 फाइलें नष्ट किए जाने के लिए चिहिनत की गई थीं। 440 रजिस्टरों में से 272 को स्थायी रूप से रखने और 168 रजिस्टरों को नष्ट करने के लिए चिहिनत किया गया था।

15.5 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (पश्चिमी क्षेत्र), जयपुर ने अपने अभिलेखों के मूल्यांकन को जनवरी–दिसम्बर, 2009 के लिए 'शून्य' के रूप में दर्ज किया गया था।

15.6 <u>टिप्पणी</u> – सभी सर्जक एजेंसियों के भाग के रूप में राष्ट्रीय अभिलेखागार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर 25 वर्ष पुराने मूल्यांकन न किए गए अप्रचलित सार्वजनिक अभिलेखों के बल्क के संबंध में कार्रवाई किए जाने की जरूरत है ताकि राष्ट्रीय अभिलेखागार समय पर मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकें तथा उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थायी प्रकृति के अभिलेखों को अंतरित किया जा सके।

राष्ट्रीय अभिलेखागार, आर.सी., जयपुर के संबंध में उन्हें उच्च प्राथमिकता आधार पर पश्चिमी क्षेत्र के सर्जक एजेंसियों / संगठनों के अभिलेखों को मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुदेश दिए जा सकते हैं।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-15

APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Under Section 3(2) of the Public Records Act, 1993 and Rule 5 of the Public Records Rules, 1997, the Director General of Archives has been authorized to undertake the appraisal and also accept for deposit records of permanent nature. Similarly, Section 6 (1)(c) of the Public Records Act, 1993 departmental records officers have been made responsible for appraisal of public records, which are more than twenty-five years old in consultation with National Archives of India with a view to identifying the records of permanent value for subsequent transfer to National Archives of India for scientific preservation.

15.1 During the period under report, the National Archives of India appraised 30,061 non-current records. Out of these 28,768 files were recommended for permanent retention and 1,293 for destruction.

15.2 The records creating agencies whose records were appraised by the officers of National Archives of India are:- Ministry of Water Resources, New Delhi (1977-1983); Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission, Ministry of Corporate Affairs (1971-1981); Ministry of Home Affairs, New Delhi (1968-1986); Ministry of External Affairs, New Delhi (1960-1981); The Jat Regiment, (Ministry of Defence) Bareilly (1917-1949); Office of the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi (1911-1960) and Prime Minister's Office, New Delhi (1965-1979).

15.3 Further, the National Archives of India, Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar appraised 10,348 files. Out of these 7,144 files were marked for permanent retention and 3,204 files for destruction of the following offices:- Kolkata Port Trust, Kolkata (1870-1925); Patent & Designs, Kolkata (1966) and Government of India Stationery Office, Kolkata (1921-1984).

15.4 In addition to the above, the National Archives of India, Records Centre (Southern Zone), Puducherry appraised 8,412 files and 440 Registers of the Office of the Assistant Salt Commissioner, Tuticorin covering the period 1867 to 1976. Out of 8,412 files, 2,537 files were marked for permanent retention and 5,875 files were marked for destruction. Out of 440 Registers, 272 were marked for permanent retention and 168 were marked for destruction.

15.5 The National Archives of India, Records Centre (Western Zone), Jaipur mentioned their appraisal of records as 'Nil' for the year January-December, 2009.

15.6 Observation - Action is required on the part of all creating agencies to inform National Archives of India regarding the bulk of their unappraised 25 years old non-current public records on top priority basis, so as to enable National Archives of India to take necessary steps for the timely appraisal and subsequent transfer of those permanent nature records to National Archives of India.

As regard, National Archives of India, R.C. Jaipur, they may be instructed to take necessary steps for appraisal of records of creating agencies/ organizations of the Western Zone on top priority basis.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–16

संदर्भ माध्यम तैयार करना

संदर्भ माध्यम एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक साधन है, जिसे प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी द्वारा अपनाए जाने की जरूरत है। तदनुसार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ड.) में निर्धारित अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने वस्तु–सूची, संसूची, तालिका के रूप में अपनी अभिरक्षा में रखे अभिलेखों का उपयुक्त संदर्भ माध्यम तैयार करने के प्रयास जारी रखे ताकि अनुसंधान कर्ताओं और प्रशासकों के लिए तत्काल सूचना प्राप्त की जा सके।

16.1 अभिविन्यास अभिलेख (ओआर) प्रभाग ने निम्नलिखित संदर्भ मीडिया तैयार किया है:–

(क) फारसी पत्राचार की व्याख्यात्मक सूची, खण्ड VI (1806): वर्ष 1806 के संवीक्षा किए गए और व्याख्यात्मक सूचीबद्ध 140 पत्र।

(ख) अशोब (हिन्दी प्रकाशन) उर्दू के 80 पत्रों का हिन्दी में लिप्यंतरण किया गया।

उपर्युक्त के अलावा ओ.आर. प्रभाग ने निम्नलिखित प्रकाशन भी निकाले हैं :–

(क) खुतुत –ए–आजाद (हिन्दी पाठ): भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड से पुस्तक की 500 प्रतियां मुद्रित कराई गई थीं।

(ख) मोहरों (विदेशी) का सूची–पत्र (संशोधित संस्करण): पाठ को टाइप किया गया है और उसका मिलान किया गया है तथा उसमें दी गई मोहर को डिजीटल भी बनाया गया है। यह खण्ड प्रकाशन के लिए जल्दी ही तैयार हो जाएगा।

16.2 46,416 प्रविष्टियों का सूचीकरण कार्य मैनुअली तैयार किया गया और 86,805 प्रविष्टियां निम्नलिखित संग्रहों के निजी अभिलेख प्रभाग में ऑनलाइन तैयार की गईं थीं: के.एम. मुंशी पेपर्स (माइक्रोफिल्म रोल), कस्तूरबा लालभाई पेपर्स, सरदार पटेल पेपर्स (माइक्रोफिल्म में) तथा फूल चंद जैन पेपर।

16.3 (क) मानचित्रण प्रभाग ने भारतीय सर्वेक्षण (एस.जी.ओ.), देहरादून की 771 फाइलों की विषय सूची की जांच की, उसमें सुधार किया और उसे तैयार किया।

(ख) उपर्युक्त के अलावा मानचित्रण प्रभाग ने भारत–पाक राजस्व श्रृंखला के सूची–पत्र (1852–1901) का प्रकाशन भी निकाला। उक्त प्रकाशन की कुल 226 प्रतियों का प्रकाशन किया गया।

16.4 रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र जयपुर ने केन्द्रीय रेलवे, मुम्बई के 168 खण्ड (1854–1859) का संदर्भ मीडिया तैयार किया है।

16.5 <u>टिप्पणी</u> – सभी सर्जक एजेंसियों द्वारा उनके विभागीय अभिलेख कक्ष में उनके पास उपलब्ध सभी अभिलेखों के संदर्भ मीडिया अर्थात् विषय–सूची, अंतरण सूची, मांग–पत्र आदि तैयार करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की जरूरत है।

राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, अभिलेख केन्द्र पुड्डुचेरी और भुवनेश्वर के संबंध में उन्हें शोधकर्ताओं और प्रशासकों द्वारा मामले को शीघ्र प्राप्त करने के लिए उनके अभिरक्षण में अभिलेखों की मांग–सूची, सूचीकरण सूची–पत्र के रूप में उपयुक्त संदर्भ मीडिया तैयार करने के लिए आवश्यक उपाय करने का भी निर्देश दिया जा सकता है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

PREPARATION OF REFERENCE MEDIA

Reference Media is an important administrative tool, which needs to be undertaken by each and every records creating agency. Accordingly, the National Archives of India as stipulated Section 3(2) (e) of the Public Records Act, 1993 continued its efforts to prepare suitable reference media in the form of inventories, indices, catalogues of the records in its custody to facilitate quick retrieval of information for researchers and administrators.

16.1 The Oriental Records (OR) Division has prepared the following reference media:-

(a) Descriptive List of Persian Correspondence Vol.VI (1806): Scrutinized and descriptively listed 140 letters of the year 1806.

(b) Ashob (Hindi Publication): Transliterated 80 letters of Urdu text into Hindi.

In addition to the above the OR Division also brought out following Publications:

(a) Khutut-I-Azad (Hindi Version): 500 copies of the book were got printed from the Government of India Press, Minto Road.

(b) Catalogue of Seals (Foreign) (Revised Edition): The text has been typed and compared and the seals therein have also been digitized. The volume will soon be ready for publication.

16.2 The work of listing of 46,416 entries were prepared manually and 86,805 entries were prepared online in the Private Archives Section of the following collections: K.M. Munshi Papers (Microfilm Rolls), Kasturbhai Lalbhai Papers, Sardar Patel Papers (in Microfilm) and Phool Chand Jain Papers.

16.3 (a) Cartographic Section checked, corrected and prepared the subject list of 771 files of Survey of India (S.G.O.), Dehradun.

(b) In addition to the above, the Cartography Section also brought out the publication of the Catalogue of Indo-Pak Revenue Series (1852-1901). A total of 226 copies of the said publication were brought out.

16.4 During the period under the report, the National Archives of India, Records Centre, Jaipur has prepared reference media of 168 Vol. (1854-1859) of Central Railway, Mumbai.

16.5 Observation - Action is required on the part of all creating agencies to take necessary steps for the preparation of reference media i.e. subject lists, transfer lists, catalogues, etc. of their all records available with them in their departmental records room on priority basis.

As regard, National Archives of India, Regional Office Bhopal, Records Centres Puducherry and Bhubaneswar, they may also be instructed to take necessary steps for preparation of suitable reference media in the form of inventories, indices, catalogues of the records in its custody to facilitate quick retrieval of information for researchers and administrators.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–17

अभिलेख अवाप्ति/अधिग्रहण

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ख) के अनुसार महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार को अधिनियम की परिधि में आने वाले समस्त अभिलेख सर्जक एजेंसियों से स्थायी प्रकृति के लोक अभिलेखों को स्वीकार करने का अधिकार है। इसी, प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 11(1) में भी ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व के किसी अभिलेख की किसी निजी स्रोत से उपहार, खरीद या अन्य ढंग से स्वीकार्य करने का भी प्रावधान है। उपर्युक्त उपबंधों के अनुपालन में, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान लोक अभिलेख श्रृंखला और समस्त निजी कागजात अधिग्रहित किए हैं:–

17.1 संदर्भाधीन अवधि में राष्ट्रीय अभिलेखागार को अभिलेख सर्जक एजेंसियों से प्राप्त लोक अभिलेखों की अवाप्ति/अधिग्रहण का ब्यौरा इस प्रकार है: वर्ष (1894–1988) से संबंधित कुल 12,898 फाइलों को निम्नलिखित मंत्रालयों से अधिग्रहित किया गया – गृह मंत्रालय का स्वतंत्रता सैनानी प्रभाग और पुनर्वास प्रभाग, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय (नार्थ ब्लॉक), जल संसाधन मंत्रालय तथा आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय।

17.2 (क) राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर ने सार्वजनिक और निजी अभिलेख अधिग्रहण किए। 150 फाइलें (1894–1988) मुख्य खनन सलाहकार, धनबाद से तथा 5,617 फाइलें तथा ब्रिटेन/अमेरिका के जिल्द चढ़े विशिष्टियों के खण्ड (420 खण्ड) का पेटेंट और डिजाइन कोलकाता से प्राप्त किया गया।

(ख) इसके अलावा, अभिविन्यास अभिलेखों के विभिन्न संग्रहों को भी अधिग्रहित किया गया। गोपीनाथ मोहंती फाउंडेशन ट्रस्ट ने 'गोपीनाथ मोहंती कलेक्शन्स' पर 40 ताड़–पत्र की पाण्डुलिपियों तथा डीएन दास मोहपात्र, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम बंगाल से अधिग्रहित डी.एन. दास मोहपात्रा कलेक्शन पर 140 ताड़पत्र पाण्डुलिपियां (7 ट्रंक) दान में दी।

(ग) उपर्युक्त के अलावा, 79 पुस्तकें खरीदी गई हैं और 8 पुस्तकों को उपहार तथा पूरक आधार पर प्राप्त किया गया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान पुस्तकालय में कुल 87 पुस्तकें प्राप्त की गई हैं।

(घ) इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित अभिलेख श्रृंखलाओं का भी सत्यापन किया गया और उन्हें उनके अन्तर्वेशन के अनुसार भौतिक रूप से व्यवस्थित किया गया;

(i) मुख्य खनन सलाहकार, पूर्वी रेलवे, धनबाद के कार्यालय की 150 फाइलें (1894–1988)
(ii) एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता की 148 फाइलें (1798–1968)
(iii) भारतीय मानव–विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता की 318 फाइलें (1946–1974)
(iv) विदेशी व्यापार उप महानिदेशक, शिलांग की 52 फाइलें (1959–1978)
(v) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कोलकाता की 157 फाइलें (1902–1974)
(vi) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मस्यूटिक्ल लिमिटैड, कोलकाता की 87 वस्तुएं/रजिस्टर (1901–1980)।
(vii) लौह और इस्पात विकास आयुक्त कोलकाता की 306 फाइलों (1943–1996) के 32 बंडलों तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कोलकाता की 157 फाइलों (1902–1974) पर नाम लिखकर चिपकाए गए।

CHAPTER-17

ACCESSIONS/ ACQUISITIONS

As per Section 3(2) (b) of the Public Records Act, 1993, the Director General, National Archives of India is empowered to accept public records of permanent nature from all the records creating agencies falling within the purview of said Act. Likewise, Section 11(1) of the said Act also stipulates about the acceptance of any records of historical or national importance from any private source by way of gift, purchase or otherwise. Keeping in view the above said provisions, the National Archives of India acquired the following series of public records as well as private papers during the period under report.

17.1 Details of accessioning/ acquisition of public records from records creating agencies to National Archives of India during the period under report. Total numbers of 12,898 files of following ministries were accessioned for the years (1894-1988) Freedom Fighters Division & Rehabilitation Division of Ministry of Home Affairs, Ministry of External Affairs, Ministry of Home Affairs (North Block), Ministry of Water Resources and Directorate General of Supply & Disposal.

17.2 (a) The National Archives of India, Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar accessioned public & private records. 150 files (1894-1988) were acquired from Chief Mining Adviser, Dhanbad and 5,617 files & UK/USA Binding Volumes of Specifications (420 vol.) from Patent & Designs, Kolkata.

(b) Further, different collections of oriental records were also acquired. Gopinath Mohanty Foundation Trust donated 40 palm leaf manuscripts on 'Gopinath Mohanty Collections' and 140 (7 trunks) palm leaf manuscripts on 'D.N. Das Mohapatra Collections' acquired from D.N. Das Mohapatra, East Midnapore, West Bengal.

(c) In addition to the above, 79 books have been purchased and 8 books have been acquired as gift and on complimentary basis. Total of 87 books have been accessioned in the library during the period under report.

(d) Besides, the following record series were also verified and arranged physically along with their inclusive years:

(i) 150 files (1894-1988) of the Office of the Chief Mining Adviser, Eastern Railway, Dhanbad.

(ii) 148 files (1798-1968) of the Andrew Yule & Company Ltd., Kolkata.

(iii) 318 files (1946-1974) of the Anthropological Survey of India, Kolkata.

(iv) 52 files (1959-1978) of the Deputy Director General of Foreign Trade, Shillong.

(v) 157 files (1902-1974) of the Archaeological Survey of India, Kolkata.

(vi) 87 items/ registers (1901-1980) of the Bengal Chemicals and Pharmaceutical Limited, Kolkata.

(vii) Nomenclature were written and pasted on 32 bundles of 306 files (1943-1996) of the Development Commissioner of Iron & Steel, Kolkata and 157 files (1902-1974) of the Archaeological Survey of India, Kolkata.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

17.3 (क) राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (पश्चिमी क्षेत्र), जयपुर ने अभिलेखों की अवाप्ति पर 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है।

(ख) उपर्युक्त के अलावा, स्टैक क्षेत्र में ए.सी. लगाने के दौरान अस्त–व्यस्त हुई श्रृंखला के अभिलेखों को पुनः व्यवस्थित करने का कार्य किया गया:

(i) सीआरपीएफ, अजमेर – 5,750 फाइलें / खण्ड (1858–65)।

(ii) जनगणना रिपोर्ट, राजस्थान – 2,063 फाइलें / खण्ड (1951–81)।

(iii) बीमा नियंत्रक, शिमला – 20,970 फाइलें / खण्ड (1865–1978)।

सभी फाइलों / खण्डों की उचित सफाई करने के बाद उपर्युक्त अभिलेखों को व्यवस्थित ढंग से रखा गया और बंडलों पर नई नाम पर्चियां लगाई गईं।

17.4 अभिविन्यास अभिलेख प्रभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निम्नलिखित दस्तावेज / पाण्डुलिपि / पुस्तकें आदि अधिग्रहित की हैं।

(क) **दस्तावेज :**

84 दस्तावेजों (उर्दु / मोदी / देवनागरी) का संग्रह; 10 दस्तावेजों (फारसी / अंग्रेजी) का संग्रह; 31 दस्तावेजों (उर्दू में) का संग्रह; अंग्रेजी / गुजराती में साप्ताहिक काम्बे राजपत्र के अंकों की 118 जिरोक्स प्रतियों का एक संग्रह; बंगला में 17 मदों (15 पाण्डुलिपियों और 2 मुद्रित पन्नों / पुस्तकों) का संग्रह; कपड़े पर 6 दस्तावेज सहित स्टॉप पेपरों पर 32 पन्नों; 6 न्यायिक स्टांप; सेना के 38 कोट; गुजराती भाषा में 42 मुद्रित पृष्ठों की सामग्री तथा 17 खण्ड जिसमें हरिजन पत्रिका के 435 अंक शामिल थे।

(ख) **पाण्डुलिपियां:**

22 पाण्डुलिपियां (12 फारसी, 6 हिन्दी, 3 उर्दू तथा 1 अंग्रेजी में)।

(ग) **पुस्तकें:**

उर्दू में 21 पुस्तकें

17.5 मानचित्रण प्रभाग ने भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून की 771 फाइलों की अवाप्ति की (इन्हें 2004 और 2006 में प्राप्त किया गया था और ये मानचित्रण प्रभाग में लंबित थी)।

17.6 सार्वजनिक अभिलेखों के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुप्रसिद्ध भारतीयों और विदेशों से भारतीय हित के निजी कागजात का अधिग्रहण करना जारी रखा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत :

1. राष्ट्रीय अभिलेखागार के निजी कागज संग्रहों में निम्नलिखित सुप्रसिद्ध हस्तियों से संबंधित कागजात प्राप्त किए गएः–

(क) अभिक कुमार डे कागजात (1883–84, 1913–26): बनारस नगर मानचित्र से संबंधित कागजात, बनारस की भवन योजना (मालिक रामदास) तथा बनारस नगर आदि में कुछ व्यक्तियों की संपत्ति की बिक्री और खरीद की विलेख प्रति, आदि।

(ख) एस. संतोख सिंह कागजात (1950–2007): पंडित जवाहरलाल नेहरू, कोटो मतसुदरिया, जापान दूतावास, डॉ0 शंकर दयाल शर्मा, एस.बी. चव्हान, एन्. संजीवा रेड्डी, मोरारजी देसाई, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी बाजपेयी, एच.डी. देवेगोडा, जना कृष्णामूर्ति, राजेन्द्र सिंह वसीर तथा संयुक्त राष्ट्र दहेबर आदि (मूल / फोटो प्रतियों) को और उसके द्वारा लिखे पत्र; भाषण, लेख, पुस्तिकाएं, हस्ताक्षर और फोटोग्राफ आदि तथा दो पुस्तकें नामतः संतोख सिंह की सफलता की कहानी। 'स्कैच टू सक्सेस' (जीवनी) और चौ. ब्रह्म प्रकाश 'दिल्ली के लौह पुरूष और भारत के पिछड़े वर्ग के मसीहा' फोटोचित्र स्मृति।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

17.3 (a) The National Archives of India, Records Centre (Western Zone), Jaipur intimated 'Nil' report on accession of records.

(b) In addition to the above, the work of rearrangement of the records of following series disturbed during mounting of AC in Stack Area was carried out:

(i) CRPF, Ajmer - 5,750 files/vols. (1858-65).

(ii) Census Report, Rajasthan - 2,063 files/vols. (1951-81).

(iii) Controller of Insurance, Simla - 20,970 files/vol. (1865-1978)

The above records were arranged after proper cleaning of all the files/vols. and new nomenclature slips were attached to bundles.

17.4 O.R. Division, National Archives of India has acquired following documents/ manuscript/ books/ etc.

(A) Documents:
A collection of 84 documents (in Urdu/ Modi/ Devnagari); a collection of 10 documents (in Persian/ English); a collection of 31 documents (in Urdu); a collection of 118 xerox copies of issues of weekly Combay Gazette in English/ Gujarati; a collection of 17 items (15 manuscripts and 2 printed folios/ books) in Bengali; 32 folios on stamp papers including 6 documents on cloth; 6 judicial stamps; 38 coats of army; 42 printed pages material in Gujarati and 17 vols. comprising 435 issues of Harijan.

(B) Manuscripts:
22 Manuscript (12 in Persian, 6 in Hindi, 3 in Urdu and 1 in English).

(C) Books:
21 books in Urdu.

17.5 Cartography Section accessioned 771 files of Survey of India, Dehradun (received earlier in 2004 and 2006 lying pending in Cartography Section).

17.6 Besides public records, National Archives of India continued to acquire private papers of eminent Indians in various fields as well as of Indian interest from abroad. Under this programme:

1. The private paper collections of National Archives of India was enriched with the accession of the following eminent personalities:-

(a) Abhik Kumar Dey Papers (1883-84, 1913-26): Papers related to Benaras City Map, Building Plan of Benaras (owner Ramdas) and deed copy of sale and purchase of property of some individuals in Benaras City etc.

(b) S. Santokh Singh Papers (1950-2007): Letters to and from Pt. Jawaharlal Nehru, Koto Matsudaira, Ambassador of Japan, Dr. Shankar Dayal Sharma, S.B. Chavan, N. Sanjeeva Reddy, Morarji Desai, Sonia Gandhi, Rajiv Gandhi, Atal Bihari Vajpayee, H.D. Deve Gowda, Jana Krishnamurthi, Rajinder Singh Vaseer and U.N. Dhebar etc. (original/ photo copies); Speeches, articles, booklets, pamphlets and photographs etc. and two books i.e. Santokh Singh Success Story 'Scratch To Success' (A Biography) and Ch. Brahm Prakash 'Iron Man of Delhi and Messiah of Backward Classes of India' A photo Memorabilia.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(ग) डा0 जी.पी. दासगुप्ता कागजातः श्री अमृत दास गुप्ता से प्राप्त दो पत्र (सादे कागज पर) जो महात्मा गांधी और रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा बनारस के डा0 जी.पी. दासगुप्ता को संबोधित किए गए थे।

2. विदेशों से भारतीय हित की माइक्रोफिल्म रोलः—
टी—49 श्रृंखला (1702—1801): राष्ट्रीय अभिलेखागार ब्रिटेन से अभिलेखों की टी—49 सीरिज की सत्रह माइक्रोफिल्मों के रोल अधिग्रहित किए गए। ये माइक्रोफिल्में बंगाल में भू—राजस्व; जनरल कलैवरिंग द्वारा कोर्ट ऑफ डॉयरेक्टरों को लिखे गए पत्र; बनारस में किए गए लेनदेन पर वारेन हैस्टिंगस द्वारा व्याख्यात्मक टिप्पणी; गवर्नर जनरल को आरकोट के नवाब द्वारा लिखे गए पत्र; ईस्ट इंडीज से किए गए व्यापार इंग्लैण्ड की एफेयर्स ऑफ यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेट्स; बाम्बे अफेयर्स; बंगाल और बिहार में प्रांतीय परिषदों की हुण्डियां; रोहिल्ला युद्ध; जनरल कलैवरिंग द्वारा परिषद को भंग करने की शक्तियों पर माननीय कर्नल मोनसोन और श्री फ्रांसिस के कार्यवृत्त; इंग्लैण्ड व्यापार के यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेट्स कार्यों के माननीय न्यायालय निदेशक जैसे विषयों से संबंधित हैं।

17.7 राष्ट्रीय अभिलेखागर द्वारा उपहार या अन्यथा खरीद द्वारा किसी निजी स्रोत से राष्ट्रीय या ऐतिहासिक महत्व के किसी अभिलेख को प्राप्त करने के लिए देश के प्रमुख समाचारपत्रों में प्रति वर्ष विज्ञापन प्रकाशित किया जाएं और इन अभिलेखों का अधिग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार को अवाप्ति रजिस्टरों में इसकी उपयुक्त प्रविष्टियां करनी चाहिए तथा संबंधित लोगों को पावती भी जारी की जानी चाहिए।

अल्प वृत्तचित्रों, प्रदर्शनियां, इश्तहारों आदि के जरिए लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए भी कार्रवाई की जानी चाहिए कि वे किसी प्रकार के देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों के अभिलेखों को इनके स्थायी संरक्षण तथा विद्वानों/प्रयोक्ताओं/इतिहासकारों के प्रयोग के लिए दान या उपहार में दें।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(c) Dr. G.P. Dasgupta Papers: Two letters (Plain Paper copy) received from Sh. Amrit Das Gupta addressed to his grandfather Dr. G.P. Dasgupta of Benaras from Mahatma Gandhi and Rabindra Nath Tagore.

2. Microfilm Rolls of Indian interest from abroad:-
T-49 Series (1702-1801): Seventeen microfilm rolls of T-49 series of records were acquired from the National Archives U.K. These relate to subjects like land revenue in Bengal; Correspondence from General Clavering to Court of Directors; Narratives by Warren Hastings of transaction at Benaras; Letters from Nabob of Arcot to the Governor General; Affairs of United Company of Merchants of England trading to the East Indies; Bombay affairs; Treasuries of Provincial Councils in Bengal & Bihar; Rohilla War; Minutes from General Clavering, Hon'ble Col. Monson & Mr. Francis on the Power of dissolving the Council, Hon'ble Court of Directors for the affairs of United Company of Merchants of England Trading to the East Indies etc.

17.7 Action is required on the part of National Archives of India to publish the advertisement every year in the leading newspapers of the country for the acceptance of any records of national or historical importance from any private source by way of gift or purchase otherwise and after the acquisition of these records, National Archives of India should make suitable entries of the same in the accession registers and also issue the acknowledgement to the concerned.

Action is also required to arouse consciousness amongst the people through short documentaries, exhibitions, pamphlets, etc. to donate or gift the records of any type, bearing the historical and cultural values of the country, to National Archives of India for their permanent preservation and the use of scholars/ users/ historians.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–18

अभिलेख सर्जक एजेंसियों के स्थायी कार्यों के अभिलेखों की प्रतिधारण समय–सूची की पुनरीक्षा

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 6(1)(ड.) में यह प्रावधान है कि अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अभिलेख प्रतिधारण सारणी के संकलन के लिए उत्तरदायी होगा। इन अभिलेख प्रतिधारण सारणियों को पांच वर्ष में एक बार संशोधित किया जाना अपेक्षित है ताकि नए विषय शीर्ष शामिल किए जा सकें जो पांच वर्ष की अवधि में संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों के बदलते और बढ़ते कार्यकलापों के कारण शामिल हो गए हैं। संदर्भाधीन अवधि में राष्ट्रीय अभिलेखागर ने 2 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के महत्वपूर्ण कार्यों की अभिलेख प्रतिधारण सारणियों की पुनरीक्षा की है। विस्तृत सूचना नीचे दी गई है:–

18.1 रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली के निम्नलिखित निदेशालयों के स्थायी कार्यों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों की संवीक्षा के लिए मौके पर अध्ययन कार्य को पूरा किया गया। अध्ययन रिपोर्ट और संशोधित अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियां अंतिम रूप दिए जाने के अलग–अलग चरणों में है। ये हैं: योजना निदेशालय; परियोजना निदेशालय; जन संपर्क निदेशालय; रेलवे विद्युतीकरण निदेशालय; सिग्नल निदेशालय; सांख्यिकी और आर्थिक निदेशालय; अवसंरचना प्रकोष्ठ; कार्य निदेशालय; यातायात परिवहन निदेशालय; यातायात वाणिज्यिक निदेशालय; ट्रैक निदेशालय; विद्युतीकरण निदेशालय; वित्त निदेशालय; वित्त (बजट) निदेशालय; वेतन आयोग निदेशालय; सतर्कता निदेशालय; राजभाषा निदेशालय; दूर–संचार निदेशालय; सुरक्षा निदेशालय; राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय; कोचिंग निदेशालय; आर्थिक प्रकोष्ठ; दक्षता और अनुसंधान निदेशालय; इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग निदेशालय; स्वास्थ्य निदेशालय; भूमि प्रबंधन निदेशालय; विधि प्रकोष्ठ; यांत्रिक इंजीनियरिंग (उत्पादन इकाई) निदेशालय; भण्डार निदेशालय और यांत्रिक इंजीनियरिंग निदेशालय।

उपर्युक्त के अलावा, केन्द्रीय दवा मानक नियंत्रण अभिलेख सर्जक एजेंसी (उत्तरी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गाजियाबाद की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची की संवीक्षा के लिए मौके पर अध्ययन पूरा किया गया।

18.2 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (दक्षिणी क्षेत्र), पुड्डुचेरी और अभिलेख केन्द्र (पश्चिमी क्षेत्र), जयपुर ने वर्ष 2009 के दौरान अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों की पुनरीक्षा के संबंध में 'शून्य' रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

18.3 यह पाया गया है कि अधिकांश मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अभी तक अपनी अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियां तैयार नहीं की हैं, तथा अधिकांश मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों का भी संशोधन किया जाना है। उपर्युक्त के अलावा, सभी सर्जक एजेंसियां राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्राथमिकता के आधार पर उनकी अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों को तैयार/पुनरीक्षा/संशोधन करने के लिए आवश्यक सहायता/मार्गदर्शन देने के लिए अनुरोध करें।

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल; राष्ट्रीय अभिलेखागार के भुवनेश्वर, जयपुर और पुड्डुचेरी स्थित अभिलेख केन्द्रों को 'शून्य' रिपोर्ट भेजने की बजाय मामले में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-18

VETTING OF RETENTION SCHEDULES OF RECORDS OF SUBSTANTIVE FUNCTIONS OF RECORDS CREATING AGENCIES

Section 6(1) (e) of the Public Records Act, 1993 provides that the records officer shall be responsible for compilation of records retention schedules in consultation with the National Archives of India. These records retention schedules are also required to be revised once in five years with a view to accommodate new subject heads which might have been added due to the changing and expanding activities of the concerned records creating agencies during the span of preceding five years. Keeping this in view, National Archives of India has vetted records retention schedules of substantive functions of various directorates of 2 ministries/ departments/ offices/ public sector undertakings during the period under report. Detailed information is given below:-

18.1 On the spot study for vetting the records retention schedules of substantive functions of the following Directorates of Railway Board (Ministry of Railways), New Delhi was completed. The study report and the revised records retention schedules were under various stages of finalisation. These are:- Planning Directorate; Project Directorate; Public Relation Directorate; Railway Electrification Directorate; Signal Directorate; Statistics and Economics Directorate; Infrastructure Cell; Work Directorate; Traffic Transportation Directorate; Traffic Commercial Directorate; Track Directorate; Electrification Directorate; Finance Directorate; Finance (Budget) Directorate; Pay Commission Directorate; Vigilance Directorate; Official of Language Directorate; Tele-Communication Directorate; Safety Directorate; National Railway Museum; Coaching Directorate; Economic Cell; Efficiency and Research Directorate; Electrical Engineering Directorate; Health Directorate; Land Management Directorate; Legal Cell; Mechanical Engineering (Production Unit) Directorate; Stores Directorate and Mechanical Engineering Directorate.

In addition to the above, on the spot study for vetting the records retention schedule of Central Drugs Standard Control Records creating agency (North), Ministry of Health and Family Welfare, Ghaziabad was completed.

18.2 The National Archives of India, Records Centre (Southern Zone), Puducherry and Records Centre (Western Zone), Jaipur have furnished 'Nil' report regarding the vetting of records retention schedules during the year 2009.

18.3 It has been observed that most of the ministries/ departments/ offices have not prepared their records retention schedules so far, as well as the records retention schedules of most of the ministries/ departments/ offices are also due for revision. In view of the above the action is requires on the part of all creating agencies to request National Archives of India for necessary helps/ guidance for the preparation/ vetting/ revision of their records retention schedules on priority basis.

As regard regional office, Bhopal; records centres, Bhubaneswar, Jaipur and Puducherry of National Archives of India may be instructed for taking the necessary steps in the matter instead of furnishing the 'Nil' report.

अध्याय–19

परामर्शी कार्य

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 3(2)(i) के तहत महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार से यह अपेक्षित है कि वह अभिलेखों के सृजन, निपटान और उनके अर्द्ध–प्रचलित चरण के दौरान अभिलेख प्रबंधन के मानदंडों, तकनीकों और वैज्ञानिक संरक्षण के अनुप्रयोग के संबंध में सभी मंत्रालयों विभागों इत्यादि को परामर्श दें। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों से संबंधित मामलों पर विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों को परामर्श देने के प्रयास जारी रखे हैं।

19.1 अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों के रखरखाव और संरक्षण को अभिलेख प्रबंधन का एक मुख्य कार्य मानते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के विभागीय अभिलेख कक्षों का निरीक्षण किया और उन्हें मौजूदा स्थितियों को सुधारने के लिए मौके पर सलाह और मार्गदर्शन दिया।

19.2 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (दक्षिणी क्षेत्र), पुड्डुचेरी ने परामर्शी कार्य के संबंध में 'शून्य' रिपोर्ट प्रस्तुत की है लेकिन मुख्यालय के आदेशों के अनुरूप में तीन पंचायत पुस्तकालयों का निरीक्षण और त्रिवेन्द्रम स्थित कार्यालयों से लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र का कार्य शुरू किया गया था।

19.3 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (पश्चिमी क्षेत्र), जयपुर ने निम्नलिखित विभागों/कार्यालयों/पीएसयू: हिंदुस्तान साल्ट, सांभर; सीबीएफसी, पुणे और नमक आयुक्त, मुम्बई को अभिलेख प्रबंधन के तकनीकी/व्यावसायिक मामलों पर परामर्श दिया है।

19.4 राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने सुरक्षा पेपर मिल, होशंगाबाद; खाद्य विभाग (खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय), भोपाल तथा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल सहित विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक सलाह और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया है।

19.5 राष्ट्रीय अभिलेखागार के रेप्रोग्राफी प्रभाग द्वारा निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियों/संस्थानों को तकनीकी सूचना/मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया:

(क) श्री अशोक कपूर, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अभिलेखागार, कृषि बैंकिंग कैम्पस कॉलेज, यूनिवर्सिटी रोड, पुणे।

(ख) श्री निलंजन बैनर्जी, विशेष अधिकारी, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल।

(ग) डॉ0 सरहाजुद्दीन अहमद, निदेशक प्रभारी, संग्रहालय निदेशालय, असम, गुवाहाटी।

(घ) श्री पी.के. वर्मा, पुस्तकालय, भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान, नई दिल्ली।

(ङ.) श्रीमती ऊषा सुरेश, अभिलेखागार निदेशक, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक राज्य अभिलेखागार निदेशालय, विधान सौंध, बैंगलोर

(च) पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर, कर्नाटक में श्री लेईली, पीएचडी अनुसंधानकर्ता।

(छ) अभिलेखागार विभाग, पंजाब, चंडीगढ़।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-19

ADVISORY WORK

Under Section 3(2) (i) of Public Records Act, 1993, Director General, National Archives of India is required to render advice to all ministries/ departments etc. on the creation, disposal of records and application of standards, techniques of records management and scientific preservation during their semi-current stage. Accordingly, National Archives of India continued its efforts to advise various records creating agencies on the matters related to records management activities.

19.1 Considering the upkeep and preservation of semi-current records as one of the prime areas of the records management, National Archives of India inspected the departmental records rooms of various ministries/ departments/ offices and provided on the spot advice and guidance for improvement in the existing conditions.

19.2 The National Archives of India, Records Centre (Southern Zone), Puducherry has furnished 'Nil' report regarding the advisory work but in pursuance of orders of the headquarters, inspection of the three Panchayat Libraries & Pending Utilisation Certificate from 5 offices, located at Trivandrum were taken up.

19.3 The National Archives of India, Records Centre (Western Zone), Jaipur tendered advice on technical/ professional matters of records management to the following departments/ offices/ PSUs: Hindustan Salt, Sambhar; CBFC, Pune and Salt Commissioner, Mumbai.

19.4 The National Archives of India Regional Office, Bhopal provided necessary advice and guidance regarding implementation of Public Records Act, 1993 to various Central Government offices including Security Paper Mill, Hoshangabad; Department of Food (Ministry of Food and Civil Supplies), Bhopal and Indian Institute of Forest Management, Bhopal.

19.5 The technical information/ guidance on the various reprographic services were supplied by the Reprography section of National Archives of India to the following records creating agencies/ institutions:

(a) Shri Ashok Kapoor, Reserve Bank of India, Reserve Bank of India Archives, College of Agricultural Banking Campus, University Road, Pune.

(b) Shri Nilanjan Banerjee, Special Officer, Shanti Niketan, West Bengal.

(c) Dr. Sarharuddin Ahmed, Director in Charge, Directorate of Museums, Assam, Guwahati.

(d) Shri P.K. Varma, Librarian, United Service Institution of India, New Delhi.

(e) Smt. Usha Suresh, Director of Archives, Government of Karnataka, Directorate of Karnataka State Archives, Vidhana Soudha, Bangalore.

(f) Shri. Leilli, Ph.D Research Scholar, DOS in Library and Information Science, University of Mysore, Mysore, Karnataka.

(g) Department of Archives, Punjab, Chandigarh.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(ज) श्री अशोक कुमार नाथ, एलआईओ (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता।
(झ) डॉ वासुमति शर्मा, कार्यालयाध्यक्ष, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, पी.डब्ल्यू.डी. रोड, जोधपुर।
(ञ) श्री सुधीर सिंह जोहर, पुस्तकालयाध्यक्ष, जागरण प्रकाशन, जागरण भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर।
(ट) सुश्री रेखा त्रिवेदी, निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ, उ.प्र.।
(ठ) डॉ. राजेन्द्र सिंह, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, केन्द्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
(ड.) श्री ग्यालपो येमा, द संरक्षिता लाइब्रेरी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बती स्टडी, सारनाथ, वाराणसी।

सर्वश्री एन.एस. मानी और श्री जगमोहन सिंह, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 23.03.2009 और 26.03.2009 को दो दिन के लिए आरबीआई स्टॉफ को प्रशिक्षण दिया।

19.6 राष्ट्रीय अभिलेखागार के पीआर–।, पीआर–।। और डब्ल्यू.एस. प्रभागों ने निम्नलिखित अभिलेख सर्जक अधिकारियों / व्यक्तियों को अभिलेखों की मरम्मत और परिरक्षण पर तकनीकी सूचना प्रदान की :

(i) पुस्तकालय प्रभारी, मौलाना आजाद पुस्तकालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
(ii) कार्यालय समन्वयक, मैसर्स ड्रूली सोल्यूशन, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली।
(iii) मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, वीएसएम, द मद्रास सैपर्स और कार्य महानिदेशक, मुख्य अभियंता शाखा, एमओडी (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, कश्मीर हाउस, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली।

19.7 (क) समीक्षाधीन रिपोर्ट के दौरान, राष्ट्रीय अभिलेखागार के सी.आर.एल. प्रभाग ने संरक्षण की निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियों / संस्थानों को विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी सूचना प्रदान की।

(i) एयर कमोडोर, एओसी, वायु सेना केन्द्रीय लेखा कार्यालय, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली।
(ii) संयोजक, श्री सत्य साईं बुक्स एंड पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, प्रशांति निलयम, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश।
(iii) मोहम्द अब्दुल मानन हेलाजी, संयुक्त सचिव, दारूल मुसानेफिन शिबली अकादमी, पोस्ट बॉक्स सं. 19, शिवली रोड, आजमगढ़।
(iv) मिजोरम राज्य अभिलेखागार, आईजोल, मिजोरम।
(v) बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना, बिहार।
(vi) प्रधानाचार्य, सरकारी डीएसआरएचवी स्नात्तकोत्तर संस्कृत कॉलेज, रायपुर (सीजी)।
(vii) अध्यक्ष, रतन टाटा पुस्तकालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।
(viii) निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार बी–44 महानगर विस्तार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
(ix) संसदीय कार्य मंत्रालय, 12 / 11 लखनऊ हाउस, नई दिल्ली।

(ख) इसके अलावा, निम्नलिखित को अभिलेखों के उचित रखरखाव के बारे में मौके पर मार्गदर्शन दिया:

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(h) Shri Ashok Kumar Nath, LIO (Sc. & Tech), National Library, Kolkata.

(i) Dr. Vasumati Sharma, Karalyaadyaksha, Rajasthan Prachya Vidya Pratishthan, P.W.D. Road, Jodhpur.

(j) Sh. Sudhir Singh Johar, Librarian, Jagran Prakashan, Jagran Building, Sarvodaya Nagar, Kanpur.

(k) Ms. Rekha Trivadi, Director, Uttar Pradesh State Archives, Mahanagar Extension, Lucknow, U.P.

(l) Dr. Rajinder Singh, Principal Scientific Officer, Central Forensic Science Laboratory, Central Bureau of Investigation, Kendriya Karyalaya Parissar, Lodhi Road, New Delhi.

(m) Shri Gyalpo Pema, The Shantrakshita Library of Central University of Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi.

S/Shri N.S. Mani and Shri Jag Mohan Singh, Microphotographists of National Archives of India has also given the training to the RBI staff for two days i.e. on 23.03.2009 & 26.03.2009.

19.6 Pr-I, Pr-II and W.S. sections of National Archives of India provided technical information on repair and preservation of records to the following records creating agencies/ individuals:

(i) Librarian In-charge, Maulana Azad Library, Aligarh Muslim University, Aligarh, U.P.

(ii) Office Coordinator, M/S Truly Solution, Nehru Place, New Delhi.

(iii) Major Gen. Brajesh Kumar V.S.M., The Madras Sappers and Director General Works, Engineer-in-Chief's Branch, Integrated HQ of MOD (Army), Kashmir House, Rajaji Marg, New Delhi.

19.7 (a) During the period under report, C.R.L. section of National Archives of India rendered technical information on various aspects of conservation was provided to the following records creating agencies/ institutes:

(i) Air Cmde, AOC, Air Force Central Accounts Office, Subroto Park, New Delhi.

(ii) The Convener, Sh. Sathya Sai Books and Publications Trust, Prasanthi Nilayam, Anantapur Dist, Andhra Pradesh.

(iii) Md. Abdul Mannan Helaji, Jt. Secretary, Darul Musannefin Shibli Academy,Post Box No.19,Shibli Road, Azamgarh.

(iv) Mizoram State Archives, Aizal, Mizoram.

(v) Bihar State Archives, Patna, Bihar.

(vi) The Principal, Government D.S.R.M.V. Post Graduate Sanskrit College, Raipur (C.G).

(vii) The Head, the Ratan Tate Library, Delhi School of Economics, University of Delhi, Delhi.

(viii) Director, U.P. State Archives, B-44 Mahanagar Vistar, Lucknow, Uttar Pradesh.

(ix) Ministry of Parliamentary Affairs, 12/11, Jamnagar House, New Delhi.

(b) Further, on the spot guidance for proper upkeep of records was also provided to the following:

(i) Punjab State Archives, Chandigarh, Punjab.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(i) पंजाब राज्य अभिलेखागार, चण्डीगढ़, पंजाब।
(ii) एनजीओ प्रभाग, विदेश मन्त्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
(iii) संसद पुस्तकालय, लोक सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली।
(iv) साई करुणा धाम, ई–4, सेक्टर–61, नोएडा।
(v) राष्ट्रपति सचिवालय पुस्तकालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

19.8 डॉ मीना गौतम, उप निदेशक, अभिलेखागार को आईआईटी, कानपुर में 1 जून, 2009 को उनकी अभिरक्षा में अभिलेखों के प्रबंधन और परिरक्षण में संस्थान के निकाय सदस्यों को परामर्श देने के लिए नियुक्त किया गया था।

19.9 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों अर्थात् अभिलेख करना, सूचीकरण, समीक्षा करना, अभिलेखों को नष्ट करना, मूल्यांकन करना और अप्रचलित स्थायी प्रकृति के अभिलेखों का अंतरण करना तथा 'क' श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनना, आदि से संबंधित मामलों पर सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परामर्श दे रहा है। राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा एक/दो दिन की कार्यशालाएं/संगोष्ठियों/स्लाइड शो/पहेली आदि के जरिए अभिलेख प्रबंधन के विभिन्न मुद्दों के संबंध में सभी सर्जन एजेंसियों के विभागीय अभिलेख कक्षों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में रुचि/जागरुकता पैदा करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

सर्जक एजेंसियों के संबंध में वे राष्ट्रीय अभिलेखागार से अपने संगठन में अभिलेख प्रावधान पर एक/दो दिन की संगोष्ठी का आयोजन करने के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं ताकि उनके विभागीय अभिलेख कक्ष में कार्यरत स्टॉफ को प्रशिक्षित किया जा सके।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(ii) NGO Section, Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi.

(iii) Parliament Library, Lok Sabha Secretariat, Parliament House, New Delhi.

(iv) Sai Karuna Dham, E-4, Sector-61, Noida.

(v) President's Secretariat Library, Rastrapati Bhawan, New Delhi.

19.8 Dr. Meena Gautam, Deputy Director of Archives deputed to IIT Kanpur on 1st June, 2009 to advice the faculty members of the Institute in managing and preserving records under their custody.

19.9 National Archives of India is rendering advice to all ministries/ departments/ offices/ public sector undertakings etc. on the matters related to records management activities i.e. recording, indexing, reviewing, weeding of records, appraisal, transfer of non-current permanent nature records and microfilming of 'A' category records etc. Efforts are required on the part of National Archives of India to develop the interest/ awareness amongst the officers/ officials working in the departmental records rooms of all creating agencies in respect of various issues of records management through one/ two day(s) workshops/ seminars/ slideshows/ quizzes etc.

As regard, creating agencies, they may also request National Archives of India for organizing one/ two day(s) seminars on records management in their organization to train their staff working under their departmental records room.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–20

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय अभिलेखागार का अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय अभिलेखीय अध्ययनों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा। इनमें अभिलेख और रिकार्ड प्रबंधन में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम; अभिलेखागार प्रबंधन, रेप्रोग्राफी, अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखों की सर्विसिंग और मरम्मत, पुस्तकों की देखभाल और संरक्षण, एमएसएस तथा उप–व्यावसायिक स्तर पर अभिलेखागारों में अल्पकालिक प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं। मंत्रालय / विभाग / कार्यालय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आदि इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और विभागीय अभिलेख कक्षों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवा सकते हैं। इसके अलावा, सचिवों की समिति के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निर्दिष्ट विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए अभिलेख प्रबंधन में पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम शुरू किया ताकि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1933 की धारा 6(1) के तहत यथानिर्धारित कार्य करने में समर्थ हो सकें। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सितम्बर, 1998 में इसकी शुरुआत से अब तक 90 अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं और 1196 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है। वर्ष 2009 के दौरान अभिलेख प्रबंधन में अभिमुखी पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने वाले विभागीय अभिलेख अधिकारियों की सूची इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–*IV* में देखी जा सकती है।

20.1 वर्ष 2008–2009 के शैक्षणिक वर्ष के लिए अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन में एक वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 24 छात्रों का बैच था। इनमें से विदेशों तथा भारत से पांच उम्मीदवार प्रायोजित थे। इन्हें प्रायोजित करने वाले संगठन थेः सचिव, रेड रोज एजुकेशन सोसायटी, मेहलाना रोड, सोनीपत; निदेशक, अभिलेखागार, और पुस्तकालय निदेशालय, अगरगांव, शेर–ए–बांग्ला नगर, ढाका – 1207 (बांग्लादेश); सचिव, श्रीमंत शंकरादेवा कलाश्रेष्ठ सोसायटी, गुवाहाटी; मीडिया सलाहकार, राजीव गांधी फाउंडेशन अभिलेखागार, जवाहर भवन, नई दिल्ली और इमाम, ओल्ड एस.आर.के. होस्टल, जे.एम.आई., नई दिल्ली। शेष उन्नीस छात्र प्राइवेट उम्मीदवार थे।

20.2 अभिलेखागार अध्ययन स्कूल ने अभिलेखागार प्रबंधन में एक अल्पावधि पाठ्यक्रम भी आयोजन किया जिसमें 11 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इनमें से, दो उम्मीदवार को निदेशक, भाषा और सांस्कृतिक विभाग, हिमाचल प्रदेश के राज्य अभिलेखागार, शिमला द्वारा प्रायोजित किया गया था।

20.3 रेप्रोग्राफ्री में दो अल्पावधि पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें 16 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इनमें से दो अभ्यर्थी प्रायोजित श्रेणी से थे। प्रायोजित अभिलेख सर्जक एजेंसियां हैं: प्रशासनिक सुधार विंग, सचिवालय, अंडमान व निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर और राष्ट्रीय अभिलेखागार विभाग, कोलंबो (श्रीलंका)।

20.4 अभिलेख प्रबंधन में दो अल्पावधि पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 26 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इनमें से छः अभ्यर्थी प्रायोजित श्रेणी से थे। प्रायोजित अभिलेख सर्जक एजेंसियां हैं: केन्द्रीय विद्यालय, द्वारका सेक्टर–12, नई दिल्ली; अवर सचिव (प्रशासन), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली (दो अभ्यर्थी); वेंकटासामी बाबू डी, मानव संसाधन प्रबंधन बोश लिमिटेड, बैंगलोर; वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नोएडा (उ.प्र.) और अनुसंधान सहायक, महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी 108, शिवतेज, सैन गुरूजी बसाहट, कोल्हापुर।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-20

TRAINING

The School of Archival Studies of the National Archives of India continued to conduct training courses in various disciplines of Archival Science at both professional and sub-professional level. These comprised of One-Year Diploma Course in Archives and Records Management; Short Term Certificate Courses in Archives Management, Reprography, Records Management, Servicing and Repairing of Records, Care and Conservation of Books, Mss and Archives at sub-professional level. Ministries/ departments/ offices/ public sector undertakings etc. can avail of this facility and get their staff working in departmental records room trained. Besides, as per the directives of the committee of secretaries, National Archives of India started five days Orientation Courses in Records Management for designated departmental records officers with a view to enable them to discharge various functions as stipulated under Section 6 (1) of the Public Records Act, 1993. The National Archives of India has so far conducted 90 Orientation Courses after its introduction in September, 1998 and imparted training to 1,196 Officers. A list of records officers who have attended the orientation courses in records management during the year 2009 may please be seen in Annexure-IV of the report.

20.1 One-Year Diploma Course in Archives and Records Management for the academic year 2008-2009 had a batch of 24 students. Out of these, five candidates were sponsored candidates from foreign countries and within India. These sponsoring records creating agencies were: The Secretary, Red Rose Education Society, Mehlana Road, Sonepat; The Director, Directorate of Archives & Libraries, Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka - 1207 (Bangladesh); The Secretary, Srimanta Sankaradeva Kalashetra Society, Guwahati; The Media Advisor, Rajiv Gandhi Foundation Archives, Jawahar Bhawan, New Delhi and Iman, Old S.R.K. Hostel, J.M.I., New Delhi. The remaining nineteen students were private candidates.

20.2 School of Archival Studies also conducted one Short Term Course in Archives Management which was attended by 11 candidates. Out of these, two candidates were sponsored by the Director, Language and Cultural Department, State Archives of Himachal Pradesh, Shimla.

20.3 Two Short Term Courses in Reprography were conducted which were attended by 16 candidates. Out of these, two candidates were from sponsored category. The sponsoring records creating agencies are: Administrative Reforms Wing, Secretariat, Andaman & Nicobar Admn., Port Blair and Department of National Archives, Colombo (Sri Lanka).

20.4 Two Short Term Courses in Records Management were conducted which were attended by 26 candidates. Out of these, six candidates were from sponsoring category. The sponsoring records creating agencies are: Kendriya Vidyalaya, Dwarka, Sector-12, New Delhi; The Under Secretary (Admn), University Grants Commission, New Delhi (two candidates); Venkatasami Babu D, Human Resource Management Bosch Limited, Bangalore; Sr. Vice President, Reliance Infrastructure Limited, Noida (U.P.) and Research Assistant, Maharashtra Ithas Probodhini 108, Shivtej, Sane Guruji Vasaht, Kolhapur.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

20.5 अभिलेखों की सर्विस और मरम्मत में दो अल्पावधि पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 29 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें से, पुस्तकालय–प्रभारी, एम.ए. पुस्तकालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (दो अभ्यर्थी); पुस्तकालयध्यक्ष, यूनाईटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली और निदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार विभाग, कोलंबो (श्रीलंका) (दो अभ्यर्थी) द्वारा पांच अभ्यर्थियों को प्रायोजित किया गया।

20.6 अभिलेखागार अध्ययन स्कूल ने पुस्तकों, पाण्डुलिपियों और अभिलेखों की देखभाल और संरक्षण में दो अल्पावधि पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया, जिसमें 21 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें से निदेशक, केन्या राष्ट्रीय अभिलेखागार और दस्तावेज सर्विस, नैरोबी (केन्या), पुस्तकालयाध्यक्ष, संतोष विश्वविद्यालय (प्रताप विहार), गाजियाबाद और पुस्तकालय, द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (वसंत विहार), नई दिल्ली द्वारा तीन अभ्यर्थियों को प्रायोजित किया गया था।

20.7 वर्ष के दौरान अभिलेखागार अध्ययन स्कूल द्वारा आयोजित अनेक संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

(i) 'अंडमान व निकोबार संघ शासित क्षेत्र के राज्य अभिलेखागार के सहयोग से 'अभिलेखागार में मानव संसाधन विकास में क्षेत्रीय कार्यशाला':

अंडमान व निकोबार प्रशासन के सहयोग से पोर्टब्लेयर में 3 से 7 अगस्त, 2009 को अभिलेख प्रबंधन, संरक्षण और माइक्रोफिल्मिंग / डिजीटलीकरण में मानव संसाधन विकास पर साप्ताहिक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में अंडमान व निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों के अड़तीस अधिकारियों ने भाग लिया था।

(ii) आरबीआई अभिलेखागार के सहयोग से पुणे में 7 और 8 दिसंबर, 2009 को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय अभिलेखागार पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी:

यह संगोष्ठी 7 और 8 दिसंबर, 2009 को कृषि बैंकिंग कॉलेज, पुणे के परिसर में आयोजित की गई थी। संगोष्ठी में पीएसयू बैंकिंग संस्थानों और निजी कंपनी अभिलेखागार से वरिष्ठ और मध्यम स्तर के 48 अधिकारियों ने भाग लिया था। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद के श्रम प्रभाग के चार प्रतिनिधिमण्डलों ने संगोष्ठी में भाग लिया और कागज़ात प्रस्तुत किए।

श्री हंस आईविंड, नाएस, वरिष्ठ सलाहकार, नार्वे आईसीए उपाध्यक्ष (प्रभागों) के अभिलेखागारों ने ''व्यवसाय अभिलेखागारः इसके लिए आपको क्या चाहिए?'' पर एक व्याख्यान दिया। सुश्री यूको नागई मत्सुजाकी ने उद्यमशील इतिहास संसाधन केन्द, शिबुसावा ईची मेमोरियल फाउंडेशन'' पर एक पेपर प्रस्तुत किया और व्यवसाय अभिलेखागार विशेषज्ञ के रूप में अपना अनुभव बताया। सुश्री फ्रानेस्का पिनो, निदेशक समूह अभिलेखागार, इटली ने ''यूरोपीय बैंकिंग और वित्तीय अभिलेखागारः पद्धतियों और प्राथमिकताओं का ईएबीएच सर्वेक्षण'' पर एक पेपर प्रस्तुत किया। श्री डीडियर बोनडयू, निदेशक सेंट गोबेन ग्रुप, फ्रांस ने सामान्य तौर पर अपने अभिलेखागार और व्यवसाय अभिलेखागार के कार्य के बारे में चर्चा की।

भारत के विभिन्न संस्थानों / भारतीय अभिलेखागार से प्रतिनिधिमण्डलों द्वारा आठ कागज़ात प्रस्तुत किए गए थे। डॉ0 मीना गौतम, उप निदेशक, अभिलेखागार ने राष्ट्रीय अभिलेखागार में अनुसंधान रुझान के सर्वेक्षण तथा उपलब्ध निजी और सार्वजनिक अभिलेखों पर आधारित ''स्रोत और संसाधनः मूल्यांकित व्यवसाय अभिलेखागार'' नामक एक पेपर प्रस्तुत किया।

28.8 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (दक्षिणी क्षेत्र), पुड्डूचेरी ने दिनांक 24–28 अगस्त, 2009 के दौरान भारत सरकार के विभिन्न विभागों के डीआरओ के लिए एक पांच दिवसीय अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया। 21 भागीदारों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

20.5 Two Short Term Courses in Servicing and Repair of Records were conducted which were attended by 29 candidates. Out of these, five candidates were sponsored by Librarian-in-charge, M.A. Library, Aligarh Muslim University, Aligarh (two candidates); Librarian, United Service Institution of India, New Delhi and The Director, Department of National Archives, Colombo (Sri Lanka) (two candidates).

20.6 School of Archival Studies also conducted two Short Term Courses in Care and Conservation of books, manuscripts and archives which were attended by 21 candidates. Out of these, three candidates were sponsored by The Director, Kenya National Archives and Documentation Service, Nairobi (Kenya); The Librarian, Santosh University (Pratap Vihar), Ghaziabad and The Librarian, United Service Institution of India (Vasant Vihar), New Delhi.

20.7 Series of seminars and workshops organised by School of Archival Studies during the year includes:

(i) 'Regional Workshop in Human Resource Development in Archives' in collaboration with State Archives of U.T. of Andaman and Nicobar:

A one week workshop on Human Resource Development in Records Management, Conservation and Microfilming/ Digitization was conducted at Port Blair in collaboration with Andaman & Nicobar Administration from 3rd to 7th August, 2009. Thirty eight officials of various departments of the Andaman & Nicobar Administration participated in the workshop.

(ii) International Seminar on Business Archives on 7 and 8 December 2009 at Pune in collaboration with RBI Archives:

The Seminar was organised on 7 and 8 December 2009 at the premises College of Agricultural Banking, Pune. 48 Senior and Middle level officers from PSU's, Banking Institutions and Private Companies Archives participated in the seminar. In addition four delegates of the Labour section of the International Council of Archives also took part in the seminar and presented papers.

Mr. Hans Eyvind Naess, Senior Adviser for the Archivist of Norway ICA Vice president (Sections) gave a discourse on "Business Archives: What do you need it for ? ". Ms. Yuko Nagai Matsuzaki presented a paper on "Resource Centre for the History of Entrepreneurship, Shibusawa Ei'chi Memorial Foundation" and shared her experience as a Business Archives Specialist. Ms. Franesca Pino, Director Group Archivist Italy presented a paper on "European Banking and Financial Archives: the EABH Survey of Practices and Priorities". Mr. Didier Bondue, Director Saint-Gobain Group, France discussed about the working of their Archives and Business Archives in General.

Eight papers were presented by the delegates from different institutions/ archives of India. Dr. Meena Gautam, Deputy Director of Archives, presented a paper titled "Sources and Resources: Business Archives Evaluated" based on survey of research trends and private and public records series available in National Archives of India.

20.8 The National Archives of India, Records Centre (Southern Zone), Puducherry conducted a five days Orientation Course on Records Management for DROs of various departments of Government of India during 24-28 August 2009. 21 participants attended the training programme.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

20.9 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (पश्चिमी क्षेत्र), जयपुर ने 16–20 नवंबर, 2009 के दौरान डीआरओ के लिए अभिलेख प्रबंधन पद्धति पर एक पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया। भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों / विभागों के 15 अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।

20.10 राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने 12–16 दिसंबर, 2009 के दौरान डीआरओ के लिए अभिलेख प्रबंधन में पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भोपाल तथा देश के अन्य भागों के विभिन्न केन्द्रीय सरकार कार्यालयों से सात डीआरओ ने भाग लिया।

20.11 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर ने 14–18 दिसंबर, 2009 के दौरान डीआरओ के लिए अभिलेख प्रबंधन पर एक पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया। पूर्वी भारत में भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों / विभागों के 16 अधिकारियों ने भाग लिया।

20.12 रिपोर्ट की अवधि के दौरान सात अभिविन्यास पाठ्यक्रमों, जिनमें से चार पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, एक जयपुर, एक भोपाल और एक पुड्डुचेरी में विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए अभिलेख प्रबंधन पर आयोजित किए गए थे। 130 विभागीय अधिकारियों ने पाठ्यक्रम में भाग लिया था।

20.13 अभिलेखागार अध्ययन स्कूलों, राष्ट्रीय अभिलेखागार और समन्वयक, अभिलेख प्रबंधन प्रभाग द्वारा अभिलेख प्रबंधन पर विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करने, छात्रों और भागीदारों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने की पाठ्यक्रम सामग्रियों और पद्धति में संशोधन करने और उसे अद्यतन बनाने के प्रयास करने चाहिए।

उपर्युक्त को देखते हुए हम उपर्युक्त प्रभागों से सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा अपनाई गई पद्धति पर प्रशिक्षण तकनीक में सुधार करने का सुझाव दे सकते हैं। वे विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों को तथा अभिविन्यास पाठ्यक्रमों के भागीदारों को स्लाइड शो, पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति, प्रश्नावली और प्रश्न पूछने वालों आदि की मदद से प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकते हैं।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

20.9 The National Archives of India, Records Centre (Western Zone), Jaipur conducted a five days Orientation Course on Records Management Practices for DROs during 16-20 November 2009. 15 officers of different offices/ departments of Government of India participated.

20.10 The National Archives of India, Regional Office, Bhopal organized a five days Orientation Course in Records Management for DROs during 12-16 December 2009, wherein seven DROs from various Central Government offices of Bhopal and other part of country participated.

20.11 The National Archives of India, Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar conducted a five days Orientation Course on Records Management for DROs during 14-18 December 2009. 16 officers of different offices/ departments of Government of India in eastern India participated.

20.12 During the period under the report seven Orientation Courses, four at National Archives of India, New Delhi, one at Jaipur, one at Bhopal and one at Puducherry on records management for departmental records officers (DROs) were conducted. 130 departmental officers attended the courses.

20.13 Efforts are required from the Schools of Archival Studies, National Archives of India as well as Coordinator, Records Mana gement Division, organizing the orientation courses for departmental records officers of the various ministries/ departments/ offices/ public sector undertakings on records management, to revise and update the course materials and methods of imparting the training to the students as well as participants on priority basis.

In view of the above, we may suggest the aforesaid divisions to modify the training techniques on the pattern adopted by the Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi. They may also impart the training to the students of the various courses as well as the participants of the orientation courses with the help of slide shows, power point presentation, quiz and questioners etc.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–21

अभिलेख जागरुकता कार्यक्रम

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(घ) के तहत अभिलेख महानिदेशक को लोक अभिलेखों की प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने संदर्भाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शनियां आयोजित कीं और अन्य कार्यकलाप भी किए गए।

21.1 रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्रदर्शनी इकाई ने निम्नलिखित कार्य पूरे किए:

1. दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला उत्सव के सहयोग से 5–9 अक्तूबर, 2009 तक विभाग में अभिलेखागार सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान मातेर देई कान्वेंट, सेंट मैरी स्कूल से 105 छात्रों और कश्मीर से 86 छात्रों के एक समूह के लिए एक दौरे का आयोजन किया गया जो दिल्ली इंटरनेशनल फेस्टिवल देखने आए थे। उन्हें संग्रहालय, आधान पात्र और परिरक्षण प्रभागों में ले जाया गया। छात्रों ने अभिलेखागार दस्तावेजों के महत्व के बारे में जाना। उन्हें दस्तावेजों की मरम्मत का कार्य भी दिखाया गया।

   स्कूल के छात्रों को एक किट दी गई जिसमें महात्मा गांधी और डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के हस्ताक्षरों के बुक मार्क, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई और बहादुर शाह– II की मोहरें दर्शाने वाले पोस्ट कार्ड और ग्रीटिंग कार्ड के रूप में जानी–मानी हस्तियों के पत्रों के फैक्स भी शामिल थे। इसके अलावा, अभिलेखागार सप्ताह के दौरान दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टीवल के प्रतिनिधियों द्वारा स्कूल के बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्यकलापों की भी व्यवस्था की गई थी।

21.2 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, जयपुर ने 8 दिनों (21–28 जुलाई, 2009) के लिए ''ब्रिटिश राज में राजपुताना का नमक उद्योग'' विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें 60 आगंतुकों ने भाग लिया।

21.3 राष्ट्रीय अभिलेखागार क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने 18 से 22 मई, 2009 तक ''अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर 18वीं और 19वीं सदी के दौरान संचार के माध्यमों के विकास'' विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसे 300 से अधिक व्यक्तियों ने देखा। इसका उद्घाटन क्षेत्र के प्रसिद्ध इतिहासकार प्रो0 सुरेश मिश्रा द्वारा किया गया।

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग:

21.4 क. ''भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग, भारतीय इतिहास के स्रोत–खण्ड *III*'' पर प्रकाशन निकाला गया।

ख. राजपत्र अधिसूचना के लिए भारत सरकार मुद्रणालय को भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के पुनर्गठन का ज्ञापन भेजा गया था।

राष्ट्रीय अभिलेखागार समिति:

21.5 क. बिहार राज्य अभिलेखागार से 2010 की पहली तिमाही में पटना में राष्ट्रीय अभिलेखागार समिति की 44वीं बैठक का आयोजन करने का आमंत्रण प्राप्त हुआ था।

ख. राज्य/संघ शासित अधिलेखागारों से पुनर्गठित राष्ट्रीय अभिलेखागार समिति सदस्यों में नामित करने का आमंत्रण मिला।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-21

ARCHIVAL AWARENESS PROGRAMME

Under Section 3(2) (d) of the Public Records Act, 1993, the Director General of Archives is authorized by the Central Government to hold exhibition of public records so as to create archival awareness among the masses. Accordingly, National Archives of India mounted the following exhibitions and also undertook other activities during the period under report.

21.1 During the period under the report, Exhibition Unit completed the following items of work:

1. An Archives Week was celebrated in the Department from 5-9 October 2009 in association with Delhi International Arts Festival. During the week a conducted tour was arranged for 105 students from Mater Dei Convent, St. Mary's School and a group of 86 students from Kashmir who came to witness Delhi International Festival were escorted through the Museum, Repository and Preservation Divisions. The students learnt about the importance of the archival documents. The repair of the documents was also demonstrated.

   A kit comprising book marks having signatures of Mahatma Gandhi and Dr. Rajendra Prasad, facsimile of the letters of the eminent personalities in the form of post cards and greeting cards depicting seals of Rani Laxmi Bai of Jhansi and Bahadur Shah II were also distributed to the school students. Besides, educational activities for the school students were also arranged by the representatives of the Delhi International Arts Festival during the Archives Week.

21.2 The National Archives of India, Records Centre, Jaipur organised an exhibition on "Salt Industry of Rajputana in British Raj" for 8 days (21st - 28th July, 2009), visited by 60 visitors.

21.3 The National Archives of India Regional Office, Bhopal mounted a thematic exhibition on "Development of Means of Communication during 18th and 19th Century on the eve of International Museums Day" w.e.f. 18th to 22nd May, 2009 which was visited by more than 300 persons. It was inaugurated by Prof. Suresh Mishra, a renowned Historian of the region.

Indian Historical Records Commission:

21.4 a. Publication on "Indian Historical Records Commission, Sources of Indian History - Vol.III" was brought out.

b. Memorandum for reconstitution of Indian Historical Records Commission was forwarded to the Government of India Press for Gazettee Notification.

National Committee of Archivists:

21.5 a. Invitation was received from the Bihar State Archives for holding the 44th Meeting of the National Committee of Archives at Patna in the first quarter of 2010.

b. Nomination of members for appointment on the reconstituted of the National Committee of Archivists was invited from the State/ UT Archives.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

समितियां और सम्मेलनः

21.6 रिपोर्ट की अवधि के दौरान महानिदेशक अभिलेखागार और वरिष्ठ अधिकारियों ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लियाः

1. श्री एसएमआर बाकर, महानिदेशक अभिलेखागार (प्रभारी) ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लियाः

(क) उन्होंने तथा डॉ0 मीना गौतम, उप निदेशक, अभिलेखागार तथा श्री एन.एस. माने, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट ने शांति निकेतन में 19–20 अप्रैल, 2009 को आयोजित विश्व भारती विश्वविद्यालय की एक विशेष बैठक में भाग लिया।

(ख) उन्होंने डॉ. मीना गौतम, उप निदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ तेहरान में 5–7 मई, 2009 को आयोजित स्वारबिका बैठक में भाग लिया।

(ग) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की ''शहीदों का शब्दकोश : भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (1857–1947)'' नामक परियोजना की प्रबंधन समिति की बैठक नई दिल्ली में 11 मई, 2009 को आयोजित की गई।

(घ) भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला की 36वीं वार्षिक आम बैठक नई दिल्ली में 27 मई, 2009 को आयोजित की गई थी।

(ड.) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की 60वीं आम बैठक नई दिल्ली में 28 जुलाई, 2009 को आयोजित की गई थी।

(च) संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–2010 के लिए क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालय की स्थापना, संवर्धन और सुदृढ़ीकरण योजना के तहत विशेषज्ञ समिति की दूसरी बैठक नई दिल्ली में 15 सितंबर, 2009 को आयोजित की गई थी।

(छ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना के 150वें वर्ष पर समारोह आयोजन समिति की पहली बैठक सचिव (सी) की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 8 अक्तूबर, 2009 को आयोजित की गई थी।

(ज) सचिव(सी), संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली के चेम्बर में 15 दिसंबर, 2009 को सांस्कृतिक अभिलेख सर्जक एजेंसी के भवनों का पुनरुद्धार और मरम्मत करने और राष्ट्रमण्डलों के लिए अनेक कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने संबंधी बैठक आयोजित की गई थी।

2. डॉ0 मीना गौतम, उप निदेशक, अभिलेखागार ने निम्नलिखित बैठकों / प्रशिक्षणों / कार्यशालाओं में भाग लियाः

(क) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में 1 मई, 2009 को ''सूचना का अधिकार'' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(ख) वृंदावन अनुसंधान संस्थान की सामान्य परिषद की बैठक वृंदावन में 23 मई, 2009 को आयोजित की गई।

(ग) राष्ट्रीय संग्रहालय के 'प्रबंधन बोर्ड की बैठक' नई दिल्ली में 16 जून, 2009 को आयोजित की गई।

(घ) शास्त्री भवन, नई दिल्ली में 16 जून, 2009 को ''इंडो–स्पैनिश सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम बैठक'' का आयोजन किया गया।

(ड.) संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय की अध्यक्षता में शास्त्री भवन, नई दिल्ली में 28 जुलाई, 2009 को ''चीन में भारतीय वर्ष'' विषय पर एक बैठक का आयोजन किया गया।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Committees and Conferences:

21.6 The Director General of Archives and Senior Officers attended the following meetings during the period under report:-

1. Sh. SMR Baqar, Director General of Archives (I/C), attended the following meetings:

(a) He along with Dr. Meena Gautam, Deputy Director of Archives and Sh. N.S. Mani, Microphotographist attended a special meeting of the Visva Bharati University held on 19th-20th April, 2009 at Shanti Niketan.

(b) He along with Dr. Meena Gautam, Deputy Director of Archives attended the SWARBICA meeting held on 5th-7th May, 2009 at Tehran.

(c) Management Committee Meeting of the project entitled "Dictionary of Martyrs: India's Freedom Struggle (1857-1947)" of the Indian Council of Historical Research held on 11th May, 2009 at New Delhi.

(d) The 36th Annual General Meeting of the Indian Institute of Advanced Study, Shimla held on 27th May, 2009 at New Delhi.

(e) The 60th General Meeting of the Indian Council of Historical Research held on 28th July, 2009 in New Delhi.

(f) The 2nd Meeting of the Expert Committee under the Scheme for Setting up, Promotion and Strengthening of Regional and Local Museums for the financial year 2009-2010 under the Ministry of Culture held on 15th September, 2009 at New Delhi.

(g) The 1st Meeting of the Organising Committee for Celebration of 150th year of founding of Archaeological Survey of India, held on 8th October, 2009 in New Delhi under the Chairmanship of Secretary(C).

(h) The meeting regarding renovation and face-lifting of buildings of the cultural records creating agency and for finalising a calendar of events for Commonwealth Games held on 15th December, 2009 in the chamber of the Secretary(C), Ministry of Culture, New Delhi.

2. Dr. Meena Gautam, Deputy Director of Archives attended the following meetings/ trainings/ workshops:

(a) A workshop on "Right to Information" held on 1st May, 2009 at Institute of Secretariat Training & Management, New Delhi.

(b) A General Council Meeting of the Vrindavan Research Institute held on 23rd May, 2009 at Vrindavan.

(c) "Board of Management Meeting" of the National Museum held on 16th June, 2009 at New Delhi.

(d) "Indo-Spanish Cultural Exchange Programme Meeting" held on 16th June, 2009 at Shastri Bhawan, New Delhi.

(e) A meeting on "Year of India in China" under the Chairmanship of Joint Secretary, Ministry of Culture held on 28th July, 2009 at Shastri Bhawan, New Delhi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली में 26 अगस्त, 2009 को ''संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति के उप–समूह'' की एक बैठक का आयोजन किया गया।

(छ) चेन्नई में 1 सितंबर, 2009 को तंजावुर महाराजा सेरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय सोसायटी के गवर्नरों के बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई।

(ज) अमृता विद्यालयम स्कूल, साकेत, नई दिल्ली में 12 सितंबर, 2009 को सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण और इंडक्शन कार्यक्रमों के भागीदारों के लिए ''सामाजिक शिक्षा में अभिलेखगार'' विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया।

(झ) उन्होंने तथा श्री एन.एस. मानी, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट ने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान में 14–15 सितंबर, 2009 को आयोजित 'ज्ञान प्रबंधन' पर एक प्रशिक्षण में भाग लिया।

(ञ) उन्होंने श्री एस. फरीद अहमद, अभिलेखागार के साथ पीएचडी चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली में 23 अक्तूबर, 2009 को आयोजित ''दस्तावेजों का अभिलेखीकरण'' विषय पर एक कार्यशाला में भाग लिया।

(ट) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की 61वीं आम बैठक नई दिल्ली में 4 नवंबर, 2009 को आयोजित की गई।

(ठ) वृंदावन अनुसंधान संस्थान की सामान्य और शासी परिषद की बैठक वृंदावन में 24 नवंबर, 2009 को आयोजित की गई।

3. श्रीमती सुनीता कालरा, सहायक निदेशक, अभिलेखागार ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया:

(क) उन्होंने श्री जगमोहन सिंह, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट के साथ गुड़गांव में 6–8 अप्रैल, 2009 को आयोजित ''दृश्य–श्रव्य अनुसंधान देखभाल और प्रबंधन'' पर एक कार्यशाला में भाग लिया।

(ख) शास्त्री भवन, नई दिल्ली में 9 जुलाई, 2009 को राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की ''परामर्शी समिति की बैठक'' का आयोजन किया गया।

4. डॉ0 प्रमोद मेहता, सहायक निदेशक, अभिलेखागार ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया:

(क) दिनांक 27 जुलाई, 2009 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार जांच और मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई।

(ख) राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में 25 सितंबर, 2009 को राष्ट्रीय जांच और मूल्यांकन समिति की बैठक में भाग लिया।

(ग) जेएनयू, नई दिल्ली में 23 दिसंबर, 2009 को समकालिक इतिहास पर अभिलेखागार परामर्शी समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी।

5. श्री राजेश वर्मा, सहायक निदेशक, अभिलेखागार ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया:

(क) उन्होंने श्रीमती संतोष त्यागी, सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी के साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय, लोदी रोड, नई दिल्ली में 29 मई, 2009 को ''व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य'' पर राष्ट्रीय फिल्म और पुस्तक प्रदर्शनी में भाग लिया।

(ख) उन्होंने श्रीमती संतोष त्यागी, सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी के साथ देहरादून में 3–5 सितंबर, 2009 को चौथे केन्द्रीय सरकार पुस्तकालय एसोसिएशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

(f) A meeting on "Sub-Group of Joint Cadre Review Committee" held on 26th August, 2009 at University Grants Commission, New Delhi.

(g) A meeting of the Board of Governors of the Thanjavur Maharaja Serfoji's Sarasvati Mahal Library Society held on 1st September, 2009 at Chennai.

(h) Delivered a lecture on "Archives in Social Education" to the participants of the in-service training and induction programmes for social science teachers held on 12th September, 2009 at Amrita Vidyalayam School, Saket, New Delhi.

(i) She along with Shri N.S. Mani, Microphotographist attended a training on "Knowledge Management" held on 14th-15th September, 2009 at the Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi.

(j) She along with Shri S. Farid Ahmad, Archivist attended a workshop on "Archiving of Documents: Importance and opportunities for Business and Government", held on 23rd October, 2009 at PHD Chamber of Commerce and Industry, New Delhi.

(k) The 61st General Meeting of the Indian Council of Historical Research held on 4th November, 2009 at New Delhi.

(l) The General and Governing Council meetings of the Vrindavan Research Institute held on 24th November, 2009 at Vrindavan.

3. Smt. Sunita Kalra, Assistant Director of Archives attended the following meetings:

(a) She along with Sh. Jagmohan Singh, Microphotographist attended a workshop on "Care and Management of Audio Visual Research" held on 6th-8th April, 2009 at Gurgaon.

(b) "Advisory Committee Meeting" of the National Film Archive of India held on 9th July, 2009 at Shastri Bhawan, New Delhi.

4. Dr. Pramod Mehra, Assistant Director of Archives attended the following meetings:

(a) A meeting of the National Screening and Evaluation Committee of Archaeological Survey of India held on 27th July, 2009 at New Delhi.

(b) The National Screening and Evaluation Committee meeting held on 25th September, 2009 at Archaeological Survey of India, New Delhi.

(c) A meeting of the Advisory Committee of the Archives on Contemporary History held on 23rd December, 2009 at JNU, New Delhi.

5. Shri Rajesh Verma, Assistant Director of Archives attended the following meetings:

(a) He along with Smt. Santosh Tyagi, Assistant Library Information Officer attended a National Film and Book Exhibition on "Occasional Safety and Health" held on 29th May, 2009 at Ministry of Labour and Empowerment, Lodi Road, New Delhi.

(b) He along with Smt. Santosh Tyagi, Assistant Library Information Officer attended the 4th National Conference of Central Government Library Association held on 3rd - 5th September, 2009 at Dehra Dun.

(c) He along with Sh. Pawan Kumar, attended CPGRAM system held on 16th September, 2009 at the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, New Delhi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(ग) उन्होंने श्री पवन कुमार के साथ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली में 16 सितंबर, 2009 को सीपी ग्राम प्रणाली में भाग लिया।

(घ) उन्होंने श्रीमती संतोष त्यागी, सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी और श्री अखिलेश कुमार, एलआईए के साथ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 3 नवंबर, 2009 को ''मानवाधिकार को प्रोत्साहित करनाः एक सूचना संसाधन नेटवर्क की आवश्यकता'' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया।

6. श्री टी. हुसैन, सहायक निदेशक, अभिलेखागार ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लियाः

(क) उन्होंने श्री एम.एल. खुलबे, सहायक रसायनज्ञ के साथ नई दिल्ली में 24 जुलाई, 2009 को भारतीय मानक ब्यूरों की प्रबंधन और प्रणाली प्रभाग परिषद की 13वीं बैठक में भाग लिया।

(ख) उन्होंने श्री +3. राम स्वरूप, वैज्ञानिक अधिकारी के साथ नई दिल्ली में 17 सितंबर, 2009 को दस्तावेज और सूचना प्रभागीय समिति, एमएसडी की 12वीं बैठक में भाग लिया।

(ग) उन्होंने श्रीमती जया रविन्द्रन, अभिलेखविद् के साथ सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में 19–23 अक्तूबर, 2009 को ''सुशासन'' विषय पर प्रशिक्षण में भाग लिया।

21.7 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर के निम्नलिखित अधिकारियों ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान निम्नलिखित बैठकों में भाग लियाः

1. डॉ0 एल. दास मोहपात्र, अभिलेखविद् प्रभारी को विश्वविद्यालय परिसर में बीजू पटनायक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा 'बीजू पटनायक' पर अभिलेखागार की स्थापना संबंधी समिति में एक सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
2. डॉ0 एल. दास मोहपात्र को 12वें वित आयोग पुरस्कार के अंतर्गत डीवीडी और डिजिटल माइक्रोफिल्म फार्म दोनों में राज्य अभिलेखागार, भुवनेश्वर के अभिलेखों के डिजीटलीकरण को अंतिम रूप देने के लिए सदस्य के रूप में नामित किया गया था।

आगंतुकः

21.8 राष्ट्रीय अभिलेखागार में वर्ष 2009 के दौरान अनेक आगंतुक आए, जिनमें निम्नलिखित शामिल थेः

1. श्री के.एम. चंद्रशेखर, मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार ने 31 अक्तूबर, 2009 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने सचिव (सी), निदेशक(पीए), संस्कृति मंत्रालय और महानिदेशक, अभिलेखागार के साथ बैठक की, जिन्होंने उन्हें विभाग के विभिन्न कार्यकलापों और वर्तमान कार्यक्रमों जैसे डिजीटलीकरण, माइक्रोफिल्म बनाना, प्रकाशन, अभिलेखों का परिरक्षण तथा विभाग की भावी योजनाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अभिलेखागार पर एक प्रस्तुति दी गई। मंत्रिमंडल सचिव को विभिन्न प्रभागों का दौरा भी कराया गया।
2. डॉ0 ईब्राहिम मोहम्मद अलबातशान, भारत में सउदी कल्वरल अटैचे ने राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और महानिदेशक अभिलेखागार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
3. ले. जनरल प्रकाश मेमोन, एवीएसएम, वीएसएम, नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।
4. डॉ0 अबदोहामिद जियाई, निदेशक, ईरान कल्चर हाउस, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय अभिलेखागार का 4 मई, 2009 को दौरा किया। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की और समान हित वाले मुद्दों पर चर्चा की।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(d) He along with Smt. Santosh Tyagi, Assistant Library Information Officer and Sh. Akhilesh Kumar, LIA attended one day workshop on "Promoting Human Right: Need for an Information Resources Network" held on 3rd November, 2009 at India International Centre, New Delhi.

6. Shri T. Hussain, Assistant Director of Archives attended the following meetings:

(a) He along with Shri M.L. Khulbe, Assistant Chemist attended the 13th Meeting of Management and Systems Division Council of the Bureau of India Standards held on 24th July, 2009 at New Delhi.

(b) He along with Shri Ram Swaroop, Scientific Officer attended the 12th Meeting of the Documentation and Information Sectional Committee, MSD held on 17th September, 2009 at New Delhi.

(c) He along with Smt. Jaya Ravindran, Archivist attended a training on "Good Governance" held from 19th - 23rd October, 2009 at Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi.

21.7 The following officers of National Archives of India, Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar attended the following meetings during the period under report:-

1. Dr. L. Das Mohapatra, Archivist in-charge has been nominated as a member of the committee for setting up of Archives on 'Biju Pattnaik' by Biju Pattnaik University of Engineering and Technology in the University Premises.
2. Dr. L. Das Mohapatra was nominated as a member to finalize the digitization of records of Orissa State Archives, Bhubaneswar both in DVD and Digital Microfilm form under 12th Finance Commission Award.

Visitors:

21.8 The National Archives of India saw a stream of distinguished visitors during 2009. These included:

1. Shri K.M. Chandrasekhar, Cabinet Secretary, Government of India paid a visit to the National Archives of India on 31st October, 2009. He held a meeting with Secretary(C), Director (PA), Ministry of Culture and the Director General of Archives who apprised him with the various activities and ongoing programme of the Department like Digitization, Microfilming, Publications, Preservation of Records and the future plans of the Department. A presentation on National Archives of India was made on the occasion. The Cabinet Secretary was also escorted around the various divisions of the Department.
2. Dr. Ebraheem Mohamad Albatshan, Saudi Cultural Attache in India visited National Archives of India and held a meeting with Director General of Archives and other Senior Officers.
3. Lt. Gen. Prakash Memon, AVSM, VSM, National Defence College, New Delhi visited National Archives of India. He was shown around the Department.
4. Dr. Abdohamid Ziaei, Director, Iran Culture House, New Delhi visited National Archives of India on 4th May, 2009. He held a meeting with the Senior Officers of the Department and discussed on the matters of common interest.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

5. यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली से सेवा–निवृत्त सेना अधिकारियों के एक दल ने 5 मई, 2009 को विभाग का दौरा किया। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें विभाग का दौरा कराया।
6. सेवा–निवृत्त वाइस मार्शल, वी.के. दयालु, उपाध्यक्ष के सलाहकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 8 जून, 2009 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।
7. सांस्कृतिक परिषद का कार्यालय, इस्लामिक ईरान गणतंत्र, दूतावास, नई दिल्ली से डॉ0 करीम नजाफी, सांस्कृतिक पार्षद की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मण्डल ने 9 जून, 2009 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने विभाग के महानिदेशक, अभिलेखागार तथा अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की।
8. श्री संजय चक्रवर्ती, डीजीएम, बोश लिमिटेड ने 10 जुलाई, 2009 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने महानिदेशक, अभिलेखागार तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।
9. दिल्ली विकास प्राधिकरण से तीन अधिकारियों के एक दल ने 30 जुलाई, 2009 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।
10. निदेशक, फिल्म प्रभाग, मुंबई ने 10 अगस्त, 2009 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और विभाग के महानिदेशक, अभिलेखागार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।
11. श्री निरंजन बैनर्जी, विशेष अधिकारी, विश्व भारती, शांति निकेतन ने 20 अगस्त, 2009 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने विभाग के महानिदेशक अभिलेखागार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।
12. सुश्री देवीरूपा मित्रा, विशेष संवाददाता, इंडो–एशिया न्यूज सर्विस ने 22 सितंबर, 2009 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और उप निदेशक, अभिलेखागार के साथ बैठक की। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।
13. श्री क्वा चौंग गुआन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अभिलेखागार, सिंगापुर ने 26 नवंबर, 2009 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और विभाग के महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।
14. डॉ0 जे.एल. गोम्मान्स, एसोसिएट प्रोफेसर, लेईडेन विश्वविद्यालय, द नीदरलैंड ने 23 दिसंबर, 2009 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और भारत में डच अभिलेखों की पहुंच बढ़ाने संबंधी परियोजना के संबंध में विभाग के महानिदेशक, अभिलेखागार के साथ बैठक की। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।

21.9 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर में वर्ष 2009 के दौरान अनेक गणमान्य आंगतुकों ने दौरा किया। उनके नाम और कार्यालयों का पता नीचे दिया गया है:

1. प्रो0 अशोक कुमार पटनाईक, अध्यक्ष स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर।
2. डॉ0 राकेश बाटाबयाल, उप निदेशक, शैक्षिक स्टॉफ कालेज, जेएनयू, नई दिल्ली।
3. डॉ0 गौराहरि दास, महाप्रबंधक, संवाद, भुवनेश्वर।
4. डॉ0 जतिन्द्र कुमार नायक, रीडर स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर।

5. A team of Retd. Army officers from the United Service Institute, New Delhi visited the Department on 5th May, 2009. They held a meeting with Senior Officers of the Department and shown them around the Department.

6. Retd. Air Vice Marshal, V.K. Dayalu, advisor to Vice Chairman, Delhi Development Authority visited National Archives of India on 8th June, 2009. He was shown around the Department.

7. A team of delegation from the Office of the Cultural Councillor, Embassy of the Islamic Republic of Iran, New Delhi headed by Dr. Karim Najafi, Cultural Councillor visited National Archives of India on 9th June, 2009. They held a meeting with Director General of Archives and other Senior Officers of the Department.

8. Sh. Sanjay Chakravarty, DGM, BOSCH Ltd. visited National Archives of India on 10th July, 2009. He held a meeting with Director General of Archives and other Senior Officers of the Department. He was shown around the Department.

9. A team of three officials from Delhi Development Authorities visited National Archives of India on 30th July, 2009. They were shown around the Department.

10. Director, Films Division, Mumbai visited National Archives of India on 10th August, 2009 and held a meeting with Director General of Archives and other Senior Officers of the Department. He was shown around the Department.

11. Shri Nilanjan Banerjee, Special Officer, Visva-Bharati, Shantiniketan visited National Archives of India on 20th August, 2009. He held a meeting with Director General of Archives and other Senior Officers of the Department. He was shown around the Department.

12. Ms. Devirupa Mitra, Special Correspondent, Indo-Asian News Service visited National Archives of India on 22nd September, 2009 and held a meeting with Deputy Director of Archives. She was shown around the Department.

13. Mr. Kwa Chong Guan, Chairman, National Archives of Singapore paid a visit to National Archives of India on 26th November, 2009 and held a meeting with Director General of Archives and other Senior Officers of the Department. He was shown around the Department.

14. Dr. Jos J.L. Gommans, Associate Professor, Leiden University, The Netherlands paid a visit to National Archives of India on 23rd December, 2009 and held a meeting with Director General of Archives and other Senior Officers of the Department in connection with a project for increasing accessibility of Dutch records in India. He was shown around the Department.

21.9 The National Archives of India, Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar saw a stream of distinguished visitors during 2009. Their name and address to the offices are given below:

1. Prof. Ashok Kumar Patnaik, Head of the P.G. Department of History, Utkal University, Bhubaneswar.
2. Dr. Rakesh Batabyal, Deputy Director, Academic Staff College, J.N.U., New Delhi.
3. Dr. Gourahari Das, General Manager, Sambad, Bhubaneswar.
4. Dr. Jatindra Kumar Nayak, Reader P.G. Department of English, Utkal University, Bhubaneswar.

राष्ट्रीय अभिलेखागार

सार्वजनिक संबंध:

21.10 रिपोर्ट की अवधि के दौरान निम्नलिखित जन संपर्क कार्यकलाप आयोजित किए गए:

1. राष्ट्रीय अभिलेखागार और ब्रिटिश लाइब्रेरी के बीच आदान–प्रदान करार के नवीकरण के संबंध में गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से प्राप्त अनुमोदित प्रारूप करार को एमओसी भेजा गया था ताकि उसे आगे विधि और न्याय मंत्रालय को भेजा जा सके। राष्ट्रीय अभिलेखागार और ब्रिटिश पुस्तकालय के बीच समझौता–ज्ञापन का अनुमोदित प्रारूप ब्रिटिश पुस्तकालय को सुधार के लिए भेजा गया था।
2. सीसीटीवी को 8 जून, 2009 को राष्ट्रीय अभिलेखागार पर वृत्तचित्र फिल्माने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं।
3. ''भारत में अभिलेखागार'' पर प्रकाशन के लिए सामग्री उपलब्ध कराने हेतु सभी राज्यों / संघ शासित क्षेत्र के अभिलेखागारों को परिपत्र जारी किए गए थे।
4. इंडो–कुवैत शैक्षणिक आदान–प्रदान कार्यक्रम (2009–2011) पर टिप्पणियां तथा इंडो–सउदी अरब समझौता–ज्ञापन संस्कृति मंत्रालय को भेजा गया था।
5. दिल्ली में स्कूलों के प्रधानाचार्यों तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार के निकाय सदस्यों के साथ 7 अगस्त, 2009 को राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में एक परस्पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था।
6. राष्ट्रीय अभिलेखागार में पदों की संरचना तथा संवर्ग भर्ती नियमों, कर्तव्यों की प्रकृति, अर्हता और संवर्धन अवसरों का ब्यौरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा गया था।
7. राष्ट्रीय अभिलेखागार पर एक वृत्तचित्र बनाने के लिए फिल्म प्रभाग की स्थापना की गई थी।

सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम:

21.11 वर्ष 2009 के दौरान, राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा संस्कृति मंत्रालय के निर्देशानुसार निम्नलिखित सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया था और रिपोर्टें मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थीं:

1. भारत–चीन सीईपी (2010–2012) की टिप्पणियां संस्कृति मंत्रालय को भेजी गई थीं।
2. संस्कृति मंत्रालय से भारत– कोरिया सीईपी (2009–2012) की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी।

अन्य:

21.12 राष्ट्रीय अभिलेखागार का संस्थागत अंशदान शुल्क राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद (आईसीए); फ्रांस; राष्ट्रमण्डल अभिलेखविद् तथा अभिलेख प्रबंधक एसोसिएशन (एसीएआरएम), लंदन तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद की दक्षिण–पश्चिम एशियाई क्षेत्रीय शाखा (एसडब्ल्यूएआरबीआईसीए), कोलंबो को भेजा गया है।

अतिरिक्त सूचना:

21.13 रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलाप शुरू किए गए थे:

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Public Relations:

21.10 During the period under report following Public Relations activities were held:

1. Approved draft agreement obtained from Ministry of Home Affairs and Ministry of External Affairs regarding revival of exchange agreement between National Archives of India and British Library was forwarded to MOC for onward submission to Ministry of Law and Justice. The approved draft MOU between National Archives of India and British Library was forwarded to the British Library for ratification.
2. Necessary facilities were provided to CCTV for shooting documentary film on National Archives of India held on 8th June, 2009.
3. Circulars were issued to all the State/ UT Archives, requesting materials for the publication on "Archives in India".
4. Comments for Indo-Kuwait Educational Exchange Programme (2009-2011) and Indo-Saudi Arabia Memorandum of Understanding were forwarded to Ministry of Culture.
5. An interactive session with the Principals of Schools in Delhi and the faculty members of National Archives of India was held on 7th August, 2009 at National Archives of India, New Delhi.
6. Post structures alongwith details of cadre recruitment rules, nature of duties, qualifications and promotion avenues of the posts in the National Archives of India was forwarded to University Grand Commission.
7. Films Division was commissioned to produce a documentary on National Archives of India.

Cultural Exchange Programme:

21.11 During the year 2009, the following Cultural Exchange Programmes were finalized by the National Archives of India as per directive of the Ministry of Culture and the reports were submitted to the Ministry:

1. Comments for Indo-China CEP (2010-2012) were forwarded to Ministry of Culture.
2. Finalized Indo-Korea CEP (2009-2012) were received from the Ministry of Culture.

Others:

21.12 Institutional Subscription fees of the National Archives have been forwarded to International Council on Archives (ICA), France; Association of Commonwealth Archivists and Records Managers (ACARM), London and South-West Asian Regional Branch of the International Council on Archives (SWARBICA), Colombo.

Additional Information:

21.13 The following important activities were undertaken in National Archives of India during the period under report:

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

1. एनेक्सी मुख्य भवन में पीआर–I; पीआर– II और डब्ल्यूएस अनुभागों द्वारा किए गए कुछ मुख्य कार्य हैं:
   - (क) राष्ट्रीय अभिलेखागार के मुख्य भवन में डि–एसिडीफिकेशन कक्ष में डि–एसिडीफिकेशन प्लेटफार्म का निर्माण किया गया।
   - (ख) एनेक्सी भवन के 5वें तल पर एल्यूमिनियम खिड़कियां लगाई गईं।
   - (ग) एनेक्सी भवन में पुस्तकालय और प्रदर्शनी अनुभागों के फर्श पर विट्रिफाइड टाइलें लगाई गईं।
   - (घ) मुख्य भवन में वाटर कूलर और विविध कार्य की फिटिंग के लिए क्षेत्र में जीआई पाइप लगाई गई।
   - (ङ.) मुख्य भवन में कार्यालय के आधुनिकीकरण के लिए शेष इलेक्ट्रिकल कार्य पूरा किया गया।
   - (च) एनेक्सी भवन में कूलिंग टावर्स (550 टीआर एसी संयंत्रों) को बदलने से संबंधित शेष कार्य पूरा किया गया।
   - (छ) सीपीडब्ल्यूडी एनेक्सी भवन में दो ट्राने मेक पिलर (550 टीआर एसी संयंत्रों) का मौजूदा विश्लेषण कार्य कराया गया।

2. उपर्युक्त के अलावा, अवधि के दौरान सार्वजनिक अभिलेखों के परिरक्षण के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए:
   - (क) 10,171 शीटों के अभिलेखों को सीधा किया गया।
   - (ख) 4,859 शीटों की अभिरक्षा की गई।
   - (ग) 212 खण्डों, 234 पुस्तकों, 4,157 विविध मदों की सिलाई की गई।
   - (घ) 199 खण्डों, 221 पुस्तकों, 3,354 विविध मदों पर जिल्द चढ़ाई गई।
   - (ङ.) टिश्यू पेपर सहित 10,365 शीटों की मरम्मत की गई।
   - (च) 86,784 शीटों और 44 मानचित्रों की लेमिनेशन (सोल्वेंट और मशीन) (अर्थात् टी पी और सी ए फॉयल के साथ मरम्मत) की गई।
   - (छ) 7,957 बंडलों की एयर क्लिनिंग की गई और 12 चक्रों का फूमिगेशन किया गया।

3. रेप्रोग्राफी प्रभाग ने निम्नलिखित उपकरण खरीदे:
   - (क) एक रिकोह फोटोकॉपियर मशीन
   - (ख) एक थर्मो हाइग्रोग्राफ उपकरण
   - (ग) एक निकोन डी–90 डिजीटल एसएलआर कैमरा तथा सहायक उपकरण तथा एक एचपी 8758 प्रोफेशनल कलर फोटो प्रिंटर।

4. चल रहे कार्यकलापों के लिए थर्मो–हाइड्रोग्राफ उपकरण खरीदे गए और उन्हें सीआरएल तापमान और सापेक्ष आर्द्रता की सतत निगरानी करने के लिए स्टैक क्षेत्रों में स्थापित किया गया।

5. अनुसंधान कक्ष, राष्ट्रीय अभिलेखागार:
   - (क) 658 भारतीय विद्वानों तथा 126 विदेशी विद्वानों कुल 784 विद्वानों का नया पंजीकरण किया गया है।
   - (ख) अनुसंधान विद्वानों द्वारा 36,835 अभिलेखों / फाइलों की मांग की गई।
   - (ग) अनुसंधान विद्वानों / व्यक्तियों को अभिलेखों की 78,421 फोटो प्रतियों की आपूर्ति की गई थी।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

1. Some of the major works executed by the Pr-I, Pr-II and WS Sections in the Annexe Main Building are:

(a) Construction of de-acidification platform in De-acidification room in main building of National Archives of India.

(b) Providing & Fixing of Alluminium Windows at 5th floor of Annexe Building.

(c) Providing & fixing of vitrified tiles on the floor of Library & Exhibition Sections in Annexe Building.

(d) Providing & fixing of G.I. Pipe in an area for fitting of water cooler & misc. work in Main Building.

(e) Completed the remaining electrical work for office modernisation at main building.

(f) Completed the remaining work regarding replacement of cooling towers (550 TR AC plants) at Annexe Building.

(g) The work of eddy current analysis of utility two Nos. Trane make chiller (550 TR AC plants) at Annexe Building carried out by CPWD.

2. In addition to the above, the following items done for preservation of public records during the period:

(a) Flattening of records of 10,171 sheets.

(b) Guarding of 4,859 sheets.

(c) Stitching of 212 vols., 234 books, 4,157 misc. items.

(d) Binding of 199 vols., 221 books, 3,354 misc. items.

(e) Repair of 10,365 sheets with tissue paper.

(f) Lamination (solvent & machine) (i.e. repair with T.P. & C.A. foil) of 86,784 sheets & 44 maps.

(g) Air Cleaning of 7,957 bundles and fumigation of 12 cycles.

3. The Reprography Division purchased the following equipments:

(a) One Ricoh Photocopier Machine.

(b) One Thermo Hygrograph Equipment.

(c) One Nikon D-90 Digital SLR Camera along with accessories and one HP 8758 Professional Colour Photo Printer.

4. Under development activities thermo-hydrograph equipments were purchased and installed by C.R.L. Section in the stack areas for constant monitoring of temperature and relative humidity.

5. Research Room, National Archives of India:

(a) New Registration of 658 Indian scholars and 126 foreign scholars, total 784 scholars has been done.

(b) 36,835 records/ files requisition by the research scholars.

(c) 78,421 photo copies of the records were supplied to research scholars/ individuals.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(घ) अनुसंधान विद्वानों / व्यक्तियों द्वारा 4,474 दौरे किए गए।

21.14 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, पुड्डुचेरी की कुछ अतिरिक्त सूचना नीचे दी गई है:

1. रिपोर्ट की अवधि के दौरान विद्वानों और अन्य द्वारा अभिलेखों पर 169 खोज मामले और 1300 दौरों में भाग लिया गया। इसके अलावा, 30,954/– रुपए के सृजित राजस्व सरकारी खाते में जमा कराया गया था।

2. 24 अनुसंधान विद्वानों ने अनुसंधान सुविधाओं का लाभ उठाया। 400 प्रश्नों के उत्तर दिए गए और अनुसंधान विद्वानों / व्यक्तियों को अभिलेख केन्द्र में रखे अभिलेखों के अभिलेखों से 3,143 फोटोप्रतियां प्रदान की गईं।

21.15 रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलाप शुरू किए गए थे:

1. स्थापना अनुभाग:

(क) कार्यात्मक भवनों का निर्माण; भूतल में 50% कॉलम / कुसी क्षेत्र तथा पिलर बनाए गए।

2. अनुसंधान कक्ष:

(क) अनुसंधान विद्वानों द्वारा दौरों की संख्या: अनुसंधान विद्वानों द्वारा 30 दौरे किए गए।

(ख) अनुसंधान विद्वानों द्वारा मांगे गए अभिलेखों की संख्या: 44 फाइलें और 9 पुस्तकें / मांग–सूची की आपूर्ति की गई।

(ग) भारत और विदेशों से जाने–माने विद्वानों / इतिहासकारों के नाम और पते, जिन्होंने अनुसंधान सुविधाओं का लाभ उठाया था।

(i) डॉ0 एस.आर. दास, व्याख्याता; ओटानी विश्वविद्यालय, टोक्यो, जापान।

(ii) डॉ0 क्रिसचन स्ट्रूमपेल, अनुसंधान फेलो, मैक्स–प्लैंक सामाजिक मानव–विज्ञान संस्थान, जर्मनी।

(iii) डॉ0 ताईशी सिद्धा, अनुसंधान फेलो, ओटानी विश्वविद्यालय, टोक्यो, जापान।

(iv) डॉ0 कियोशी सुगीमोटो, व्याख्याता, तोकई विश्वविद्यालय, जापान।

(v) डॉ0 कैलाश चन्द्र दास, रीडर, इतिहास, सरकारी कालेज, बेरहेमपुर, गंजम, उड़ीसा।

(vi) प्रो0 अशोक कुमार पटनाईक, अध्यक्ष, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर।

3. परिरक्षण / संरक्षण:

(क) इन्टैक, भुवनेश्वर द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्यालय, कोलकाता की 14,384 शीटों का डि–एसिडिफिकेशन, डबल साइडेड लाइनिंग, गार्डिंग, फ्लैटनिंग और स्टिचिंग की गई।

(ख) इन्टैक, भुवनेश्वर द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्यालय, कोलकाता के लिए संरक्षण से पूर्व 1,295 शीटों की डिजीटल इमेजेस सहित 4 सीडी तथा संरक्षण के बाद 599 शीटों का संरक्षण किया गया।

4. निम्नलिखित आठ अभिलेख सर्जक एजेंसियों / संस्थानों, जिन्होंने अभिलेख आधानपात्रों, राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के सरकारी पुस्तकालयों और संग्रहालयों को वित्तीय सहायता की भारत सरकार की

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(d) 4,474 visits were made by the research scholars/ individuals.

21.14 Some additional information of National Archives of India, Records Centre, Puducherry are given below:

1. 169 Search Cases on records and as many as 1,300 visits made by the scholars and others were attended to during the period under the report. Besides the revenue generated amounting to Rs. 30,954/- was remitted to the Government account.
2. 24 Research Scholars availed themselves of the research facilities. 400 queries were attended to and 3,143 photocopies from the records of the Records Centre archival holdings were supplied to research scholars/ individuals.

21.15 The following important activities were undertaken in National Archives of India, Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar during the period under report:

1. Establishment Section:

(a) Construction of functional building: 50% of columns/ plinth and pillars in ground floor were casted.

2. Research Room:

(a) Number of visits by the research scholars: 30 visits were made by the research scholars.

(b) Number of records requisitioned by research scholars: 44 files and 9 books/ catalogues were supplied.

(c) Names & addresses of renowned scholars/ historians from India and abroad who availed of research facilities:

(i) Dr. S.R. Dash, Lecturer, Otani University, Tokyo, Japan.

(ii) Dr. Christian Strumpell, Research Fellow, Max-Planck Institute for Social Anthropology, Germany.

(iii) Dr. Taishi Sidha, Research Fellow, Otani University, Tokyo, Japan.

(iv) Dr. Kiyoshi Sugimoto, Lecturer, Tokai University, Japan.

(v) Dr. Kailash Chandra Dash, Reader in History, Government College, Berhampur, Ganjam, Orissa.

(vi) Prof. Ashok Kumar Pattnaik, Head of the P.G. Department of History, Utkal University, Bhubaneswar.

3. Preservation/ Conservation:

(a) De-acidification, double sided lining, guarding, flattening and stitching of 14,384 sheets of the office of Archaeological Survey of India, Kolkata were made by INTACH, Bhubaneswar.

(b) 4 CDs containing the digital images of 1,295 sheets before conservation and 599 sheets after conservation for the office of Archaeological Survey of India, Kolkata have been made by INTACH, Bhubaneswar.

4. Inspections were made to the following eight records creating agencies/ institutions who received grants under the Government of India scheme of financial assistance to archival repositories,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त किया था, का निरीक्षण किया गया:

(क) केदारनाथ गवेषणा प्रतिष्ठान, भुवनेश्वर (केदारनाथ गवेषणा प्रतिष्ठान, भुवनेश्वर की एक प्रकाशन प्रति राष्ट्रीय अभिलेखागार मुख्यालय को भेज दी गई है)।

(ख) उत्कल साहित्य समाज, श्री रामचन्द्र भवन, कटक।

(ग) ग्रामीण युवा और आर्थिक विकास, सुबालया।

(घ) पल्ली विकास युवा संगठन, डुम्बरपल्ली, बारगढ़।

(ड.) श्रीमा युवक संघ, फाटा टीकिरिया, बारगढ़।

(च) उत्कल विश्वविद्यालय, वाणी विहार, भुवनेश्वर।

(छ) उड़ीसा समुद्री और दक्षिण–पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान, भुवनेश्वर।

(ज) दशरथी पटनाईक पुस्तकालय ट्रस्ट, नयागढ़, उड़ीसा।

21.16 राष्ट्रीय अभिलेखागार जनता में अभिलेखों के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए पहले से ही विभिन्न विषयों/शीर्षकों पर सार्वजनिक अभिलेखों तथा निजी कागजातों, फोटोग्राफों, पुस्तकों आदि का प्रदर्शन कर रहा है।

तथापि, परस्पर चर्चा कार्यक्रमों, पुस्तिकाओं, इश्तहारों, पोस्टरों, वृत्तचित्रों आदि के जरिए जनता, छात्रों, विद्वानों, व्यक्तियों में अभिलेख संबंधी हित/जागरुकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागारों की प्रदर्शनी इकाई द्वारा और अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Government libraries and museums of States/ Union territories:

(a) Kedarnath Gavesana Pratisthan, Bhubaneswar (one publication copy of Kedarnath Gavesana Pratisthan, Bhubaneswar has been forwarded to National Archives of India headquarters).

(b) Utkal Sahitya Samaj, Sri Ram Chandra Bhawan, Cuttack.

(c) Rural Youth and Economic Development, Subalaya.

(d) Palli Vikash Yuva Sangathan, Dumberpalli, Bargarh.

(e) Srima Yuvak Sangha, Phata Tikiria, Bargarh.

(f) Utkal University, Vani Vihar, Bhubaneswar.

(g) Orissa Institute of Maritme & South-East Asian Studies, Bhubaneswar.

(h) Dasarathi Patniak Library Trust, Nayagarh, Orissa.

21.16 National Archives of India is already holding/ displaying the public records as well as private papers, photographs, books etc. on different subjects/ topics for creating archival awareness among the masses.

However, more efforts are required by the Exhibition Unit of National Archives of India to create archival interest/ awareness among the masses, students, scholars, individuals through interactive programmes, brochures, pamphlets, posters, documentary films, etc.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुलग्नक I

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन पर सूचना प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची

<u>क. मंत्रालय / विभाग / कार्यालय</u>

कृषि मंत्रालय

1. केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

2. औषध विभाग, नई दिल्ली

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

3. वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली
4. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, नई दिल्ली

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

5. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली
6. डाक विभाग, नई दिल्ली
7. राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग), नई दिल्ली.

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

8. कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय, केरल और लक्षद्वीप, केरल

रक्षा मंत्रालय

9. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
10. वायु मुख्यालय, प्रचालन निदेशालय (एमआरपी), नई दिल्ली
11. रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रलेखन केन्द्र (डीईएसआईडीओसी), दिल्ली
12. उत्पादन विभाग (डीजीक्यूए) नई दिल्ली

वित्त मंत्रालय

13. विनिवेश विभाग, नई दिल्ली
14. आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली
15. राजस्व विभाग, नई दिल्ली
16. नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE-I

LIST OF RECORDS CREATING AGENCIES WHO HAVE FURNISHED INFORMATION ON THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC RECORDS ACT, 1993

A. Ministries/ Departments/ Offices

Ministry of Agriculture

1. Central Agmark Laboratory, Nagpur.

Ministry of Chemicals & Fertilizers

2. Department of Pharmaceuticals, New Delhi.

Ministry of Commerce and Industry

3. Department of Commerce, New Delhi.
4. Department of Industrial Policy & Promotion, New Delhi.

Ministry of Communication and Information Technology

5. Department of Information Technology, New Delhi.
6. Department of Posts, New Delhi.
7. National Informatics Centre (Department of Information Technology), New Delhi.

Ministry of Corporate Affairs

8. Office of Registrar of Companies, Kerala & Lakshadweep, Kerala.

Ministry of Defence

9. Ministry of Defence, New Delhi.
10. Air Headquarters, Directorate of Operations (MRP), New Delhi.
11. Defence Scientific Information & Documentation Centre (DESIDOC), Delhi.
12. Department of Production (DGQA), New Delhi.

Ministry of Finance

13. Department of Disinvestment, New Delhi.
14. Department of Economic Affairs, New Delhi.
15. Department of Revenue, New Delhi.
16. Office of the Salt Commissioner, Jaipur.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

17. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली
18. अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई

गृह मंत्रालय

19. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
20. महानिदेशालय का कार्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली
21. क्षेत्रीय परिषद सचिवालय, नई दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

22. उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

23. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली
24. सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली
25. राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे

श्रम और रोजगार मंत्रालय

26. श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली
27. खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद
28. श्रम कल्याण आयुक्त का कार्यालय, इलाहाबाद

खान मंत्रालय

29. भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर;
30. खान मंत्रालय, नई दिल्ली
31. राष्ट्रीय खान स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

32. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली
33. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली
34. सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली
35. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी

विद्युत मंत्रालय

36. विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली
37. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ministry of Health and Family Welfare

17. Department of Health and Family Welfare, New Delhi.
18. Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai.

Ministry of Home Affairs

19. Ministry of Home Affairs, New Delhi.
20. Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi.
21. Zonal Council Secretariat, New Delhi.

Ministry of Human Resource Development

22. Department of Higher Education, New Delhi.

Ministry of Information & Broadcasting

23. Directorate of Field Publicity, New Delhi.
24. Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.
25. National Film Archive of India, Pune.

Ministry of Labour and Employment

26. Ministry of Labour and Employment, New Delhi.
27. Directorate General of Mines Safety, Dhanbad.
28. Office of the Labour Welfare Commissioner, Allahabad.

Ministry of Mines

29. Indian Bureau of Mines, Nagpur.
30. Ministry of Mines, New Delhi.
31. National Institute of Miners' Health, Nagpur.

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

32. Department of Administrative Reforms & Public Grievances, New Delhi.
33. Department of Personnel & Training, New Delhi.
34. Institute of Secretariat Training & Management (Department of Personnel & Training), New Delhi.
35. Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie.

Ministry of Power

36. Ministry of Power, New Delhi.
37. Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

रेल मंत्रालय

38. उत्तरी रेलवे, मुख्यालय, नई दिल्ली
39. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
40. अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ;

ग्रामीण विकास मंत्रालय

41. भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

42. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली

शहरी विकास मंत्रालय

43. शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

जल संसाधन मंत्रालय

44. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली
45. केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली

डाक विभाग

46. मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, असम मण्डल, गुवाहाटी
47. मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, हिमाचल प्रदेश मण्डल, शिमला;
48. मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, हरियाणा मण्डल, अम्बाला
49. मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, कर्नाटक मण्डल, बैंगलोर
50. मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, केरल मण्डल, तिरुवनंतपुरम
51. डाकघरों के अधीक्षक का कार्यालय, ईरिनजालाकुडा प्रभाग, ईरिनजालाकुडा
52. अधीक्षक का कार्यालय, केरल मण्डल स्टैम्प डिपो, कोच्चि;
53. डाकघरों के अधीक्षक का कार्यालय, मंजेरी प्रभाग, मंजेरी
54. डाकघरों के अधीक्षक का कार्यालय, तिरूर प्रभाग, तिरूर
55. डाकघरों के वरीष्ठ अधीक्षक का कार्यालय, त्रिशूर
56. अधीक्षक पोस्टल स्टोर डिपो, त्रिशूर

<u>ख. अन्य अभिलेख सर्जक एजेंसियां</u>

57. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
58. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ministry of Railways

38. Northern Railway, Headquarters, New Delhi.
39. Railway Board, New Delhi.
40. Research Designs & Standards Organisation, Lucknow.

Ministry of Rural Development

41. Department of Land Resources, New Delhi.

Ministry of Science and Technology

42. Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi.

Ministry of Urban Development

43. Ministry of Urban Development, New Delhi.

Ministry of Water Resources

44. Ministry of Water Resources, New Delhi.
45. Central Soil & Materials Research Station, New Delhi.

Department of Posts

46. Office of the Chief Postmaster General, Assam Circle, Guwahati.
47. Office of the Chief Postmaster General, H.P. Circle, Shimla.
48. Office of the Chief Postmaster General, Haryana Circle, Ambala.
49. Office of the Chief Postmaster General, Karnataka Circle, Bangalore.
50. Office of the Chief Postmaster General, Kerala Circle, Thiruvananthapuram.
51. Office of the Superintendent of Post Offices, Irinjalakuda Division, Irinjalakuda.
52. Office of the Superintendent Kerala Circle Stamp Depot, Kochi.
53. Office of the Superintendent of Posts Offices, Manjeri Division, Manjeri.
54. Office of the Superintendent of Post Offices, Tirur Division, Tirur.
55. Office of the Senior Superintendent of Post Offices, Thrissur Division, Thrissur.
56. Superintendent Postal Stores Depot, Thrissur.

B. Other Records Creating Agencies

57. Prime Minister's Office, New Delhi.
58. Vice President's Secretariat, New Delhi.
59. Planning Commission, New Delhi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

योजना आयोग

59. योजना आयोग, नई दिल्ली
60. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद;
61. परियोजना मूल्यांकन संगठन, बैंगलोर
62. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भुवनेश्वर;
63. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय शिमला;
64. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, तिरुवनंतपुरम
65. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (उत्तर रेलवे), चंडीगढ
66. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, कोलकाता
67. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, मुंबई

ग. <u>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / समितियां / कार्पोरेशन / सांविधिक निकाय आदि</u>

रक्षा मंत्रालय

68. भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद
69. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता
70. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा
71. मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई

खान मंत्रालय

72. खनिज अन्वेषण कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर

विद्युत मंत्रालय

73. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद (हरियाणा)
74. विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली
75. ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली
76. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश

रेल मंत्रालय

77. ईरकन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली

पोत परिवहन मंत्रालय

78. ड्रेडजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्नम
79. एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई
80. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा
81. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई
82. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

60. Project Evaluation Office, Ahmedabad.
61. Project Evaluation Organisation, Bangalore.
62. Project Evaluation Office, Bhubaneswar.
63. Project Evaluation Office, Shimla.
64. Project Evaluation Office, Thiruvananthapuram.
65. Regional Evaluation Office (NR), Chandigarh.
66. Regional Evaluation Office, Kolkata.
67. Regional Evaluation Office, Mumbai.

C. Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.

Ministry of Defence

68. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad.
69. Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata.
70. Goa Shipyard Limited, Goa.
71. Mazagon Dock Limited, Mumbai.

Ministry of Mines

72. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.

Ministry of Power

73. National Power Training Institute, Faridabad (Haryana).
74. Power Finance Corporation Limited, New Delhi.
75. Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi.
76. Tehri Hydro Development Corporation India Limited, Rishikesh.

Ministry of Railways

77. IRCON International Limited, New Delhi.

Ministry of Shipping

78. Dredging Corporation of India Limited, Visakhapatnam.
79. Ennore Port Limited, Chennai.
80. Inland Waterways Authority of India, Noida (U.P.).
81. Mumbai Port Trust, Mumbai.
82. Jawaharlal Nehru Port Trust, Mumbai.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

83. विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्नम

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

84. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली

वस्त्र मंत्रालय

85. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ

आदिवासी कार्य मंत्रालय

86. ट्राइफेड, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, नई दिल्ली

जल संसाधन मंत्रालय

87. बनसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा (म.प्र.)
88. बेतवा नदी बोर्ड, झांसी
89. ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
90. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे
91. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (म.प्र.)
92. राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली
93. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, नई दिल्ली
94. वैपकोस लिमिटेड, गुड़गांव (हरियाणा)।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

83. Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.

Ministry of Social Justice & Empowerment

84. National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation, New Delhi.

Ministry of Textiles

85. National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow.

Ministry of Tribal Affairs

86. TRIFED, Quality Control, Research & Development Centre, New Delhi.

Ministry of Water Resources

87. Bansagar Control Board, Rewa (M.P.).
88. Betwa River Board, Jhansi.
89. Brahmaputra Board, Guwahati.
90. Central Water & Power Research Station, Pune.
91. Narmada Control Authority, Indore (M.P.).
92. National Water Development Agency, New Delhi.
93. Upper Yamuna River Board, New Delhi.
94. WAPCOS Limited, Gurgaon (Haryana).

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुलग्नक-II

अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण करने संबंधी जून और दिसंबर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची

क. मंत्रालय / विभाग / कार्यालय

क्र. सं.	अभिलेख सर्जक एजेंसी का नाम	प्राप्त छमाही विवरणियों की संख्या
	कृषि मंत्रालय	
1.	केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर	1
	नागरिक विमानन मंत्रालय	
2.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली (उ.प्र.)	2
	नागरिक विमानन और पर्यटन मंत्रालय	
3.	प्रधान लेखा कार्यालय, नई दिल्ली	1
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
4.	वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली	1
5.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, नई दिल्ली	2
6.	आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली	2
	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
7.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली	1
8.	मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय (सी.जी. मण्डल), रायपुर	1
9.	मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय (केन्द्रीय क्षेत्र, केरल मण्डल), कोच्चि	2
10.	मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय (हिमाचल प्रदेश मण्डल), शिमला	2
	रक्षा मंत्रालय	
11.	रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	2
12.	सैन्य उड़ान योग्यता क्षेत्रीय केन्द्र, सुल्तानपुर (उ.प्र.)	1
	वित्त मंत्रालय	
13.	नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE-II

LIST OF RECORDS CREATING AGENCIES WHO HAVE FURNISHED HALF YEARLY RETURNS JUNE & DECEMBER ON RECORDING, INDEXING, REVIEWING AND WEEDING OF SEMI-CURRENT RECORDS

A. Ministries/ Departments/ Offices

Sr. No.	Name of records creating agencies	No. of Half Yearly Returns received
	Ministry of Agriculture	
1.	Central Agmark Laboratory, Nagpur.	1
	Ministry of Civil Aviation	
2.	Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Raebareli (U.P.).	2
	Ministry of Civil Aviation & Tourism	
3.	Principal Accounts Office, New Delhi.	1
	Ministry of Commerce and Industry	
4.	Department of Commerce, New Delhi.	1
5.	Department of Industrial Policy and Promotion, New Delhi.	2
6.	Directorate General of Supplies & Disposal, New Delhi.	2
	Ministry of Communication & Information Technology	
7.	Department of Information Technology, New Delhi.	1
8.	Office of the Chief Postmaster General (C.G. Circle), Raipur.	1
9.	Office of the Postmaster General (Central Region, Kerala Circle), Kochi.	2
10.	Office of the Chief Postmaster General (Himachal Pradesh Circle), Shimla.	2
	Ministry of Defence	
11.	Ministry of Defence, New Delhi.	2
12.	Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur (U.P.).	1
	Ministry of Finance	
13.	Office of the Salt Commissioner, Jaipur.	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

गृह मंत्रालय

14. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली 2
15. केन्द्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल, नई दिल्ली 2
16. महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली 2
17. महानिदेशालय, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, नई दिल्ली 2
18. रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय, नई दिल्ली 2
19. क्षेत्रीय परिषद सचिवालय, नई दिल्ली 2

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

20. उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली 1

श्रम और रोजगार मंत्रालय

21. श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली 1
22. श्रम कल्याण आयुक्त का कार्यालय, इलाहाबाद 1
23. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय (केन्द्रीय), कोचीन 2
24. लुधियाना व्यावसायिक विकलांग पुनर्वास केन्द्र, लुधियाना 2

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

25. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली 1
26. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी 1

रेल मंत्रालय

27. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली 2

पोत परिवहन मंत्रालय

28. लघु बंदरगाह सर्वेक्षण संगठन, नवी मुंबई 1

पोत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

29. मुख्य अभियंता और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर 2

वस्त्र मंत्रालय

30. पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता 1

जल संसाधन मंत्रालय

31. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली 1
32. केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली 1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ministry of Home Affairs		
14.	Ministry of Home Affairs, New Delhi.	2
15.	Central Industrial Security Force, New Delhi.	2
16.	Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi.	2
17.	Directorate General, Indo Tibetan Border Police, New Delhi.	2
18.	Office of the Registrar General, New Delhi.	2
19.	Zonal Council Secretariat, New Delhi.	2
Ministry of Human Resource Development		
20.	Department of Higher Education, New Delhi.	1
Ministry of Labour and Employment		
21.	Ministry of Labour & Employment, New Delhi.	1
22.	Office of the Labour Welfare Commissioner, Allahabad.	1
23.	Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Cochin.	2
24.	Vocational Rehabilitation Centre Handicapped Ludhiana, Ludhiana.	2
Ministry of Personnel, Pensions & Public Grievances		
25.	Department of Administrative Reforms & Public Grievances, New Delhi.	1
26.	Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie.	1
Ministry of Railways		
27.	Railway Board, New Delhi.	2
Ministry of Shipping		
28.	Minor Ports Survey Organisation, Navi Mumbai.	1
Ministry of Shipping, Road Transport and Highways		
29.	Office of the Chief Engineer & Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair.	2
Ministry of Textiles		
30.	Office of the Jute Commissioner, Kolkata.	1
Ministry of Water Resources		
31.	Ministry of Water Resources, New Delhi.	1
32.	Central Soil & Materials Research Station, New Delhi.	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

ख. अन्य अभिलेख सर्जक एजेंसियां

33.	प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली	2
34.	उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली;	2

ग. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/समितियां/कार्पोरेशन/सांविधिक निकाय आदि

रक्षा मंत्रालय

35.	भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद	2

खान और खनिज मंत्रालय

36.	खनिज अन्वेषण कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर	2

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

37.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई	1

विद्युत मंत्रालय

38.	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद (हरियाणा)	1

पोत परिवहन मंत्रालय

39.	एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई .	1
40.	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा (उ.प्र.)	1
41.	मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई	1
42.	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा	2
43.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई	2
44.	विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्नम	2

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

45.	जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बैंगलोर	2

आदिवासी कार्य मंत्रालय

46.	ट्राइफेड, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, नई दिल्ली	2

जल संसाधन मंत्रालय

47.	बनसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा (म.प्र.)	2

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

B. Other Records Creating Agencies

33.	Prime Minister's Office, New Delhi.	2
34.	Vice President's Secretariat, New Delhi.	2

C. Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.

Ministry of Defence		
35.	Bharat Dynamics Limited, Hyderabad.	2
Ministry of Mines and Minerals		
36.	Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.	2
Ministry of Petroleum and Natural Gas		
37.	Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai.	1
Ministry of Power		
38.	National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad (Haryana).	1
Ministry of Shipping		
39.	Ennore Port Limited, Chennai.	1
40.	Inland Waterways Authority of India, Noida (U.P.).	1
41.	Mazagon Dock Limited, Mumbai.	1
42.	Mormugao Port Trust, Goa.	2
43.	Mumbai Port Trust, Mumbai.	2
44.	Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.	2
Ministry of Science & Technology		
45.	Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.	2
Ministry of Tribal Affairs		
46.	TRIFED, Quality Control, Research & Development Centre, New Delhi.	2
Ministry of Water Resources		
47.	Bansagar Control Board, Rewa (M.P.).	2

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुलग्नक-III

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करने संबंधी जून और दिसंबर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची

क. मंत्रालय / विभाग / कार्यालय

क्र. सं.	अभिलेख सर्जक एजेंसी का नाम	प्राप्त छमाही विवरणियों की संख्या
	कृषि मंत्रालय	
1.	केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर	2
	नागरिक विमानन मंत्रालय	
2.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली (उ.प्र.)	2
3.	एयर इंडिया, नई दिल्ली	1
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
4.	वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली	1
5.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, नई दिल्ली	2
6.	आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली	1
	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
7.	डाक विभाग, नई दिल्ली	1
8.	सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली	1
	रक्षा मंत्रालय	
9.	सैन्य उड़ान योग्यता क्षेत्रीय केन्द्र, सुल्तानपुर (उ.प्र.)	1
10.	रक्षा मंत्रालय, डी (ओ एंड एम), नई दिल्ली	2
11.	वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (एस), रक्षा मंत्रालय (डीजीक्यूए), नई दिल्ली	1
	वित्त मंत्रालय	
12.	नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर	1
13.	भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय, महाराष्ट्र	2
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	
14.	अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE-III

LIST OF RECORDS CREATING AGENCIES WHO HAVE FURNISHED HALF YEARLY RETURNS JUNE & DECEMBER ON DOWNGRADING OF CLASSIFIED RECORDS

A. Ministries/ Departments/ Offices

Sr. No.	Name of records creating agencies	No. of Half Yearly Returns received
	Ministry of Agriculture	
1.	Central Agmark Laboratory, Nagpur.	2
	Ministry of Civil Aviation	
2.	Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Raebareli (U.P).	2
3.	Air India, New Delhi.	1
	Ministry of Commerce and Industry	
4.	Department of Commerce, New Delhi.	1
5.	Department of Industrial Policy and Promotion, New Delhi.	2
6.	Directorate General of Supplies & Disposals, New Delhi.	1
	Ministry of Communication & Information Technology	
7.	Department of Posts, New Delhi.	1
8.	Department of Information Technology, New Delhi.	1
	Ministry of Defence	
9.	Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur (U.P.).	1
10.	Ministry of Defence, D (O & M), New Delhi.	2
11.	Senior Quality Assurance Estt. (S), Ministry of Defence (DGQA), New Delhi.	1
	Ministry of Finance	
12.	Office of the Salt Commissioner, Jaipur.	1
13.	India Security Press, Maharashtra.	2
	Ministry of Health and Family Welfare	
14.	Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai.	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

गृह मंत्रालय		
15.	महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली	2
16.	रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय, नई दिल्ली	2
सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
17.	राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे	1
श्रम और रोजगार मंत्रालय		
18.	श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली	2
19.	श्रम और रोजगार मंत्रालय, इलाहाबाद	1
20.	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह श्रम न्यायालय, बैंगलोर	2
21.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्र) का कार्यालय, कोचीन	2
खान मंत्रालय		
22.	खान मंत्रालय, नई दिल्ली	1
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
23.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली	1
24.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी	1
विद्युत मंत्रालय		
25.	विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली	1
रेल मंत्रालय		
26.	रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली	2
पोत परिवहन मंत्रालय		
27.	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा (उ.प्र.)	1
28.	लघु बंदरगाह सर्वेक्षण संगठन, मुंबई	1
पोत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		
29.	मुख्य अभियंता और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर	2
वस्त्र मंत्रालय		
30.	पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ministry of Home Affairs

15.	Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi.	2
16.	Office of the Registrar General, New Delhi.	2

Ministry of Information & Broadcasting

17.	National Film Archive of India, Pune.	1

Ministry of Labour and Employment

18.	Ministry of Labour and Employment, New Delhi.	2
19.	Ministry of Labour and Employment, Allahabad.	1
20.	Central Government Industrial Tribunal Cum Labour Court, Bangalore.	2
21.	Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Cochin.	2

Ministry of Mines

22.	Ministry of Mines, New Delhi.	1

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

23.	Department of Administrative Reforms & Public Grievances, New Delhi.	1
24.	Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie.	1

Ministry of Power

25.	Ministry of Power, New Delhi.	1

Ministry of Railways

26.	Railway Board, New Delhi.	2

Ministry of Shipping

27.	Inland Waterways Authority of India, Noida (U.P.).	1
28.	Minor Ports Survey ORGANISATIONS, Mumbai.	1

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

29.	Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakhadweep Harbour Works, Port Blair.	2

Ministry of Textiles

30.	Office of the Jute Commissioner, Kolkata.	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

जल संसाधन मंत्रालय

31.	जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली	2

परमाणु ऊर्जा विभाग

32.	**परमाणु ईंधन परिसर, हैदराबाद**	2

विस्फोटक विभाग

33.	पेट्रोलियम और विस्फोट सुरक्षा संगठन (पीईएसओ), नागपुर	1

<u>ख. अन्य अभिलेख सर्जक एजेंसियां</u>

34.	**प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली**	2

<u>ग. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / समितियां / कार्पोरेशन / सांविधिक निकाय आदि</u>

रक्षा मंत्रालय

35.	भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद	1
36.	मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई	1

खान और खनिज मंत्रालय

37.	खनिज अन्वेषण कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर	1

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

38.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई	1

विद्युत मंत्रालय

39.	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, चंडीगढ़	1
40.	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेउ, फरीदाबाद (हरियाणा)	1
41.	विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली;	1
42.	ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली	1

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

43.	जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बैंगलोर	2

पोत परिवहन मंत्रालय

44.	एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई	1
45.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई	2
46.	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा	1
47.	विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्नम	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ministry of Water Resources		
31.	Ministry of Water Resources, New Delhi.	2
Department of Atomic Energy		
32.	Nuclear Fuel Complex, Hyderabad.	2
Department of Explosives		
33.	Petroleum and Explosives Safety ORGANISATIONS (PESO), Nagpur.	1
B.	**Other Records Creating Agencies**	
34.	Prime Minister's Office, New Delhi.	2
C.	**Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.**	
Ministry of Defence		
35.	Bharat Dynamics Limited, Hyderabad.	1
36.	Mazagon Dock Limited, Mumbai.	1
Ministry of Mines and Minerals		
37.	Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.	1
Ministry of Petroleum and Natural Gas		
38.	Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai.	1
Ministry of Power		
39.	Bhakra Beas Management Board, Chandigarh.	1
40.	National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad (Haryana).	1
41.	Power Finance Corporation Limited, New Delhi.	1
42.	Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi.	1
Ministry of Science and Technology		
43.	Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.	2
Ministry of Shipping		
44.	Ennore Port Limited, Chennai.	1
45.	Mumbai Port Trust, Mumbai.	2
46.	Mormugao Port Trust, Goa.	1
47.	Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

आदिवासी कार्य मंत्रालय

48.	ट्राइफेड, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, नई दिल्ली	2

जल संसाधन मंत्रालय

49.	बनसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा (म.प्र.)	2
50.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	1
51.	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली	2
52.	खनिज अन्वेषण कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर	1
53.	स्रदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वड़ोदरा	2
54.	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, नई दिल्ली	1
55.	वैपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ministry of Tribal Affairs

48.	TRIFED, Quality Control, Research & Development Centre, New Delhi.	2

Ministry of Water Resources

49.	Bansagar Control Board, Rewa (M.P.).	2
50.	Brahmaputra Board, Guwahati.	1
51.	National Water Development Agency, New Delhi.	2
52.	Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.	1
53.	Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.	2
54.	Upper Yamuna River Board, New Delhi.	1
55.	WAPCOS Limited, New Delhi.	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुलग्नक-IV

वर्ष 2009 पांच दिवसीय अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले अभिलेख अधिकारियों के नाम

क्र.सं.	अभिलेख अधिकारियों के नाम	प्रायोजक प्राधिकरण
1.	डा. गीता राव	अली यावर जंग राष्ट्रीय बधीर संस्थान, मुंबई
2.	श्री वी.के त्रिवेदी	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
3.	श्री जी. रवि	भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली
4.	श्री जे.पी. मीना	भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली
5.	श्री किशोर कुमार शर्मा	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, असम
6.	श्री देबा कुमार दास	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, असम
7.	श्री सोवेन्द्र नाथ दास	सी.जी.ई.एस.ई रेलवे, गार्डन रीच, कोलकाता .
8.	श्री ए.के. बिसवास	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
9.	श्री एम.एन. अफाक	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड (एम.एल. और ई., भारत सरकार), भोपाल
10.	श्री पृथ्वी राज सिन्हा	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड, (श्रम और रोजगार मंत्रालय), भोपाल
11.	श्री गुरू प्रसाद वाजपेयी	केन्द्रीय मादक द्रव्य मुख्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
12.	श्री एस.पी.एस. कपूर	केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली
13.	श्रीमती शशि सक्सेना	रसायन और उर्वरक, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली
14.	श्री एम.बी. अपराजित	कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता
15.	श्री एस.सी. पाण्डेय	कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता
16.	श्री अशोक कुमार सूद	अशक्त व्यक्तियों के लिए समेकित क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल
17.	श्री सतीश कुमार	कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली
18.	श्री पवित्र मोहद दास	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE-IV

NAME OF RECORDS OFFICERS WHO HAVE ATTENDED FIVE-DAY ORIENTATION COURSES IN RECORDS MANAGEMENT IN 2009

Sl. No.	Names of Records Officers	Sponsoring Authority
1.	Dr. Geeta Rao	Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, Mumbai.
2.	Shri V.K. Trivedi	Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur.
3.	Shri G. Ravi	Bharat Sanchar Nigam Ltd., New Delhi.
4.	Shri J.P. Meena	Bharat Sanchar Nigam Limited, New Delhi.
5.	Shri Kishore Kr. Sarma	Brahmaputra Board, Guwahati, Assam.
6.	Shri Deba Kumar Das	Brahmaputra Board, Guwahati, Assam.
7.	Shri Sovendra Nath Das	C.G.E.S.E. Rly, Garden Reach, Kolkata.
8.	Shri A.K. Biswas	Cement Corporation of India Ltd., New Delhi.
9.	Shri M.N. Afaque	Central Board for Workers Education (M.L. & E., Govt. of India), Bhopal.
10.	Shri Prithvi Raj Sinha	Central Board for Workers Education, (Ministry of Labour & Emp.), Bhopal.
11.	Shri Guru Prasad Bajpai	Central Bureau of Narcotics Hqrs. Gwalior, (M.P).
12.	Shri S.P.S. Kapoor	Central Water Commission, New Delhi.
13.	Smt. Shashi Saxena	Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers, New Delhi.
14.	Shri M.B. Aparajit	Coal India Ltd., Kolkata.
15.	Shri S.C. Pandey	Coal India Ltd., Kolkata.
16.	Shri Ashok Kumar Sood	Composite Regional Centre For Person with Disabilities, Bhopal.
17.	Shri Satish Kumar	Corporate Office, New Delhi.
18.	Shri Pabitra Mohan Dash	Defence R & D Organisation, Integrated Test Range, Chandipur.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

19.	श्री के.सी. लोहानी	विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
20.	श्री पी.जे. थॉमस	पेयजल आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली
21.	श्री राम प्रसाद	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली
22.	श्री अरूनाभ बंदोपाध्याय	उच्च शिक्षा विभाग (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ), नई दिल्ली
23.	श्री शैलाश जोगियानी	डाक विभाग, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
24.	श्रीमती ईश्वरी सुगुमार	अंतरिक्ष विभाग, बैंगलोर
25.	श्री राजेश कुमार कनौजिया	नगर विमानन महानिदेशालय, (सफदरजंग हवाई अड्डा के सामने), नई दिल्ली
26.	श्री भास्कर सबेशान एम.	कॉफी बोर्ड नं.1, डॉ. अम्बेडकर विधी, बैंगलोर
27.	श्री मदन लाल सिंह	रोजगार राज्य बीमा निगम, जयपुर
28.	श्री भारत लाल अरोड़ा	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली
29.	श्री एन.एम. रामतेके	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली
30.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	भारतीय खाद्य निगम, इंदौर
31.	श्री डी.आर. नंदा	भारतीय खाद्य निगम, कोलकाता
32.	श्री एस.पी. वर्मा	भारतीय खाद्य निगम, सागर
33.	श्री आर.बी. सक्सेना	भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम), मुंबई
34.	श्री एम.के. रवि कुमार	भारतीय खाद्य निगम, बैंगलोर
35.	श्री शंकरम बाबू कदम	भारतीय खाद्य निगम, मुंबई
36.	श्री आर. कानन	भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद
37.	श्री हिमांशु सरकार	भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
38.	श्री आर.सी. यादव	भारतीय खाद्य निगम, सतना, म.प्र.
39.	श्री जार्ज नोएल नेत्तार	भारतीय खाद्य निगम, तिरूवनंतपुरम
40.	श्री बहादुर सिंह शिशोदिया	भारतीय खाद्य निगम, उज्जैन (म.प्र.)
41.	श्री एम. कोलंडई	भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण), चेन्नई
42.	श्री वी. सत्यनारायण	भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम), दीराजअर्मा, मुंबई

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

19.	Shri K.C. Lohani	Department of Disinvestment, Ministry of Finance, New Delhi.
20.	Shri P.J. Thomas	Department of Drinking Water Supply, New Delhi.
21.	Shri Ram Prasad	Department of Health & Family Welfare, New Delhi.
22.	Shri Arunabha Bandyopadhyay	Department of Higher Education (Training Cell), New Delhi.
23.	Shri Shailesh Jogiani	Department of Post, Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi.
24.	Smt. Eswari Sugumar	Department of Space, Bangalore.
25.	Shri Rajesh Kumar Kanaujia	Directorate General of Civil Aviation, (Opp. Safdarjung Airport), New Delhi.
26.	Shri Bhaskar Sabeshan M.	Coffee Board No.1, Dr. Ambedkar Veedhi, Bangalore.
27.	Shri Madan Lal Singh	Employees State Insurance Corporation, Jaipur.
28.	Shri Bharat Lal Arora	Engineering Projects (India) Ltd., New Delhi.
29.	Shri N.M. Ramteke	Engineering Projects (India) Ltd., New Delhi.
30.	Shri Rajender Prasad	Food Corporation of India, Indore.
31.	Shri D.R. Nanda	Food Corporation of India, Kolkata.
32.	Shri S.P. Verma	Food Corporation of India, Sagar.
33.	Shri R.B. Saxena,	Food Corporation of India, Zonal Office (West), Mumbai.
34.	Shri M.K. Ravi Kumar	Food Corporation of India, Bangalore.
35.	Shri Sankaram Babu Kadam	Food Corporation of India, Mumbai.
36.	Shri R. Kannan	Food Corporation of India, Regional Office, Hyderabad.
37.	Shri Himangshu Sarkar	Food Corporation of India, Regional Office, Kolkata, West Bengal.
38.	Shri R.C. Yadav	Food Corporation of India, Satna, M.P.
39.	Shri George Noel Nettar	Food Corporation of India, Thiruvanthapuram.
40.	Shri Bahadur Singh Sisodiya	Food Corporation of India, Ujjain (M.P.).
41.	Shri M. Kolandai	Food Corporation of India, Zonal Office (South), Chennai.
42.	Shri V. Satyanarayana	Food Corporation of India, Zonal Office (West) Deeraj Arma, Mumbai.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

43.	श्री तपन कांति बिसवास	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता
44.	श्री मनीष सिक्का	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली
45.	श्री मनोज कुमार गुप्ता	हिंदुस्तान प्रिफैब लिमिटेड (गरीबी उपशमन मंत्रालय), नई दिल्ली
46.	श्री वाई. वीरभद्र राव	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम
47.	श्री अनिल कुमार	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंटूर होटल परिसर, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली
48.	श्री के.एल. बुनकर	राष्ट्रीय हाइड्रोलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद (हरियाणा)
49.	श्री ऋषि पाल	राष्ट्रीय हाइड्रोलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद (हरियाणा)
50.	श्री दिलबाग सिंह	राष्ट्रीय हाइड्रोलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऋषिकेश (उत्तराखण्ड)
51.	श्री एम.जे. रैना	राष्ट्रीय हाइड्रोलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद (हरियाणा)
52.	श्री विनोद कुमार शर्मा	राष्ट्रीय हाइड्रोलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद (हरियाणा)
53.	श्री ए.पी. शर्मा	राष्ट्रीय हाइड्रोलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़
54.	श्री गोकुल चंद मीना	आईबी (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली
55.	श्री रंजन कुमार मोहपात्रा	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भुवनेश्वर
56.	श्री पूरन चंद्र बहेरा	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भुवनेश्वर
57.	श्री नृपेन्द्र विक्रम सिंह	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दिल्ली
58.	सुश्री नलिनी अरविन्द	भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम, नई दिल्ली
59.	श्री बी.आर. तंवर	आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली
60.	श्री यू.एस. गोंढालेकर	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अहमदाबाद
61.	श्री एस.के. मिश्रा	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अहमदाबाद
62.	श्री सिबी थोमस	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अहमदाबाद

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

43.	Shri Tapan Kanti Biswas	Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd., Kolkata.
44.	Shri Manish Sikka	Hindustan Petroleum Co. Ltd., New Delhi.
45.	Shri Manoj Kumar Gupta	Hindustan Prefab Ltd. (M/o Poverty Alleviation), New Delhi.
46.	Shri Y. Veerabhadra Rao	Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam.
47.	Shri Anil Kumar	Hotel Corporation of India Ltd. Centaur Hotel Premises, IGI Airport, New Delhi.
48.	Shri K. L. Bunkar	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad (Haryana).
49.	Shri Rishi Pal	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad (Haryana).
50.	Shri Dilbag Singh	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Reshikesh (Uttrakhand).
51.	Shri M.J. Raina	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad (Haryana).
52.	Shri Vinod Kumar Sharma	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad (Haryana).
53.	Shri A.P. Sharma	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Chandigarh.
54.	Shri Gokul Chand Meena	IB (Ministry of Home Affairs), New Delhi.
55.	Shri Ranjan Kumar Mohapatra	India Meteorological Department, Bhubaneswar.
56.	Shri Puran Chandra Behera	Indian Council of Agricultural Research, Bhubaneswar.
57.	Shri Nripendra Vikarm Singh	Indian Council of Agricultural Research, Delhi.
58.	Ms. Nalini Arvind	Indian Railways Catering & Tourism Corporation, New Delhi.
59.	Shri B.R. Tanwar	Intelligence Bureau, New Delhi.
60.	Shri U.S. Gondhalekar	Indian Space Research Organisation, Ahmedabad.
61.	Shri S.K. Mishra	Indian Space Research Organisation, Ahmedabad.
62.	Shri Siby Thomas	Indian Space Research Organisation, Ahmedabad.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

63.	श्री आर.सी. वर्मा	खादी ग्रामोद्योग, जयपुर
64.	श्री जयकुमार कुलश्रेष्ठ	खादी ग्रामोद्योग, जयपुर
65.	जोसकुट्टी के.ए.	मसाला बोर्ड, कोच्चि
66.	श्री डी. सुब्बा राव	मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद
67.	श्री एम.ए.ए. बेग	मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद
68.	श्री वाई. ईबेन जेया रॉय	चिकित्सा रिकार्ड विभाग, जिपामेर अस्पताल, पुड्डुचेरी
69.	श्री हंस राज	विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
70.	श्रीमती सीता देवी	विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
71.	श्री आर.के. खेड़ा	खान मंत्रालय, नई दिल्ली
72.	श्री अनिल कुमार झा	ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली
73.	श्री अरूण कुमार	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली
74.	श्री एच.के. बेरी	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
75.	श्री एस. नाहा	सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, कोलकाता
76.	श्री कपूर सिंह	इस्पात मंत्रालय (स्थापना अनुभाग), नई दिल्ली
77.	श्री ए.सी. त्रिवेदी	जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली
78.	श्री एस.के. सक्सेना	जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली
79.	श्री आर. यादागिरी	मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद
80.	श्री मोहन सिंह बिष्ट	एमएमटीसी लिमिटेड, स्कोप काम्पलैक्स, नई दिल्ली
81.	श्री मारी प्रसाद	एमएमटीसी लिमिटेड, स्कोप काम्पलैक्स, नई दिल्ली
82.	श्री रामफाल यादव	एमएमटीसी लिमिटेड, स्कोप काम्पलैक्स, नई दिल्ली
83.	श्री जगत सिंह	एमएमटीसी लिमिटेड, स्कोप काम्पलैक्स, नई दिल्ली
84.	श्री संजीव कुमार शर्मा	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली
85.	श्री अरूण कुमार	राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम, फरीदाबाद

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

63.	Shri R.C. Verma	Khadi Gram Udhyog Ayog, Jaipur.
64.	Shri Jaikumar Kulshreshth	Khadi Gram Udhyog Ayog, Jaipur.
65.	Josekutty K.A.	Spices Board, Kochi.
66.	Shri D. Subba Rao	Mishra Dhatu Nigam Ltd., Hyderabad.
67.	Shri M.A.A. Baig	Mishra Dhatu Nigam Ltd., Hyderabad.
68.	Shri Y. Eben Jeya Roy	Medical Records Deptt. Jipmer Hospital, Puducherry.
69.	Shri Hans Raj	Ministry of External Affairs, New Delhi.
70.	Smt. Sita Devi	Ministry of External Affairs, New Delhi.
71.	Shri R.K. Khera	Ministry of Mines, New Delhi.
72.	Shri Anil Kumar Jha	Ministry of Rural, Department of Rural Development, New Delhi.
73.	Shri Arun Kumar	Ministry of Science and Technology, Deptt. of Biotechnology, New Delhi.
74.	Shri H.K. Beri	Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi.
75.	Shri S. Naha	Ministry of Statistics and Programme Implementation, Kolkata.
76.	Shri Kapoor Singh	Ministry of Steel (Estt. Section), New Delhi.
77.	Shri A.C. Trivedi	Ministry of Water Resources, New Delhi.
78.	Shri S.K. Saxena	Ministry of Water Resources, New Delhi.
79.	Shri R. Yadagiri	Mishra Dhatu Nigam Ltd., Hyderabad.
80.	Shri Mohan Singh Bisht	MMTC Ltd., Scope Complex, New Delhi.
81.	Shri Marri Prasad	MMTC Ltd., Scope Complex, New Delhi.
82.	Shri Ramphal Yadav	MMTC Ltd., Scope Complex, New Delhi.
83.	Shri Jagat Singh	MMTC Ltd., Scope Complex, New Delhi.
84.	Shri Sanjeev Kumar Sharma	National Backward Classes Finance & Development, Corporation, New Delhi.
85.	Shri. Arun Kumar	National Handicapped Finance and Development Corporation, Faridabad.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

86.	श्री विवेक शर्मा	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, ओमकेश्वर परियोजना
87.	श्री सतीश कुमार परिहार	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
88.	डॉ. विनीता सिंह	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
89.	सुश्री कमलेश मजूमदार	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
90.	श्री सूर्य कुमार चौहान	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
91.	श्री जी.टी.एस. राजू	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
92.	सुश्री चंचला सिन्हा	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
93.	सुश्री जे. मिंज	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
94.	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
95.	श्री जी.एन. खान	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
96.	डॉ. (श्रीमती) श्रीलता घोष चौधरी	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता
97.	श्री संजय वी. पंडित	राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान, पालडी, अहमदाबाद
98.	श्री बलबीर रॉय	राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, लखनऊ (उ.प्र.)
99.	श्री कमलेश श्रीवास	राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, केरवा डैम रोड, भोपाल
100.	श्री राजीव कुमार जैन	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली
101.	श्री आर.एल. शर्मा	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, (जम्मू व कश्मीर)
102.	श्री चमन लाल	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, सियूल विद्युत केन्द्र
103.	श्री विवेक कुमार जायसवाल	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, चटक परियोजना (जम्मू व कश्मीर)
104.	श्री भंडारी राम शर्मा	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब
105.	श्री डी. बालाजी नायक	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, तिस्ता (सिक्किम)

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

86.	Shri Vivek Sharma	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Omkareshwar Project.
87.	Shri Satish Kumar Parihar	National Hydroelectric Power Corporation Ltd, Faridabad.
88.	Dr. Vinita Singh	National Hydroelectric Power Corporation Ltd, Faridabad.
89.	Ms. Kamlesh Majumdar	National Hydroelectric Power Corporation Ltd, Faridabad.
90.	Shri Surya Kumar Chauhan	National Hydroelectric Power Corporation Ltd, Faridabad.
91.	Shri G.T.S. Raju	National Hydroelectric Power Corporation Ltd, Faridabad.
92.	Ms. Chhanchala Sinha	National Hydroelectric Power Corporation Ltd, Faridabad.
93.	Ms. J. Minj	National Hydroelectric Power Corporation Ltd, Faridabad.
94.	Shri Surender Kumar Singh	National Hydroelectric Power Corporation Ltd, Faridabad.
95.	Shri G.N. Khan	National Hydroelectric Power Corporation Ltd, Faridabad.
96.	Dr.(Mrs.) Sreelata Ghosh Choudhury	National Institute for the Orthopedically Handicapped, Kolkata.
97.	Shri Sanjay V. Pandit	National Institute of Design, Paldi, Ahmedabad.
98.	Shri Balbir Rai	National Institute of Public Cooperation and Child Development, Lucknow (U.P).
99.	Shri Kamlesh Shrivas,	National Law Institute University, Kerwa Dam Road, Bhopal.
100.	Shri Rajiv Kumar Jain	National Projects Construction Corporation Ltd., New Delhi.
101.	Shri. R.L. Sharma	National Hydroelectric Power Corporation Ltd, (Jammu & Kashmir).
102.	Shri Chaman Lal	National Hydroelectric Power Corporation Ltd, Baira Siul Power Station.
103.	Shri Vivek Kumar Jaiswal	National Hydroelectric Power Corporation Ltd, Chutak Project (Jammu & Kashmir).
104.	Shri Bhandari Ram Sharma	National Hydroelectric Power Corporation, Pathankot, Punjab.
105.	Shri D. Balaji Naik	National Hydroelectric Power Corporation Ltd, Teesta (Sikkim).

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

106.	श्री ए.के. साहा	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, तिस्ता (सिक्किम)
107.	श्री जे.एस. मेहता	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तरांचल
108.	श्री लक्ष्मण सिंह	नार्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश
109.	श्री हरीश्वरन के.	एनएसएसओ (एफओडी) क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर
110.	श्रीमती संध्या खेर	महालेखाकार का कार्यालय (ए/ई) I, भोपाल शाखा, भोपाल
111.	श्री टी. श्रीमननारायण	केन्द्रीय उत्पाद सहायक आयुक्त का कार्यालय, एन.आर. पेट, ईलुरू, आंध्र प्रदेश
112.	श्री के. मुरलीधरन	केन्द्रीय उत्पाद सहायक आयुक्त का कार्यालय, मदुरै
113.	श्री पी.एम. मोहन	रजिस्ट्रार कंपनी का कार्यालय, कोयंबतूर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग कोयंबतूर
114.	श्री वी.के. माथुर	नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर
115.	श्री विजय कुमार महादेव पालकर	नमक आयुक्त का कार्यालय, मुंबई
116.	श्री देबाशीश मैटी	पूर्वी तट रेलवे, संबलपुर (उड़ीसा)
117.	श्री दिगम्बर पाधे	पूर्वी तट रेलवे, संबलपुर (उड़ीसा)
118.	श्री जंगवीर सिंह	पवन हंस हेलिकॉप्टर्स, उत्तरी क्षेत्रीय, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली
119.	श्री संजय कुमार	पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पूर्व में विस्फोटक विभाग), भोपाल
120.	श्री बी. राउत्रपूर्ति	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, कालापेट, पुड्डुचेरी
121.	श्री एन. देवनारायण	पुड्डुचेरी विश्वविद्यालय, पुड्डुचेरी
122.	श्री ए.के. सरकार	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय (ईजेड), कोलकाता
123.	श्री जे.सी. पाठक	गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भोपाल
124.	श्री पी.के. शशिधरन	अभिलेख प्रबंधन प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास, दिल्ली
125.	श्री भगवान साहू	क्षेत्रीय सैन्य उड़ान योग्य केन्द्र, कोरापुट (उड़ीसा)

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

106.	Shri A.K. Saha	National Hydroelectric Power Corporation Ltd, Teesta (Sikkim).
107.	Shri J.S. Mehta	National Hydroelectric Power Corporation Ltd, Uttranchal.
108.	Shri Laxman Singh	Northern Coalfields Ltd. Singrauli, Madhya Pradesh.
109.	Shri Hareeswaran K.	NSSO (FOD) Zonal Office, Bangalore.
110.	Smt. Sandhya Kher	Office of the Accountant General (A/E) I, Bhopal Branch, Bhopal.
111.	Shri T. Srimanarayana	Office of the Asstt. Commissioner of Central Excise, N.R. Pet, Eluru, Andhra Pradesh.
112.	Shri K. Muralidharan	Office of the Commissioner of Central Excise, Madurai.
113.	Shri P.M. Mohan	Office of the Registrar of Companies, Coimbatore Stock Exchange Building, Coimbatore.
114.	Shri V.K. Mathur	Office of the Salt Commissioner, Jaipur.
115.	Shri Vijay Kumar Mahadev Palkar	Office of the Salt Commissioner, Mumbai.
116.	Shri Debasish Maity	East Coast Railway, Sambalpur (Orissa).
117.	Shri Digambar Padhe	East Coast Railway, Sambalpur (Orissa).
118.	Shri Jangvir Singh	Pawan Hans Helicopters, Northern Region, Safdarjang Airport, New Delhi.
119.	Shri Sanjay Kumar	Petroleum and Explosives Safety Organisation (Formally Deptt. Of Explosives), Bhopal.
120.	Shri B. Routtramourthy	Pondicherry University, Kalapet, Puducherry.
121.	Shri N. Devanarayanan	Pondicherry University, Puducherry.
122.	Shri A.K. Sarkar	National Sample Survey Organisation, Zonal Office (EZ), Kolkata.
123.	Shri J.C. Pathak	Quality Control Cell, Ministry of Consumer Affairs & Public Distribution, Bhopal.
124.	Shri P.K. Sasidharan	Records Management Cell, National Scheduled Castes Finance and Development, Delhi.
125.	Shri Bhagaban Sahu	Regional Centre for Military Airworthiness, Koraput (Orissa).

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

126.	डॉ. एस.के. मिश्रा	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली
127.	श्री श्यामल कुमार सिन्हा	स्टील अर्थारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बर्नपुर
128.	श्री वी.के. साहनी	वैपकोस, गुड़गांव
129.	श्री नवीन येओलेकर	पवन हंस हेलिकॉप्टर लिमिटेड, पश्चिम क्षेत्र, मुंबई
130.	डॉ. स्वेतपदम दास	भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, अलीपुर, कोलकाता

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

126.	Dr. S.K. Mishra	Rehabilitation Council of India, New Delhi.
127.	Shri Shyamal Kumar Sinha	Steel Authority of India Ltd., Burnpur.
128.	Shri V.K. Sahni	WAPCOS, Gurgaon.
129.	Shri Naveen Yeolekar	Pawan Hans Helicopter Ltd., Western Region, Mumbai.
130.	Dr. Swetapadam Dash	Zoological Survey of India, New Alipur, Kolkata.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

SCAN COMPLETE
TOTAL PAGES - 178
18 SEP 2023

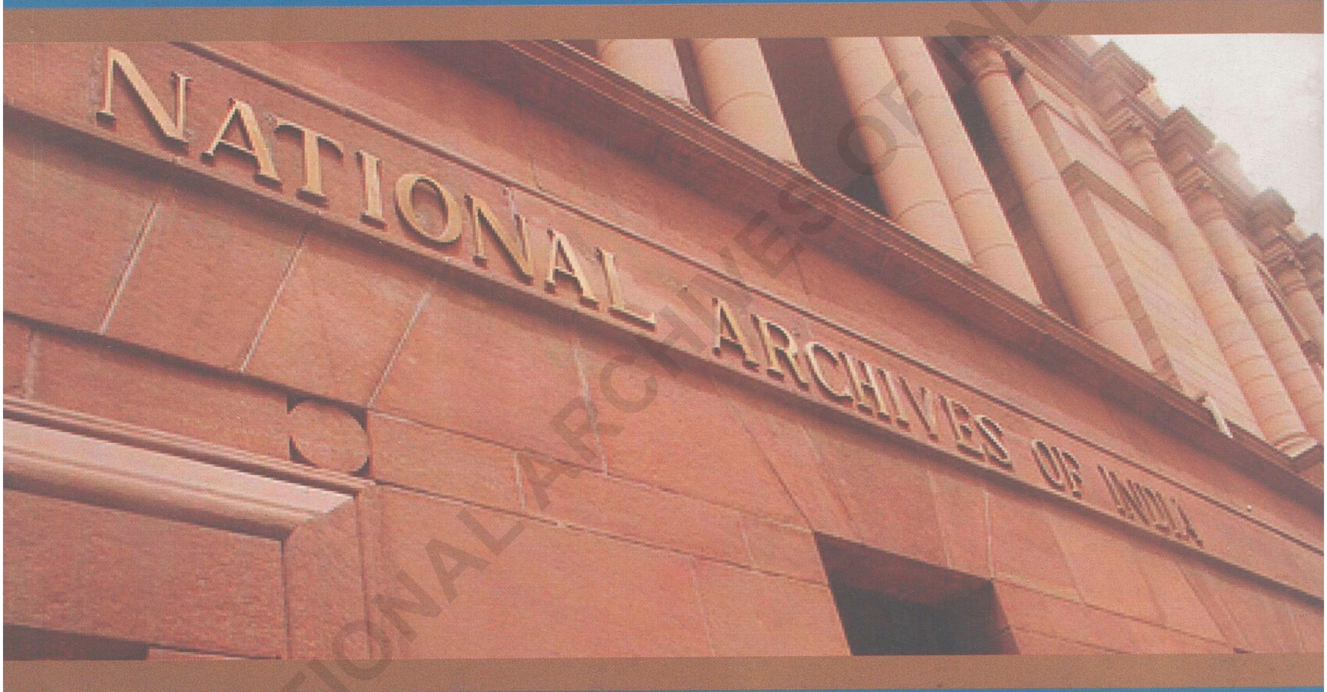

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONALARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI
2012